राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का दो सौ पच्चीसवां दिवस [संख्या: 28

बुधवार,

21 सितम्बर 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

आर्थिक पिछड़ा वर्ग की आरक्षण पात्रता

481. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की पात्रता हेतु आठ लाख रुपये वार्षिक आय निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सीमा में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र-छात्राओं की सहायता के लिए विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। राज्य सरकार का वर्तमान में 08 लाख रुपये निर्धारित राशि में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि उक्त 08 लाख रुपये का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसरण में ही किया गया है।

(2) जी हां। सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र-छात्राओं की सहायता के लिए विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की थी।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग (ग्रुप-6) को प्रेषित प्रस्ताव की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र-छात्राओं की सहायता के लिए विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना हेतु शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक प. 3 (3) शिक्षा-6/2019, दिनांक 02.03.2022 द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र-छात्राओं की सहायता के लिए विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना हेतु माध्यमिक शिक्षा परीक्षा परिणाम के आधार पर आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि 02.03.2022 को जो चिट्ठी लिखी थी एजुकेशन बोर्ड को, उस चिट्ठी के बाद में उसकी कम्प्लायंस हुई या नहीं हुई है? यदि हुई है तो अब तक कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्प्लायंस हो गयी है। चूंकि, अभी रिजल्ट आये हैं, री-वैल्यूएशन के फार्म लग रहे हैं, प्रक्रियाधीन है। जैसे ही एकदम कम्प्लीट रिजल्ट हो जायेगा तो उसके बाद सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो ई.बी.सी. की आपने घोषणा की यह कब की? बजट घोषणा आपकी कब की थी? इसकी अब तक क्रियान्विति में किसी बच्चे को छात्रवृत्ति मिली है या नहीं मिली है? इतने लम्बे कालखंड में भी बच्चों का सलेक्शन तो आपने कर लिया, जैसा कि आपने चार्ट पीछे लगा रखा है, आपने उन बच्चों को, जिनके 80 परसेंट से अधिक अंक आये हैं, छांट लिया है और वह सूची भी इसमें आपने पीछे लगा रखी है। सैकण्डरी के 2018 में 12,553, 2019 में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

13,024 और 2020 में 15,415 लड़के, ये बच्चे सलेक्ट आपने कर लिए आपके मापदंड के अनुसार। इनमें से किसी बच्चे को अभी तक छात्रवृत्ति मिल गयी है क्या और अगर नहीं मिली है तो इतना लम्बा कालखंड किस कारण से लगा? उस बच्चे को जो मदद मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए यह जन घोषणा पत्र है और जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी 04 सितम्बर, 2020 को। उस समिति के बाद में यह डिसाइड हुआ कि इस योजना का किस प्रकार से क्या प्रारूप रहेगा, किन बच्चों को किस प्रकार से क्या छात्रवृत्ति दी जायेगी, यह इसमें तय हुआ और उसके बाद इसके जो आर्डर हैं शिक्षा विभाग के लिए हमने 02 मार्च, 2022 को जारी कर दिये कि इस योजना के अनुदान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाये। अभी शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और अभी जैसे ही फाइनल रिजल्ट आ जायेगा, उसके बाद सभी को छात्रवृत्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, यह इनका आदेश है 14.01.2021 को और यह इनकी पांचवीं बैठक हुई है 04.09.2020 को। दिनांक 04.09.2020 को इन्होंने यह निर्धारित कर लिया कि कौनसे-कौनसे बच्चों को इसमें हम इस प्रकार की स्कालरशिप देंगे, यह आपका निर्णय है, यह इसके साथ लगा हुआ है जो आपने इसमें दिया है और इसके आदेश भी आपने 14.01.2021 को जारी कर दिया।

इतना लम्बा समय निकल जाने के बाद भी किसी बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिलने का कारण क्या रहा है, जब आपने घोषणा कर दी?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता, प्रतिपक्ष को यह कहना चाहूंगा कि इसमें पिछले तीन वर्षों के जो आंकड़े यह बता रहे हैं, यह सिर्फ उसके लिए एक अनुमानित संख्या उसके अन्दर ली गयी है कि इतने बच्चे इसके अन्दर होंगे, वह इन्होंने इन तीन वर्षों का 80 परसेंट या इससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अवगत करवाया है कमेटी के अन्दर और उसके अन्दर जितने भी बच्चे आएंगे, उनको इस वर्ष से हम सहायता राशि शुरू कर रहे हैं। इस वर्ष से शुरू कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, 2022 में अपने को इम्प्लीमेंट करना था तो 2021 के कागज को लगाना ही नहीं चाहिए था। आप ही यह सूचना देकर उसको कह रहे हो कि 2022 में उसको इम्प्लीमेंट किया और पिछले आंकड़े दे रहे हो कि इनके यह-यह परसेंटेज हैं। जब सरकार की मंशा 2022 के बाद देने की है तो यह जबरदस्ती हमने इन्फार्मेशन देकर क्वेश्चन को सप्लीमेंट्री में ला रहे हैं इसलिए क्वेश्चन को देखकर आपको करना चाहिए था। अगला प्रश्न।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह नोटशीट की कापी है, सर।

श्री अध्यक्ष: यह किसने मांगी थी? किसने मांगी थी?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हां, यह इसमें लगा दी, गलत दे दी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पद

482. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर व समेजा में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरण हेतु स्थानीय विधायक निधि से जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक कितनी राशि स्वीकृत की गई? क्या उक्त स्वीकृत राशि से चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवा दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर व समेजा में चिकित्सकों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पी.जी. पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण/नवीन भर्ती से उपलब्ध होने वाले चिकित्सकों से भरे जाने पर विचार किया जाएगा।

(2) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरण हेतु स्थानीय विधायक निधि से जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक स्वीकृत की गई राशि एवं उक्त राशि से उपलब्ध कराये गये चिकित्सा उपकरणों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहता हूं और सबसे पहले तो मैं मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं कि कल ही इन्होंने एक-एक डाक्टर मेरी तीनों सी.एच.सीज. में लगाये। इसके लिए मंत्रीजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): मेरा आग्रह है कि तीनों सी.एच.सीज. में गायनिक पद स्वीकृत हैं पर एक भी गायनिक नहीं है तो आप सी.एच.सी. श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर में गायनिक पद लगवाने का विचार रखते हैं या नहीं? कृपया बतायें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए ही हमने कल तीन चिकित्सक लगाकर आपको सूचित कर दिया। गायनिक अवेलेबल होने पर सर्वप्रथम आपके लगा देंगे, जहां पर भी आप कहेंगे। आपने दो जगह बतायी हैं। अवेलेबल होने पर लगा देंगे। पी.जी. ज्यों ही करके आएंगे सबसे पहले आपके दो और लगा देंगे।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): एक हमारे विजयनगर उपखंड भी है और पंचायत समिति मुख्यालय भी है इसमें बी.सी.एम.ओ. का पद और कार्यालय स्थापित करवाने की मंशा रखते हैं या नहीं?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्या?

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): बी.सी.एम.ओ.।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बी.सी.एम.ओ. तो जहां पर उपखंड होता है, ब्लाक होता है, आपके कितने ब्लाक हैं वहां पर? ब्लाक के अनुसार लगते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जो घोषणाएं की थीं नयी पंचायत समिति की, वहां पर उपखंड ब्लाक, सी.एम.एच.ओ. के कार्यालय बनाये गये हैं। आपके पंचायत समिति में नहीं बना होगा तो वहां पर बन जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मैं एक सप्लीमेंट्री कर लूं। जो विधायक राशि स्वीकृत की गयी है उपकरण के लिए, उसमें व्यय राशि जीरो-जीरो दे रखी है तो वह विभाग को जब एम.एल.ए. अपने फंड से पैसे, राशि स्वीकृत कर दी है और एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है तो उसका जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिलेगा इसलिए उनको आप बाउंड करो कि जो विधायक, जो सरकार ने एम.एल.ए. लैड में दो करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है तो टाइमली इक्विपमेंट यदि परचेज होंगे तब उसका लाभ मिलेगा। इसमें सारे में एम.एल.ए. ने स्वीकृत कर रखी है और एक्सपेंडिचर जीरो-जीरो है। इसको आप देखें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो राशि दी थी, एक बार पांच लाख रुपया दिया था, एक बार साठ हजार रुपया दिया था, एक बार बारह लाख चौबीस हजार रुपया दिया था तो जिन चीजों के लिए आपने यह राशि दी थी उपकरणों के लिए, वह सरकार ने अवेलेबल करवा दिये हैं इसलिए आपकी राशि को हमने रिफंड कर दिया।

दूसरा, आपने एक करोड़ रुपया अभी दिया है एक महीने पहले, अभी इसी साल आदर्श सी.एच.सी. के लिए तो उसका भी हम, आप जैसे भी कहेंगे उसमें आदर्श सी.एच.सी. में उपयोग कर लेंगे। बाकी आपका दो लाख रुपये वाला एक था, तीन लाख साठ हजार वाला एक था, उसका हमने पूरे संसाधन खरीदकर आपके वहां पर लगा दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मदन प्रजापत।

बालोतरा (बाड़मेर) में सहायक निदेशक (कृषि विस्तार) कार्यालय की स्थापना

483. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के बालोतरा, समदड़ी, सिवाना,

(श्री मदन प्रजापत)

सिणधरी एवं गुड़ामालानी क्षेत्र में अनार सहित अन्य फलों एवं औषधीय कृषि उन्नत एवं आधुनिक कृषि का विस्तार हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों एवं व्यापारियों की मांग को देखते हुए प्रभावी नियंत्रण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के साथ ही जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बालोतरा मुख्यालय पर सहायक निदेशक (कृषि विस्तार) का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी हां। बाड़मेर जिले के बालोतरा, समदड़ी, सिवाना, सिणधरी एवं गुडामालानी क्षेत्र में अनार सहित फलदार बगीचों एवं औषधीय कृषि में उन्नत एवं आधुनिक कृषि के क्षेत्रफल में विस्तार हुआ है। बाड़मेर जिले में फलदार बगीचों एवं औषधीय कृषि के अन्तर्गत विगत पांच वर्षों के क्षेत्रफल का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 एवं 1-ए पर संलग्न है।

बालोतरा मुख्यालय पर वर्तमान में सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर नवीन कार्यालयों का सृजन किया जाता है। वर्तमान में बाड़मेर जिले में मुख्यालय पर कार्यरत सहायक निदेशक (विस्तार) तथा सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा जिले के कृषकों को विभागीय सेवायें उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सवाल छोटा-सा है कि जिले में कृषि डिप्टी डायरेक्टर का आफिस खुलता है, जिला बनने वाला है लेकिन अनार का रकबा इतना बढ़ गया है कि 300 किलोमीटर में एक डिप्टी डायरेक्टर मानिटरिंग का काम नहीं कर सकता। अगर खोलते हो तो धन्यवाद। नहीं, तो जिला खोल दो, उसके लिए भी धन्यवाद।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य खुद ही कह रहे हैं कि जिला बनने वाला है तो जब जिला बनेगा तो अपने आप कार्यालय खुल जायेगा वहां पर।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर शहर में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल आपूर्ति की कार्ययोजना

484. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जयपुर शहर की बहुमंजिला इमारतों में पेयजल हेतु पाइप लाइन नहीं होने के कारण उक्त इमारतों में रहने वाले निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो उक्त इमारतों में पेयजल आपूर्ति हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): जयपुर शहर में अवस्थित 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बहुमंजिला इमारतों के विकासकर्ता अथवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आवेदन करने पर, इमारत के कुल निर्मित क्षेत्र का रुपये 42/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा जयपुर शहर के जगतपुरा, महल रोड एवं प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित बहुमंजिला इमारतों में विभाग द्वारा विकसित पेयजल तंत्र के आधारभूत ढांचे पर किये गये व्यय का आकलन कर, इमारत के कुल निर्मित क्षेत्र का रुपये 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से राशि प्राप्त कर, विभाग द्वारा भू-तल पर इमारत की कुल पेयजल मांग के अनुरूप उचित व्यास का एक जल संबंध जारी करने का प्रावधान है तथा इसके अनुरूप जल संबंध जारी किये जा रहे हैं।

जयपुर शहर के जगतपुरा, महल रोड एवं प्रताप नगर क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अवस्थित बहुमंजिला इमारतों में जल संबंध जारी करने हेतु उक्तानुसार रुपये 42/- प्रति वर्ग फुट की दर से ली जाने वाली राशि अधिक होने तथा इसमें आवश्यक संशोधन करने हेतु सी.आई.आई. एवं राजस्थान बिल्डिंग एसोसिएशन (क्रेडाई) से समय-समय पर विभाग को प्रतिवेदन प्राप्त हुए।

उक्त संबंध में राज्य सरकार द्वारा छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाकर, इस कमेटी में विभागीय अधिकारियों एवं हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) के प्रतिनिधियों की समान संख्या रखी गई है। समस्त हितधारकों से चर्चा उपरान्त सभी पक्षों के हितों में सामंजस्य रखते हुए नवीन पालिसी का तैयार किया गया प्रारूप (ड्राफ्ट) अनुमोदन की प्रक्रिया में विचाराधीन है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि कमेटी का गठन

(श्री कालीचरण सराफ)

तो आपने कर दिया, लेकिन आपको उसका प्रारूप कब मिला और उसमें उन्होंने क्या-क्या सिफारिशें की हैं? उनको आप कब तक लागू करेंगे? एक निश्चित समय अवधि आप बतायें क्योंकि जयपुर शहर में फ्लैट्स में रहने वाले जो लगभग 5 लाख निवासी हैं, उनके सामने यह बड़ी समस्या है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी आप तारीख बतायें। मैंने बजट सत्र में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था, तब भी आपने यही जवाब दिया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ रहे हैं या क्या कर रहे हैं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब आप एक निश्चित तारीख बतायें। दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि एक ही शहर में पेयजल के अलग-अलग नियम हैं। कहीं पर तो आप 25 रुपये वर्ग फुट ले रहे हो और कहीं पर आप 42 रुपये ले रहे हो। इसके पीछे क्या कारण हैं? इन दोनों बातों का जवाब दीजिए।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। हमको बहुमंजिला इमारतों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। उसमें जितना खर्चा आता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है और प्रति वर्ग फुट के हिसाब से दर तय की जाती है। ये अलग-अलग जो दरें हैं 42 रुपये और 25 रुपये, माननीय सदस्य, ये 2016-2017 की दरें हैं। ये दरें हमारे समय में तय नहीं की गईं। हम तो इसको और तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जयपुर में या एक शहर में एक समान दर हो, इस बात की हमारी कोशिश है।

आपने जो पहला प्रश्न किया, हमने एक छह सदस्यीय कमेटी बनायी। हमारी बैठक 26.04.2022 को हुई। हमने कमेटी का गठन 19.05.2022 को किया। उसके बाद कमेटी की दो मीटिंग हो चुकी हैं 23.05.2022 और 23.06.2022 को। इसमें सभी हितधारकों से चर्चा की है। उनकी राय को शामिल करते हुए और विभाग के सोच को शामिल करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और माननीय पूरे सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो नयी पालिसी बनेगी और जो नयी दरें तय की जायेंगी, उसमें मैं समझता हूं, सबकी सहमति होगी, सबकी सहमति से और जो हमने प्रारूप बनाया है, सिर्फ एक बैठक और होगी, उसके बाद इस पालिसी की घोषणा हो जायेगी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कब तक?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जल्दी से जल्दी हो जायेगी। आपको निराशा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह।

लम्पी रोग पर नियंत्रण की कार्ययोजना

485. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गोवंश में लम्पी नामक महामारी फैल रही है? यदि हां, तो विगत पांच माह में कितने गोवंश उक्त रोग से ग्रसित पाये गये तथा कितने गोवंश की मृत्यु हुई व कितने स्वस्थ हुए? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त रोग पर नियंत्रण हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रोग से ग्रसित गोवंश की मौत होने पर सरकार द्वारा गोपालकों को क्या सहायता प्रदान की गई है? क्या सरकार उक्त को मुआवजा देकर राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। वर्तमान में प्रदेश के गोवंशीय पशुओं में लम्पी नामक बीमारी फैल रही है। प्रदेश में लम्पी बीमारी से विगत 5 माह के दौरान बीमार, मृत हुए तथा उपचार उपरांत स्वस्थ पशुओं का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के गोवंशीय पशुओं में वर्तमान में फैली लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में प्रदेश में लम्पी रोग से ग्रसित गोवंश की मौत होने पर सरकार द्वारा गोपालकों को किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी, भारत सरकार को दिनांक 29.08.2022 को पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि प्राकृतिक आपदा अन्तर्गत लम्पी स्किन डिजीज को महामारी घोषित किया

(पशुपालन मंत्री)

जाये ताकि पशुपालकों और गोशालाओं को इस बीमारी से मरने वाले गोवंश का मुआवजा दिलवाकर पशुपालकों को राहत प्रदान की जा सके।

लम्पी रोग को महामारी घोषित किए जाने पर उपलब्धता अनुसार प्रदेश के गोपालकों को उनके गोवंश की मृत्यु होने पर मुआवजा दिया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि लम्पी बीमारी से 50 हजार गायें कालग्रस्त हुई हैं, उनके लिए क्या कोई ऐसा सर्वे हुआ है? आंकड़ों का आधार क्या है? क्या सरकार बिहार और उड़ीसा की तर्ज पर मुआवजा देने का मानस रखती है? लम्पी के विषय में सरकार द्वारा कुल कितनी राशि आबंटित की गई? बजट कितना दिया गया? वह भी बता दें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने बताया, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पहली समीक्षा बैठक ली, उसमें 30 करोड़ रुपये पशुपालन विभाग को दिये। लगभग सभी माननीय सदस्यों ने 10-10 लाख रुपये दिये। 10 लाख रुपये चित्तौड़ के अन्दर आपने भी दिये। दवाओं के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार से 45 लाख गोट पॉक्स खरीदने के आदेश दिये गये, जिसमें से 16 लाख 19 हजार वैक्सीन हमको आज दिनांक तक प्राप्त हो गयी हैं। पूरे राज्य के अन्दर कल का जो टीकाकरण रहा है, वह 95 हजार का रहा है। कल शाम तक के आंकड़े मैंने आपको बताये हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था, उसका जवाब नहीं आया। ऐसा कौनसा सर्वे हुआ जिससे पता चला कि 50 हजार गायें कालग्रस्त हुई हैं? किस प्रकार से आपने आकलन किया? जितनी गायें मरी हैं, उनको बिहार और उड़ीसा की तर्ज पर आप मुआवजा देना चाहते हैं या नहीं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे जो एल.एस.ए. हैं, पटवारी हैं, कृषि पर्यवेक्षक हैं या जिले के जो अधिकारी हैं, उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर विभाग के पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वही आंकड़े हमने प्रस्तुत किये हैं। अन्य आंकड़ों की जो बात हो रही है, उसके बारे

(श्री लालचन्द कटारिया)

में भी मैंने मुख्य सचिव महोदया से बात की थी, वे आंकड़े केवल मीडिया में हैं। उनका कोई सर्वे नहीं है। सर्वे के आंकड़े का आधार हमारा और हमारे खुद के विभाग का ही है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): जो बिहार और उड़ीसा द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है, अपन देंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि खण्ड-1 में इन्होंने परिशिष्ट-1 लगाया है। उसमें इन्होंने लिखा है कि 12 लाख 12 हजार 231 पशु बीमार हुए और रिकवर हुए हैं 6 लाख 90 हजार। डैथ हुई है 54 हजार की। जो 12 लाख बीमार हुए, उनमें से 6 लाख 90 हजार रिकवर हुए तो ये 5 लाख 21 हजार 303 पशु कहां हैं? एक तो यह।

एक सैकण्ड। इसके साथ ही आपने इसी के परिशिष्ट-2 में घोषणा की है, उसमें आपने लिखा है कि लम्पी रोग की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा जिलों में उनकी आवश्यकतानुसार आपातकालीन मद से औषधि क्रय हेतु 4.83 लाख रुपये आबंटित किये, यह कब किये? दूसरा, नीचे आपने लिखा है कि हमने 40 करोड़ रुपया कॉनफैड को दिया है। यह आपने कब दिया है और इसकी क्या उपलब्धि आज तक हुई? आपने यह भी लिखा है कि हमने जिलों को सात करोड़ रुपया दे दिया। वास्तव में अब तक जो पैसा आपने दिया इस इलाज के लिए, उसमें से कितना नीचे पहुंच गया और कितना उसके कारण से लोगों ने उसका उपयोग कर लिया? एक जो मैं समझ नहीं पाया, चतुराई कितनी अच्छी करते हैं आपके अधिकारी, मैंने कल भी कहा था कि बहुत होशियारी से यह समझते हैं कि हम तो पढ़ते ही नहीं होंगे। एक लास्ट में आपने लगाया कि कब-कब बैठकें हुईं। मैंने कल भी आपको कहा कि आपकी यह जो बैठकें आप लिख रहे हो, राज्यपाल महोदय ने एक की, यह कब की? मुख्य मंत्री महोदय ने तीन बैठकें कीं, कब कीं? बाकी लोगों ने जो बैठकें की हैं, उनके कौन आया, यह तो लिखा पर मैं आपसे जानना चाहता हूं बीमारी का आपको अप्रैल में पता लग गया था, आपकी यह बैठकें कब से शुरू हुईं? उनकी तारीखें बता दो।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो बात कही कि जो गैप है, हमारे पशुओं में

(श्री लालचन्द कटारिया)

बीमारी होने का और ठीक होने का जो समय है, इसमें 10 से 15 दिन गाय का उपचार चलता है। उसके आंकड़े लगातार आते रहते हैं कि कितनी ठीक हुईं और कितनी उसमें एड हुईं और कितनों को नुकसान हुआ। यह गैप की बात आपने कल भी कही थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप उपचार की संख्या में लिख देते न। उपचार उपरान्त इतने पशु, एक कालम और बना देते कि अभी उपचार के अन्तर्गत हैं तो बात स्पष्ट हो जाती कि वास्तव में उपचार हुआ है।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): वह आंकड़े मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

दूसरी बात आपने कही है दवा के बारे में, औषधि के बारे में। औषधि आपूर्ति हेतु राशि रुपये 40 करोड़ की औषधि कॉनफैड के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निष्पादित की गयी। इसमें राशि रुपये 6 करोड़ की औषधि की आपूर्ति जिलों को प्रारम्भ हो गयी एवं अतिरिक्त राशि 7 करोड़ की औषधियों की जिलों को आपूर्ति हेतु कॉनफैड के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निष्पादित की गयी। राजस्थान सरकार द्वारा औषधि की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु 30 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया। यह कॉनफैड को जो राशि दी है, उसमें उन्होंने 6 करोड़ की सप्लाई कर दी और 7 करोड़ की दवा की सप्लाई लगातार उन्होंने चालू कर रखी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पूछेंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कल हो गया न साहब। कल पूरा दिन हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको बोलने की कहां जरूरत पड़ रही है, कटारिया जी बोल रहे हैं न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि आपने दवाई के पेटे जो कुछ भी कॉनफैड को दिया, धरातल पर कितनी दवाइयां आपने पहुंचा दीं इस पैसे से, जो आपने स्वीकृत किया? वह मैं जानना चाहता था। आपने एक प्रश्न के जवाब में लिखा है कि लम्पी रोग को महामारी घोषित किये जाने के उपरान्त ही प्रदेश गोपालक को उसके गोवंश की मृत्यु होने का मुआवजा दिया जाएगा। मतलब केन्द्र अगर इसको आपदा घोषित नहीं करेगा तो आप राजस्थान के किसान को किसी भी प्रकार का इस डैथ में कोई सहयोग नहीं करने वाले न, यही है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्यों नहीं करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र क्यों नहीं करेगा, यह कैसे कह सकते हो आप? केन्द्र नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा केन्द्र? (व्यवधान) आप किसलिये बैठे हो? आप कहो केन्द्र से, आप दवाब बनाओ केन्द्र के ऊपर। केन्द्र के ऊपर दबाव बनाओ। (व्यवधान) आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो। (व्यवधान) खड़े होकर प्रश्न करते हैं, केन्द्र नहीं करेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपदा घोषित करो न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इनको किस खाते का अधिकार है, यह किस खाते में खड़े होकर बोलने लगे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें प्लीज। कटारिया जी बोल रहे हैं, फिर आप सब खड़े हैं। मेरा काम तो मुझे करने दो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपका मंत्री क्या योग्य नहीं है? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको जो राइट है, वह मेरे को भी है। (व्यवधान) आप हर प्रश्न पर खड़े होते हो, यह राइट किसने दिया आपको? (व्यवधान) मैं भी एम.एल.ए. चुनकर आया हूं यहां पर। (व्यवधान) ये हर प्रश्न पर खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) यह सदन केवल गुलाब चन्द कटारिया के लिए नहीं है, यह गोविन्द डोटासरा के लिए भी उतना ही है, जितना गुलाब चन्द कटारिया का है। (व्यवधान) जितना गुलाब चन्द कटारिया का है, उतना गोविन्द डोटासरा का भी है सदन। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। (व्यवधान) माननीय मदन जी। मदन जी, आप क्यों खड़े हैं? (व्यवधान) प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह प्रश्न पूछ रहा था कि क्या राज्य सरकार, केन्द्र इसको अगर आपदा घोषित नहीं करेगी, जैसे बाकी राज्यों ने किया, उसी तरह से आप मुआवजा दोगे या नहीं दोगे? यह पूछा है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल है। मंत्री और इनके बीच में आप नहीं, let him speak. मंत्रीजी जवाब दे देंगे। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब, प्लीज।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे

(श्री लालचन्द कटारिया)

मैंने जवाब के तीसरे खण्ड में यह बात कही है कि प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा भारत सरकार के प्रधान मंत्रीजी को दिनांक 29.8.2022 को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि प्राकृतिक आपदा अन्तर्गत लम्पी स्किन डिजीज को महामारी घोषित किया जाये ताकि पशुपालकों और गौशालाओं को इस बीमारी से मरने वाले गोवंश का मुआवजा दिलाकर पशुपालकों को राहत प्रदान की जाये, तो आप भी इसमें सहयोग कर दो। भारत सरकार को आप भी कहो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, let him speak. यह गलत परम्परा है। (व्यवधान)

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): दूसरा, मेरा यह कहना है कि एडवाइजरी के बारे में भी आपने कल बात कही थी उस टाइम मेरे पास यह कागज नहीं था। पहली एडवाइजरी हमने जारी की थी। वह 12.05.2022 को ही जारी कर दी थी। दूसरी एडवाइजरी की 27.07.2022 को। मेरा आपको यह निवेदन है कि यह जो लम्पी महामारी है, इसको हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, यदि भारत सरकार सहयोग करे तो हम देने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वासुदेव देवनानी।

पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन का निर्माण

486. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट 2019 में सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो प्रदेश में उक्त घोषणानुसार कितने भवन बनाये जाने थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हां, तो कितने भवनों की स्वीकृति कब जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भवन कितने क्षेत्रफल में निर्मित होंगे व उक्त का निर्माण कब से प्रारम्भ होगा तथा उक्त पर कितना-कितना व्यय होगा व कब तक उक्त भवनों का निर्माण पूर्ण होकर उपयोग में आने प्रारम्भ हो जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी हां। राज्य में कुल 126 अम्बेडकर भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। 126 भवनों की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 23.07.2022 (परिशिष्ट-1) एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 25.08.2022 को जारी की गई है। (परिशिष्ट-2)

(3) उक्त भवनों का निर्माण 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कराया जाना प्रस्तावित है। कुल राशि रु. 35 करोड़ की दिनांक 25.08.2022 को स्वीकृति जारी की गयी है। तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही जिलेवार प्रक्रियाधीन है। प्रत्येक भवन पर लगभग राशि रु. 50 लाख व्यय होने का अनुमान है। दिनांक 30.06.2023 से पूर्व इन भवनों का कार्य पूर्ण कर इनका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा 2019 के बजट में की गयी थी। मेरे प्रश्न लगने के बाद जो फरवरी में लगा, उसके बाद इन्होंने जाकर इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 23.07.2022 और वित्तीय स्वीकृति 25.08.2022 को की है। पहले प्रश्न में था कि हम सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर बनायेंगे तो क्या 126 के अलावा बाकी पंचायत समितियों में अम्बेडकर भवन बने हुए हैं या सरकार की मंशा बनाने की नहीं है? दूसरा, आपने इसमें तो लिखा 126 अम्बेडकर भवन हैं और जो वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है, वह 140 की हुई है तो यह 14 का क्या चक्कर है? यह मेरी समझ में नहीं आया। आप समझाएं कि 14 आप अपने घर में बनवाएंगे या पंचायत समिति में बनवाएंगे? जरा इसका उत्तर दें। मेरा यह पहला प्रश्न है, दूसरा फिर मैं बाद में पूछता हूं।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बजट घोषणा हुई थी, उस समय 295 पंचायत समितियां थीं और उसमें से कुछ नगरपालिका। जो HOD है प्रधान कार्यालय पंचायत समिति है, वहां नगरपालिका थीं, उसके बाद में 146 में से 20 उसमें चली गयीं, उसके बाद 126 बचीं और दुबारा भी जो अभी नई 57 पंचायत समितियां बनी हैं तो यह पूर्व की घोषणा है 2019-20 की तो यह कारण जान रहे हैं तो उसमें भूमि आबंटन होना और कन्वर्जन राशि, सहयोग राशि, एम.एल.ए. लैड से है, एस.एफ.सी. से है, तो समय पर नहीं मिलना, भूमि

(श्री रमेश चन्द मीना)

आबंटन होना, टेण्डर होना, तो प्रक्रिया में आते हुए अब 25.08.2022 को वित्तीय स्वीकृति जारी की है और भवन बनेंगे और जहां पर नगरपालिका क्षेत्रों की बात कर रहे हैं कि जहां हमने चालू कर दी हैं, उनको भी पूरा किया जाएगा, लेकिन जहां अप्रारम्भ है, वहां नहीं बनाये जाएंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, इन्होंने खण्ड-3 में यह कहा है कि प्रत्येक भवन पर 50 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। जब वित्तीय स्वीकृति आपने केवल 25 लाख ही की है और इसमें कन्वर्जन का तो मुद्दा ही नहीं, यह तो बजटीय घोषणा है। बजटीय घोषणा आधी कर रहे हो तो बाकी पैसा कन्वर्जन से, बाकी कैसे आएगा? पहली घोषणा में ही आपने ढाई-पौने तीन वर्ष स्वीकृति करने में लगाये हैं तो बाकी क्या आपके कार्यकाल में बन भी पाएंगे कि नहीं?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमने 2023 लास्ट का दिया है और आपको बता दें कि पहले 25 परसेंट सरकार को देना था। 75 परसेंट की जो घोषणा थी उसमें कंवर्जेंस के माध्यम से पैसा देना था, एस.एफ.सी., एफ.एफ.सी., हमारा आर.जी.एस.वाई. से, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के माध्यम से 4 लाख रुपये दिये जायेंगे, 3 लाख रुपये पंचायती राज से एसबीएम, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से दिये जायेंगे और 18 लाख रुपये मनरेगा के माध्यम से, क्योंकि ये भवन बन रहे हैं, ये स्पेशली ऐसे भवन बनेंगे जन उपयोगी, इनसे निजी आय भी होगी आपको। इनके लिए भूमि अलग से आबंटित की गयी है और जहां आबादी हो, उसके उपयोग में आ सके और इनका जैसे हमारे कोई ट्रेनिंग सेंटर है पंचायत लेवल पर, प्रशिक्षण होता है, आपके सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनके काम आ सके इसके लिए इनको बनाया जा रहा है। आज जो बात कर रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ये निजी आय के लिए भवन बना रहे हैं या जनता के या अम्बेडकर की भावनाओं का सम्मान करने के लिए कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। बजट घोषणा 2019-20 की है। जैसा ये लिख रहे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं कि 2023 के छठे महीने में पूरा होगा, मतलब 2023-24 के बजट में पूरा होगा। ये बजट घोषणा का कोई सम्मान है या बजट घोषणा की मजाक है?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 2020 से कोरोना आ गया था, मजाक की, आपको भी जानकारी है। पूरा पढ़कर बताऊं क्या कि किस तरह फाइल चली है? आप कहो तो वो बता दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, बोलें।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सबसे पहले यह तय हुआ था, हमारे बिन्दु संख्या 106, उसमें 27.08.2019 को वित्त विभाग को भिजवायी गयी, वित्त विभाग में सबसे पहले कार्यकारी एजेंसी पी.डब्ल्यू.डी. को रखा गया, उसके बाद में अनुसूचित जनजाति की बस्तियों के पास बनना चाहिए, ये चार साल में बनने थे, एक दिन में भी नहीं बनने थे, यह लिखा हुआ है। उसके बाद दुबारा मीटिंग हुई और वित्त विभाग को भिजवायी गयी, तो उन्होंने 25 परसेंट और 75 परसेंट के लिए कहा। फिर उसके बाद नाबार्ड के लिए भेजी गयी। (व्यवधान) नाबार्ड के बाद में फिर राज्य सरकार ने कहा कि 50 परसेंट हम देंगे और 50 परसेंट पंचायती राज विभाग के माध्यम से बनवायी जायेगी और उस पीरियड में एल.एल.ए. से भी पैसा लेना था, सिर्फ 3 एम.एल.ए. ने पैसा दिया, किसी एम.एल.ए. ने पैसा नहीं दिया और आपको बता दूं कि 2021 में हमने 9 वित्तीय स्वीकृतियां जारी कीं, जिनके काम चल रहे हैं। 2022 में। 17 स्वीकृतियां और भूमि आबंटन में मात्र उस समय 30 आबंटन हुए थे भूमि के, 2020 में 36, 2021 में 11 और लास्ट में बचे हुए शेष भूमि का आबंटन हो पाया है। जहां पर कार्य प्रारम्भ हो गये हैं, कुछ लिंटेल लेवल तक भी पहुंच गये हैं, कुछ आपके छत लेवल पर भी पहुंच गये हैं, कुछ में नींवें भरी गयी हैं, काम भी हुए हैं, ऐसे ही नहीं है कि काम नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे-जैसे हमें पैसा मिला है, हमें लास्ट में एक साथ पैसा मिला है तो शीघ्र ही हमने 2023 जो रखा है, सम्पूर्ण किये जायेंगे, इसमें क्या प्रोब्लम है?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट सहयोग नहीं कर रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको भेज दें सहयोग करने के लिए?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): वित्त विभाग इनको सहयोग नहीं कर रहा है, इनके पास पैसा नहीं है और अम्बेडकरजी के नाम पर भवन बना रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका फोटो आ गया, विराजिये आप। (व्यवधान) अपन कभी एम.एल.ए. बन जाते हैं, कभी मंत्री बन जाते हैं, ऐसा थोड़े ही होता है, प्लीज। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

माननीय मदनजी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप अपनी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। आप इस तरह से बिहेवियर करके पार्टी को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मजबूत।

श्री अध्यक्ष: यह प्लेटफार्म इस तरह का है जिस प्लेटफार्म से व्यक्ति अपने खुद के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाता है, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कम से कम बाबुलालजी, विधायक झाड़ोल की तरह से आइडियल विधायक बनने की कोशिश करो जिससे लोग प्रेरित हो सकें कि मदनजी भी एक आइडियल विधायक हैं।

अगला प्रश्न। श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

बसेड़ी में राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें

487. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में वर्तमान में किस-किस सामग्री के वितरण हेतु कितने राशन डीलर अधिकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विगत तीन वर्षों में उक्त के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस डीलर के विरुद्ध एवं कब? प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति कितनी खाद्य सामग्री कितने व्यक्तियों को दी जा रही है एवं वंचित व्यक्तियों को गेहूं देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में राशन सामग्री (गेहूं) के वितरण हेतु वर्तमान में कुल 117 राशन डीलर अधिकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कुल 43,802 परिवार (1,79,600 व्यक्ति) जिसमें अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार एवं अन्य चयनित पात्र लाभार्थियों को 05 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह खाद्यान्न (गेहूं) वितरित किया जा रहा है।

वर्तमान में इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को 05 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह नि:शुल्क वितरित किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गयी थी।

भारत सरकार को राजस्थान में वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर सीलिंग पुन: निर्धारित करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा माननीय प्रधान मंत्री महोदय को दिनांक 09.12.2019, 22.04.2020, 25.08.2020, 20.07.2021, 29.12.2021, 16.02.2022, सात बार प्रधान मंत्रीजी को मुख्य मंत्रीजी द्वारा पत्र लिखे गये हैं।

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की क्रियान्विति के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2022 व दिनांक 13.05.2022 को मध्य रात्रि से 28.05.2022 मध्य रात्रि तक पुन: खोला गया। उक्त अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से मैं पूछना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में गबन के कितने मामले पेंडिंग हैं और उनके माल की रिकवरी की क्या पोजिशन है? यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य, गबन के मामले आपके इस प्रश्न में नहीं हैं। यदि कोई गबन के मामले हैं, आप मेरे साथ बैठ जाना, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। आप कोई नई जानकारी भी देंगे तो आपके अनुसार कार्यवाही कर देंगे।

प्रश्न संख्या 488

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मुकेश कुमार भाकर।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री जोगेश्वर गर्ग।

जालौर के स्वर्णगिरि दुर्ग तक सड़क का निर्माण

489. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जालौर स्थित स्वर्णगिरि दुर्ग पर जाने के लिए सड़क निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या उक्त की डी.पी.आर. बन चुकी है? यदि हां, तो उक्त सड़क के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी व किस मद से व्यय की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): वर्तमान में जालौर स्थित स्वर्णगिरि दुर्ग पर जाने के लिए सड़क निर्माण हेतु कोई स्वीकृति विचाराधीन नहीं है।

नगर परिषद्, जालौर द्वारा आवेदन करने पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस सड़क निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण अनुमोदन) जून, 2022 में जारी की गयी है। द्वितीय चरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे-छोटे दो सवाल हैं। वन भूमि प्रत्यावर्तन के द्वितीय चरण की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी और उसके बाद डी.पी.आर. बनाकर स्वीकृति कब तक जारी कर देंगे?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का भाग, हमारी भूमि प्रत्यावर्तन की है उसकी स्वीकृति मिल गयी है और यह काम नगर परिषद् कर रही है, पी.डब्ल्यू.डी. नहीं कर रही है। सैकंड फेज का भूमि प्रत्यावर्तन के बाद फोरेस्ट विभाग के वन काटे जाते हैं, उनकी राशि जमा होती है। वह राशि जमा हो गयी है, यह तो फोरेस्ट

(श्री भजनलाल जाटव)

विभाग क्लियर करेगा कि कब तक हो जायेगी। यह नगर परिषद् का काम है। सड़क का वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर करेंगे, अभी कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

नसीराबाद में कोरोना से मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

490. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कोरोना से मृतकों के निराश्रित बच्चों एवं उनकी पत्नियों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं दिये जाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो जिला अजमेर में कितने निराश्रित बच्चों एवं महिलाओं को उक्त योजना का लाभ दिया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई एवं उनके आश्रितों को क्या-क्या लाभ दिए गये? तहसीलवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि व अन्य सरकारी लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ हुए प्रत्येक बच्चों तथा विधवा महिलाओं को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत निम्नानुसार सहायता राशि दिये जाने हेतु प्रावधान किया गया हैः-

1. प्रत्येक अनाथ बच्चे को तथा विधवा महिला को तात्कालिक सहायता के रूप में राशि रुपये 1.00 लाख एकमुश्त सहायता दी जाती है।

2. प्रत्येक अनाथ बच्चे को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 2,500/- रुपये प्रति माह सहायता दी जा रही है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपये देय है।

3. विधवा महिला को आजीवन 1,500/- रुपये मासिक पेंशन देय है।

4. विधवा महिला के बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000/- रुपये प्रति माह देय है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

5. प्रत्येक अनाथ बच्चे तथा विधवा महिलाओं के बच्चों को विद्यालय पोशाक, पाठ्यपुस्तकें आदि हेतु 2000/- रुपये प्रति बालक/बालिका एकमुश्त वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है।

अजमेर जिले में 701 विधवा महिलाओं व 13 अनाथ बालकों, कुल 714 विधवा महिला/अनाथ बालकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(2) चिकित्सा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में कोरोना से 91 लोगों की मृत्यु हुई। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जिला कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त भुगतान स्वीकृतियों के आधार पर मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत विधवा महिलाओं को 1.00 लाख रुपये एकमुश्त व 1,500 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन तथा उनके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह सहायता एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कोविड-19 अनुग्रह सहायता योजनान्तर्गत दिवंगत हुए लोगों के आश्रित/परिजन को 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत 52 विधवा महिलाओं को तथा कोविड अनुग्रह सहायता राशि अन्तर्गत 57 लोगों को लाभान्वित किया गया है।

(3) सरकार द्वारा मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत एवं कोविड अनुग्रह सहायता योजना में पात्रतानुसार बिन्दु संख्या 01 व 02 के अनुरूप लाभ दिया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): लाभान्वित पात्रता के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, आवेदन कितने लम्बित हैं और कितनों की राशि जारी कर दी गयी है, जिनकी डैथ कोरोना पीरियड में हुई है, जिन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिला है और जिन्होंने आवेदन किया है तो क्या सरकार उन्हें भी इस योजना में शामिल करने का विचार रखती है?

क्या सरकार मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के अलावा सरकारी नौकरी भी देने का विचार रखती है?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय

(श्री टीकाराम जूली)

अध्यक्ष जी, कोई पेंडेंसी नहीं है। जितने फार्म्स आये थे, सभी का भुगतान कर दिया गया है। जो रह गये, अब भी भुगतान प्रक्रिया चालू है, जो भी एप्लाई करेगा, उसे भुगतान कर दिया जायेगा।

तीसरा, कोरोना के समय जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें सरकारी नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके आश्रितों को नियमों के आधार पर नौकरी दी जाती है।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के आश्रित, जो 18 वर्ष पूर्ण होने पर हायर स्टडीज करना चाहते हैं, क्या सरकार उन्हें भी कोई अनुदान या लाभ प्रदान करने का विचार रखती है?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, इस समय जो योजनाएं हैं, वे मैंने बता दी हैं, जिनके अन्तर्गत हम बच्चों को लाभ दे रहे हैं। हायर स्टडीज हेतु कोरोना सहायता के तहत योजना नहीं है। समाज कल्याण की अन्य काफी योजनाएं हैं, जिनका लाभ बच्चों को दिया जाता है।

प्रश्न संख्या 491

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री राजकुमार रोत।

सीमलवाड़ा के आवासीय विद्यालय में विकास कार्य

492. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आवासीय विद्यालय, सीमलवाड़ा में विभिन्न मद में विकास कार्य हेतु वर्ष 2018 से दिनांक 10 सितम्बर, 2022 तक क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी? उक्त की निविदा प्रक्रिया क्या रही? वर्षवार व कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवासीय विद्यालय में वर्ष 2018 से दिनांक 10 सितम्बर, 2022 तक टूटे पलंग, दरवाजे, जालियां व संस्था की अन्य सामग्री को किसे विक्रय किया गया व उसकी नीलामी की क्या प्रक्रिया रही तथा उससे कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार रोत)

(3) उक्त आवासीय विद्यालय में सोलर सैट कब व कितनी लागत में लगाया गया तथा उसकी गारण्टी अवधि कितनी थी? क्या यह सही है कि उक्त सोलर सैट खराब पड़ा है? यदि हां, तो उसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा व इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व संवेदक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) आवासीय विद्यालय सीमलवाड़ा में वर्ष 2018 से अब तक क्रय की गयी सामग्री व उसकी टेण्डर प्रक्रिया के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2018 से अब तक विद्यालय के पलंग, दरवाजे, जालियां व अन्य अनुपयोगी सामग्री को भवानी स्क्रैप, सीमलवाड़ा को नीलामी से बेचा गया। सामग्री नीलामी का व्यापक प्रचार-प्रसार कर सामग्री को नीलाम किया गया। सामग्री की नीलामी से राशि रुपये 85,668 की आय हुई।

(3) आवासीय विद्यालय, सीमलवाड़ा हेतु वर्ष 2013 में आयुक्तालय के क्रय आदेश 336 दिनांक 03.09.2013 से डी.जी.एस. एण्ड डी रेट कान्ट्रैक्ट के आधार पर राशि रुपये 10,850 प्रति सिस्टम का प्रदान किया गया। इस कार्यादेश अनुसार सोलर सैट वारण्टी अवधि 36 माह की थी, जो कि डिलीवरी/ इंस्टालेशन, जो भी बाद में हो, से माना जाना था, जो कि पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में सोलर लाइट सिस्टम क्रियाशील नहीं है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अधीक्षक छात्रावास को रुपये 2,000 प्रति छात्र की दर से राशि रुपये 9.60 लाख उपलब्ध करवायी गयी, जिससे स्थापित सोलर सिस्टम को क्रियाशील किये जाने के निर्देश प्रदत्त किये गये थे।

सोलर पनघट वर्ष 2021 में लगाया गया जो क्रियाशील है। सोलर वाटर हीटर वर्ष 2014 में लगाया गया, जिसकी वर्तमान में 1 यूनिट क्रियाशील है व अन्य को ठीक कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

चूंकि वारण्टी गारण्टी अवधि पूर्ण हो चुकी है, अतः अधिकारी/संवेदक पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री राजकुमार रोत)

माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आवासीय विद्यालय, सीमलवाड़ा में जो अनुपयोगी सामग्री थी, उसकी जो नीलामी की गयी, उसका प्रचार-प्रसार कौन-कौन से अखबारों में किया गया व उसके लिए कितने लोगों ने हिस्सेदारी दी थी?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस आवासीय विद्यालय में टोटल कितने सोलर लाइट सिस्टम व वाटर हीटर लगे हुए हैं, उनकी कोस्ट क्या है और वे कितने समय से खराब पड़े हुए हैं?

श्री अध्यक्ष: एक-एक प्रश्न पूछें। दो-दो बहुत जल्दी हो जायेगा।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सामग्री की नीलामी की गयी, उसकी सूचना 21.02.2022 को जनजाति आयुक्तालय, उपायुक्त महोदय, जनजाति, डूंगरपुर, नोटिस बोर्ड, उपायुक्त कार्यालय टी.ए.डी. डूंगरपुर, नोटिस बोर्ड पंचायत समिति कार्यालय, सीमलवाड़ा, झूतरी, चीखली, सागवाड़ा, गलियाकोट, डूंगरपुर, बिछीवाड़ा, साबला आसपुर, इन सभी पंचायत समितियों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी थी।

दूसरा प्रश्न उन्होंने सोलर का पूछा है। सोलर सिस्टम में एक यूनिट जिसकी कोस्ट 10,850 रुपये है। इस तरह की 18 यूनिट्स उसमें लगती हैं। उसमें जो सोलर सिस्टम है, वह गारण्टी पीरियड के बाद में पूर्ण रूप से बन्द है। उसकी रिपेयरिंग के लिए विभाग ने 9 लाख 60 हजार रुपये दे दिये। उसके साथ में जो सोलर पनघट पानी सप्लाई करता है, सोलर से उसकी मोटर चलती है, वह चालू है। सोलर वाटर हीटर 2014 में लगा। उसकी एक यूनिट चालू है। बाकी बन्द हैं। इस तरह सोलर पूर्ण रूप से बन्द है। साथ ही, माननीय विधायक महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो उसे ठीक करने हेतु राशि दी है, उसका उपयोग पूर्ण रूप से हुआ अथवा नहीं, मैं उसकी जांच पूर्ण रूप से करा लूंगा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सोलर लाइट सिस्टम और सोलर वाटर हीटर 2014 में लगे थे। वे 2016 से अब तक खराब पड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष विभाग से 9 लाख 56 हजार के आस-पास पैसा दिया जा रहा है। पांच साल से जो ये खराब पड़े हुए हैं, उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार था और उस पर

(श्री राजकुमार रोत)

क्या कार्रवाई की जायेगी? जो पैसा दिया गया, उसका अभी तक उपयोग क्यों नहीं किया गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

साथ ही, मेरा एक प्रश्न और था। वह जो विद्यालय है, वहां बिना विज्ञप्ति के एक व्याख्याता को लगा दिया गया है। इन्हीं कारणों की वजह से यह सारी अव्यवस्था हो रही है। माननीय मंत्री महोदय, क्या आप विधिवत तरीके से उस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है, उसके लिए विज्ञप्ति जारी कर काउंसलिंग कराने की मंशा रखते हैं? साथ ही, ये जो सोलर सिस्टम, वाटर हीटर खराब पड़े हैं, क्या आप उन्हें ठीक कराने और उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि विभाग ने सोलर लाइट्स ठीक करने के लिए जो राशि दी है, उसका यदि दुरुपयोग किया गया है या उसका उपयोग नहीं किया गया है तो हम एक कमेटी बनाकर जांच करा लेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

जहां तक प्रिंसिपल का सवाल है, अभी लेटेस्ट हमारे पास में शिक्षा विभाग ने एन.ओ.सी. दी है। उस एन.ओ.सी. में अगर वहां का प्रिंसिपल नहीं है तो हम स्पेशल विज्ञप्ति निकालकर वहां के प्रिंसिपल के लिए आवेदन मांगेंगे।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): कार्रवाई कितनी अवधि में की जायेगी और कमेटी में कौन-कौन रहेंगे? जिला स्तरीय या सम्भाग स्तरीय अधिकारी रहेंगे?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): आप जैसे भी सजेस्ट करेंगे, आपके हिसाब से ही कमेटी में लोग रख लेंगे। आपको भी रख लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

होम गार्ड के जवानों का नियमितीकरण

493. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार होम गार्ड जवानों को नियमित रूप से रोजगार प्रदान करने व सेवाकाल में आयु सीमा पुलिस की भांति 60 वर्ष करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(2) क्या सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा अनुसार होम गार्ड जवानों के लिए सेवा नियम बनाने हेतु अधिनियम की धारा 162-163 में संशोधन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार होम गार्ड जवानों की सेवामुक्ति पर उनके कल्याण हेतु कोई एकमुश्त राशि प्रदान करने तथा सेवाकाल के दौरान होम गार्ड जवान की मृत्यु होने पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा (श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा): (1) गृह रक्षा विभाग होम गार्ड जवानों को नियमित करने का विचार नहीं रखता है, क्योंकि राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 एवं राजस्थान होम गार्ड्स नियम, 1962 के अनुसार यह एक स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवकों को नियमित रूप से रोजगार दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

गृह रक्षा विभाग होम गार्ड्स स्वयंसेवकों की सेवाकाल में आयु सीमा पुलिस की भांति 60 वर्ष करने का विचार नहीं रखता है। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

अधिसूचना दिनांक 01.06.2021 द्वारा स्वयंसेवकों की अधिकतम आयु सीमा 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष निर्धारित की गयी है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) गृह रक्षा विभाग राज्य मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा अनुसार होम गार्ड जवानों के लिए सेवा नियम बनाने हेतु अधिनियम की धारा 162-163 में संशोधन का विचार नहीं रखता है। यह एक स्वयंसेवी संगठन होने के कारण स्थायी सेवा नहीं है। सेवा स्थायी नहीं होने के कारण सेवा नियम बनाने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हैं।

(3) गृह रक्षा विभाग द्वारा होम गार्ड जवानों की सेवामुक्ति पर उनके कल्याण हेतु विभागीय कल्याण कोष से एकमुश्त राशि दिये जाने का वर्तमान में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है:-

i. गृह रक्षा स्वयंसेवक की 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गृह रक्षा की सदस्यता से पृथक होने पर अधिकतम राशि दो लाख रुपये (2,00,000/-) तक दिये जाने का प्रावधान है।

ii. स्वयंसेवक द्वारा, स्वेच्छा से 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर गृह रक्षा की सदस्यता से पृथक होने पर, अधिकतम राशि एक लाख रुपये (1,00,000/-) दिये जाने का प्रावधान है।

(राज्य मंत्री, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा)

उपरोक्त के अतिरिक्त विभागीय कल्याण कोष से एकमुश्त राशि दिये जाने का निम्नानुसार प्रावधान किया गया है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है:-

i. गृह रक्षा स्वयंसेवक की नियोजन (आन ड्यूटी) अवधि के दौरान मृत्यु होने पर मनोनीत आश्रित को अधिकतम राशि तीन लाख रुपय (3,00,000/-) दिये जाने का प्रावधान है।

ii. आनरोल स्वयंसेवक, जिनका गृह रक्षा विभाग द्वारा नियोजन नहीं किया गया हो (आफ ड्यूटी), की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अधिकतम राशि दो लाख पचास हजार रुपये (2,50,000/-) दिये जाने का प्रावधान है।

iii. वित्त (रूल्स) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(3)एफडी/रूल्स/2014 दिनांक 15.03.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 व 76 के अन्तर्गत स्वयंसेवक की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक्स-ग्रेसिया अधिकतम राशि बीस लाख रुपये (20,00,000/-) तक दिये जाने का प्रावधान किया गया है। विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

होम गार्ड्स स्वयंसेवकों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसके स्थान पर होम गार्ड्स स्वयंसेवक की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अनुकम्पात्मक नामांकन विभागीय परिपत्र क्रमांक 1713.54 दिनांक 28.01.2019 द्वारा गृह रक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित किये जाने का प्रावधान किया गया है। विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर बताये हैं, मेरे पास उत्तरों की दो कापियां हैं। एक उत्तर है उसमें पहला जो मूल प्रश्न है वह उसमें से हटवा दिया है। दूसरे वाला जो उत्तर है उसमें तीन उत्तर जो दिये गये हैं उन तीन उत्तर में एक उत्तर मेरे प्रश्न को मिलाकर दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने जो उत्तर दिया उनमें किस प्रश्न के उत्तर में से मैं पूरक प्रश्न करूं? ये उत्तर की दो कापियां हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको यदि कांट्राडिक्शन है तो उसका दूसरा तरीका है। आप लिखकर दो, उसकी जांच करायेंगे। अभी तो जो प्रश्न पूछा है उसका प्रश्न पूछ लो आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, दोनों ही उत्तर माननीय सदस्य को दिये हैं। एक उत्तर वह दिया है जो माननीय सदस्य ने 1 से लेकर 5 तक प्रश्न पूछे थे। इन्होंने उसमें दो को हटाकर तीन, चार, पांच का जवाब तो, अभी जो इन्होंने पढ़ा है, वह दिया है। एक जो जवाब भेजा उसमें था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा होम गार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल के समान न्यूनतम वेतन प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्णय है। इसका मतलब जोधपुर हाई कोर्ट ने पुलिस के समान होम गार्ड को भी वेतन मिले, यह निर्णय किया हुआ है। यह इनके इससे लग रहा है और इन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि यह परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। अभी जो उत्तर पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं तीन, चार, पांच। एक और दो को इसमें से गायब कर दिया, यह है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप बोलें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के नेता को बताना चाह रहा हूं कि यह विभाग आपके पास भी लम्बे समय तक रहा है और पुलिस के समान की बात है तो यह एक स्वयंसेवी संगठन है तथा यह सेवा नहीं है और सेवा नहीं होने के कारण यह मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह जो प्रश्न लिस्ट हुआ है न, उस लिस्ट के हिसाब से जवाब है। आपने जो प्रश्न लिखकर भेजा है उसको सैक्रेटेरिएट ने मॉडिफाई किया है, वह आपको कम्युनिकेट किया होगा। इस उत्तर के अलावा उत्तर आया है क्या आपके पास? कटारिया जी जो उत्तर बता रहे हैं, यह उत्तर की कापी आपके पास आयी है क्या?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लास्ट वाले तीनों पैरा हैं उनके उत्तर तो समान हैं और जो मेरा मूल प्रश्न है उसमें से पहला बिन्दु गायब है।

श्री अध्यक्ष: कौनसे प्रश्न में? जो आपको प्रिंटेड मिला है? मूल प्रश्न को एडिट करने का अधिकार सैक्रेटेरिएट को है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 एवं राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1962 के अनुसार जैसा आपने बताया है और इसे एक स्वयंसेवी संगठन आपने माना है, परन्तु वर्तमान में

(श्री संदीप शर्मा)

जो परिस्थितियां हैं, होम गार्ड की भर्ती की क्या व्यवस्था है, उनके भविष्य के प्रति सकारात्मक नजरिया रखते हुए क्या सरकार पूर्व के अधिनियमों के संशोधन करके उनकी कार्य अवधि 60 वर्ष एवं उन्हें नियमित करने की मन्शा रखती है? पहला तो यह है।

दूसरा, मंत्री महोदय बताएं कि बिन्दु संख्या 3 के परिशिष्ट संख्या "य" में होम गार्ड के मृत आश्रितों को गृह रक्षा की सदस्यता प्रदान करने की अनुमति आपने प्रदान की तो इस सम्बन्ध में अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और जो लम्बित हैं उन्हें कब तक आप स्वीकृति दे देंगे?

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यह एक स्वयंसेवी संगठन है, यह सेवा नहीं है और सेवा नहीं होने की वजह से पुलिस के समान भत्ता, तनख्वाह और बाकी सारे एडवांटेज देने के लिए हमारा विभाग सहमत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। सुश्री दिव्या मदेरणा।

जोधपुर में आबंटित शराब की दुकानें

494. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में सरकार द्वारा आबंटित शराब की दुकान के अलावा अन्य ब्रांचों में भी शराब की बिक्री हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त जिले में विगत दो वर्षों में विभाग या स्थानीय पुलिस के पास ब्रांच लगाकर शराब बेचने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं व उक्त पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने हेतु आबकारी नियमों के अंतर्गत खुदरा विक्रय हेतु लाइसेंस प्राप्त कर दुकान की लोकेशन स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है। दुकानों की अवस्थिति के संबंध में राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 में मापदण्ड निर्धारित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(आबकारी मंत्री)

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा आबंटित शराब की दुकान के अलावा अन्य स्थानों पर शराब की बिक्री निषिद्ध है।

(3) जिला जोधपुर में स्थानीय पुलिस को ब्रांच लगाकर शराब बेचने की प्राप्त शिकायतों पर दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): Can I ask a supplementary straight forward? सर, मैं सीधा सप्लीमेंट्री ही पूछ लूं सीधा।

श्री अध्यक्ष: हां। सप्लीमेंट्री पूछ लें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सर, आपने स्वयं स्वीकार किया है कि ब्रांच के नाम पर शराब बेचने की शिकायतें स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई हैं उसका आपने खण्ड तीन में उत्तर दिया है। यह देखा गया है कि यह बहुत औपचारिकता मात्र ही साबित होती है। एक जगह पुलिस उस पर कार्यवाही करती है और वह लोकेशन बदलकर दूसरी जगह खोल लेता है। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर उन दुकानों का लाइसेंस आप लोग निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सवाल किया कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस सस्पेंड क्यों नहीं होता। मैंने आपको बताया कि इस तरह की कोई शिकायत लाइसेंसकर्ता के खिलाफ मिली नहीं है और न किसी ने शिकायत की है। पुलिस ने जरूर वहां पर एक्साइज का केस बनाया है। पुलिस को जरूर शिकायतें मिली थीं और पुलिस ने वहां पर 54 केस बनाये हैं। एक्साइज वालों को इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली कि लाइसेंसी शर्तों का उल्लंघन कर रहा है।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सर, जब पुलिस जिनके खिलाफ चालान पेश कर रही है और आप उसका सूची में जवाब दे रहे हैं तो स्वतः आपके काग्नीजेंस में, नॉलेज में आ गया कि यह उल्लंघन हो रहा है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पुलिस को जो शिकायतें मिलीं वे लाइसेंसकर्ता की नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। ये शिकायतें जो इल्लीगल शराब गांवों में बनाते हैं उनकी शिकायतें हैं। पुलिस को सूचना

(श्री परसादी लाल)

मिलती है तो वह उनको रोकने की कार्यवाही करती है। लाइसेंसकर्ता के खिलाफ एक भी शिकायत अब तक विभाग को नहीं मिली है।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती प्रीति गजेन्द्र शक्तावत। आप प्रश्न पूछ लें।

पशु चिकित्सकों एवं पशुधन सहायकों के रिक्त पद

495. श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में पशु चिकित्सकों एवं पशुधन सहायकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भर्ती के माध्यम से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर संविदा पर कार्मिक नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में पशु चिकित्सकों एवं पशुधन सहायकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	रिक्त
पशु चिकित्सा अधिकारी	8
पशुधन सहायक	40

जी हां। वर्तमान में 197 पशु चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक अस्थायी आधार पर (यू टी बी) पर नियुक्ति दी गई है तथा 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियमित भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त 1,436 पशुधन सहायकों की नियमित भर्ती के तहत 730 पशुधन सहायकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष पशुधन सहायकों की नियमित नियुक्ति एवं 300 पशुधन सहायकों की अस्थायी आधार पर (यू टी बी) नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(2) जी नहीं।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 21 पशुधन सहायक की नवनियुक्ति की परन्तु मैं यह जानना चाहती हूं कि वर्तमान में लम्पी रोग के लिए, जो बहुत तेजी से फैल रहा है, मैनपावर की बहुत जरूरत है, इसलिए उनके लिए अतिरिक्त पशु चिकित्सक और पशुधन सहायक की नियुक्ति करेंगे या नहीं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में जो 730 एल एस ए के पद हमको नये मिले हैं उनमें से उदयपुर जिले में 43 पद भरे गये हैं और उनमें से आपके विधान सभा क्षेत्र में 21 पशुधन सहायक लगाये गये हैं। जो डाक्टर्स की भर्ती की बात है उसमें 900 डाक्टर्स की भर्ती थी उसकी कल भी उच्च न्यायालय में तारीख थी और आने वाली 27 तारीख उसमें हुई है। जैसे ही वहां से क्लियर होगा, हम आपके लगा देंगे।

(समय: 12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछना है? अगला प्रश्न, संयम लोढ़ा।

सिरोही में जल जीवन मिशन योजना के लम्बित कार्य

496. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित सिरोही जिले की पेयजल योजनाओं के कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कौन-कौन से कार्य अब तक सरकार के स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में पेयजल कार्यों की स्वीकृति मय कंटींजेंसी प्लान की प्रगति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) दिनांक 24 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत बजट भाषण में वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लगभग 4 हजार 700 करोड़ रुपये की 12 नवीन वृहद् पेयजल परियोजनाओं का काम प्रारम्भ किये जाने हेतु की गई घोषणा में सिरोही जिले की 02 पेयजल परियोजनाएं क्रमश: बत्तीसा नाला वृहद् पेयजल परियोजना

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(सिरोही-पिण्डवाड़ा-आबू रोड) राशि रुपये 408.24 करोड़ तथा शिवगंज वृहद् पेयजल परियोजना राशि रुपये 294.09 करोड़ की सम्मिलित की गई थी।

बजट घोषणा की अनुपालना में उक्त वर्णित दोनों पेयजल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

बत्तीसा नाला वृहद् पेयजल परियोजना:- विधान सभा क्षेत्र सिरोही, आबू-पिण्डवाड़ा एवं रेवदर के क्रमश: 09 ग्राम, 26 ग्राम एवं 01 ग्राम, इस प्रकार कुल 36 ग्रामों की पेयजल मांग सम्मिलित करते हुए 32 ग्रामों (04 ग्रामों की अन्त: वितरण प्रणाली का कार्य अन्य जल योजनाओं में स्वीकृत) में उक्त मिशन के तहत हर घर क्रियाशील जल सम्बन्धों द्वारा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तथा सिरोही जिले के 03 कस्बों क्रमश: सिरोही, पिण्डवाड़ा एवं भावरी की पेयजल मांग उक्त परियोजना के आधारभूत संरचना कार्यों में ली जाकर राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की दिनांक 11.02.2021 को आयोजित 20वीं बैठक द्वारा राशि रुपये 408.24 करोड़ (राज्य सरकार एवं भारत सरकार की हिस्सा राशि क्रमश: रुपये 214.32 करोड़ एवं रुपये 193.92 करोड़) की प्रथम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा हिस्सा राशि में परिवर्तन होने के कारण दिनांक 29.11.2021 को आयोजित 30वीं बैठक द्वारा राशि रुपये 408.24 करोड़ (राज्य सरकार एवं भारत सरकार की हिस्सा राशि क्रमश: रुपये 320.11 करोड़ एवं रुपये 86.40 करोड़ तथा जन सहभागिता राशि रुपये 1.73 करोड़) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। उक्त पेयजल परियोजना परियोजना की दिनांक 18.08.2022 को राशि रुपये 127.82 करोड़ की संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी की गई।

उक्त परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उक्तानुसार दो बार जारी होने, तद्नुसार एवं बी.एस.आर. संशोधित होने पर संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी होने, आमंत्रित निविदा में निविदाकर्ता द्वारा भाग नहीं लेने इत्यादि कारणों से इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ है।

उक्त पेयजल परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 24.08.2022 को आमंत्रित की गई निविदा दिनांक 27.09.2022 को खोली जानी प्रस्तावित है।

शिवगंज वृहद् पेयजल परियोजना:- विधान सभा क्षेत्र सिरोही-शिवगंज

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की तहसील शिवगंज के 71 ग्रामों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की दिनांक 11.02.2021 को आयोजित 20वीं बैठक द्वारा राशि रुपये 294.09 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। विभागीय नीति निर्धारण समिति की 204वीं बैठक दिनांक 18.05.2021 द्वारा उक्त स्वीकृति के अनुमोदन के उपरान्त वित्त विभाग द्वारा दिनांक 05.07.2021 को वित्तीय सहमति प्रदान की गई। शिवगंज तथा विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त उक्त परियोजना अन्तर्गत 68 ग्रामों (विस्तृत सर्वेक्षण में 03 ग्राम नॉन-फिजिबल पाये गये) हेतु राशि रुपये 136.02 करोड़ की संशोधित तकनीकी स्वीकृति दिनांक 18.08.2022 को जारी की गई।

उक्त परियोजना अन्तर्गत जवाई बांध में शिवगंज तहसील के उक्त ग्रामों हेतु जल आरक्षण की सहमति दिनांक 04.05.2022 को प्राप्त होने तथा बी.एस.आर. संशोधित होने पर संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी होने के कारण इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ है।

उक्त पेयजल परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 30.08.2022 को आमंत्रित की गई। निविदा दिनांक 06.10.2022 को खोली जानी प्रस्तावित है।

उक्त दोनों पेयजल परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्यादेश जारी किये जाकर, परियोजनाएं वर्ष 2024 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है।

(2) सिरोही जिले में कुल सम्मिलित 474 ग्रामों में से 104 ग्रामों की पेयजल मांग एवं 100 ग्रामों में पेयजल वितरण प्रणाली के कार्य का प्रावधान लेते हुए वर्णित दो वृहद् परियोजनाओं में सम्मिलित किये जाकर, इनका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु उक्तानुसार निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

वृहद् पेयजल परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य जल योजनाओं में उक्त जिले के 222 ग्राम सम्मिलित किये जाकर, इन ग्रामों हेतु 213 जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 352.49 करोड़ की जारी की जाकर इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन जल योजनाओं की वर्तमान स्थिति/प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त जिले के 105 ग्रामों हेतु 104 जल योजनाओं के बनाये गये प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति की प्रक्रिया में विचाराधीन हैं तथा इनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

सिरोही जिले के उक्तानुसार शेष रहे 47 ग्रामों में से तहसील आबूरोड की ग्राम पंचायत, मूंगथला का 01 ग्राम झामर पूर्व से ही शत-प्रतिशत जल संबंधों द्वारा लाभान्वित होने, कस्बा आबूरोड सहित इसकी परिसीमा में आने वाले 07 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति का कार्य आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा प्रगति पर होने, 01 ग्राम वर्तमान में गैर-आबाद होने, 02 ग्राम क्रमश: भावरी एवं जावाल सेन्सस कस्बों में परिवर्तित होने तथा 36 ग्रामों की वर्तमान आबादी कम, बिखरी एवं विस्थापित होने तथा सस्टेनेबल जल स्रोत नहीं मिलने के कारण उक्त मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन ग्रामों की जल योजनाओं के प्रस्ताव बनाये जाना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं रहा है। उक्त 47 ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) सिरोही जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु माह दिसम्बर, 2018 से माह अगस्त, 2022 की अवधि में जल जीवन मिशन के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम/मदों तथा कंटींजेन्सी के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं इनकी वर्तमान स्थिति का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-द एवं परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लें, एक मिनट में, एक ही अलाउ है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 11 फरवरी, 2011 को दो वृहद् पेयजल योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति हुई और अभी तक उसका काम चालू नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके अलावा 56 योजनाएं, जिनकी पहले 9 महीने से डेढ़ साल में एफ.एस. हुई इनका भी काम चालू नहीं हुआ है तो इसके लिए कौन रेस्पोंसिबल है?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: Please be brief. I have exceeded the limit. Please be brief.

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जे.जे.एम. की जो योजनाएं हैं, उनकी एक लम्बी प्रक्रिया होती है और बहुत सारे ऐसे कारण हैं। आपने ब्रीफ में करने के लिए कहा है। इसके 5-6 कारण हैं, या तो आपको अलग से बता दूं और यदि आप मुझे अनुमति दें तो पूरा बता दूं।

श्री अध्यक्ष: आप उनको अलग से बता देना। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल की ओर से शाहपुरा बाईपास के निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि का कृषकों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को माली-सैनी-कुशवाह समाज के युवाओं द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा थर्मल पावर प्लाण्ट की यूनिट 4 में कथित रूप से सिविल वर्क में हो रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से आसीन्द नगरपालिका में बार-बार अधिशासी अधिकारी को बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री नारायण बेनीवाल एवं श्री पुखराज गर्ग, सदस्य की ओर से भूतपूर्व सैनिकों को होरिजेंटल आरक्षण में व्याप्त विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से मालपुरा में भारी वर्षा के कारण किसानों की फसलें नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा में फसल बीमा क्लेम की बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से ओ.बी.सी. आरक्षण के नियमों में किये गये संशोधन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री बाबू लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के उपखण्ड कोटड़ा में पेयजल हेतु चक साडमारिया एवं बुज का नाका बांध निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री गोपीचंद मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसपुर के तहसील दोवड़ा में 12 ग्रामदानी गांवों को राजस्व गांव घोषित करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले में जले हुए एग्रीकल्चर एवं घरेलू ट्रांसफार्मरों को नहीं बदले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से पुलिस थाना पनियाला तहसील कोटपूतली में दर्ज प्रकरण संख्या 60/2020 में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री कैलाशचन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा में एनएच 927 के निर्माण हेतु की जा रही भूमि अवाप्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) निम्नांकित माननीय सदस्यों से राज्य में विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत संबंधी समस्याओं के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं-

1. श्री मदन दिलावर
2. श्री धर्मेन्द्र कुमार
3. श्री वासुदेव देवनानी
4. श्रीमती शोभा चौहान
5. श्री गोविन्द प्रसाद
6. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल
7. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या
8. श्री रामप्रताप कासनियां
9. श्री राजेन्द्र राठौड़
10. श्री फूल सिंह मीणा
11. श्री सतीश पूनियां
12. श्री सुभाष पूनिया

(श्री अध्यक्ष)

13. श्री छगनसिंह
14. श्री कालूराम
15. श्री पुष्पेन्द्र सिंह
16. श्री अभिनेश महर्षि
17. श्री बिहारीलाल
18. श्रीमती कल्पना देवी
19. श्रीमती संतोष
20. श्री गुरदीप सिंह
21. श्री अर्जुन लाल जीनगर
22. श्री अमृतलाल मीणा
23. श्री जोराराम कुमावत
24. श्री गोपाल लाल शर्मा
25. श्री जगसी राम
26. श्री नारायण सिंह देवल
27. श्री ललित कुमार ओस्तवाल
28. श्री निर्मल कुमावत
29. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी
30. श्री ज्ञानचंद पारख
31. श्री सुरेश सिंह रावत
32. श्री राम लाल शर्मा
33. श्री हरेन्द्र निनामा
34. श्री बलवीर सिंह लूथरा
35. श्रीमती अनिता भदेल
36. श्री गुलाब चन्द कटारिया

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, श्री जब्बर सिंह सांखला, श्री नारायण बेनीवाल तथा श्री पुखराज गर्ग, श्री बलजीत यादव, श्री बलवान

(श्री अध्यक्ष)

पूनियां, श्री बाबूलाल, श्री गोपीचंद मीणा एवं श्री कैलाशचन्द्र मीणा को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को सदन में राज्य में विद्युत की स्थिति पर चर्चा होगी, उस समय माननीय सदस्यों को अपनी विषय वस्तु रखने का अवसर प्राप्त होगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को प्रतिवर्ष जाति प्रमाण पत्र बनवाने की अनिवार्यता से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विशिष्ट लहसुन मण्डी छीपाबड़ौद में व्याप्त समस्याओं के सम्बन्ध में।

(3) श्री नरपत सिंह राजवी, सदस्य की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत जयपुर शहर में सर्वे करवाकर वंचित क्षेत्रों में विकास कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से मेडिकल कालेज जोधपुर एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों सहित अन्य संवर्गों के पदों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, काकड़ा को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किये जाने एवं शिक्षकों के पद रिक्त होने से शिक्षण कार्य में उत्पन्न अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में पेयजल की आपूर्ति समय पर नहीं होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(7) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव में 220 केवी सब स्टेशन का कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से बूंदी शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की अविलम्ब मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से रामगंज मण्डी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कूकडा, कुंभकोट, लक्ष्मीपुरा में 40 साल से बसे निवासियों को आवासीय पट्टे जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से आमेर फोर्ट से कुण्डा सड़क के नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम हरजी में पशुधन सहायक के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में।

(15) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से सैनी समाज के युवाओं पर दर्ज मुकदमों को शीघ्र वापस लेकर सैनी समाज के युवाओं को शीघ्र रिहा किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल। श्री जब्बर सिंह सांखला।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आसीन्द नगरपालिका में स्थायी अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रक्रिया एवं नियम 50 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र आसीन्द एक नगरपालिका क्षेत्र है। वहां पिछले एक वर्ष से कोई भी अधिशासी अधिकारी नहीं लगा हुआ है। अस्थायी रूप से अधिशासी अधिकारी लगते हैं और बार-बार द्वेषतापूर्वक तरीके से उनको बदल दिया जाता है। जब अस्थायी अधिशासी अधिकारी लगा हुआ है तो उसको बार-बार बदलने का कोई तुक समझ में नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी भी यहां

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

नहीं हैं, बार-बार अधिशासी अधिकारी को बदलने से वहां का विकास ठप होता है और अभी वर्तमान में 8 सितम्बर को अजमेर जिले के विजयनगर में जो अधिशासी अधिकारी लगे हुए हैं, उनको मेरे वहां आसीन्द में लगाया गया है और 9 सितम्बर को राजस्थान सरकार की एक योजना, शहरी रोजगार गारन्टी योजना का शुभारम्भ था। उस दिन भी ई.ओ. साहब वहां नहीं थे। 8 तारीख को जॉइन करके गये, न तो चेयरमैन साहब को सूचना दी, न किसी पार्षद को सूचना दी, न मुझे सूचना दी। उस कार्यक्रम में हम लोग बिना बुलाये गये थे और वह कार्यक्रम हम लोगों ने कराया था।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हर साल आसीन्द में दशहरा मेला भरता है, वह भी इस वजह से बाधित हो रहा है। पिछले दो साल में कोरोना की वजह से हम यह कार्यक्रम कर नहीं पाये। अब दशहरा नजदीक आने में है और अस्थायी अधिशासी अधिकारी लगने से और जो अधिशासी अधिकारी हमारे वहां अस्थायी रूप से लगे हुए हैं उनका अता-पता ही नहीं रहता है। वे कितनी तारीख को आएंगे, हफ्ते में कितने दिन वे आसीन्द नगरपालिका में रहेंगे, यह भी हमको सूचना नहीं मिलती है। किसी को पता नहीं है, लोग परेशान हैं। नगरपालिका में आए दिन धांधली-पट्टी होती रहती है। मेरा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि कोई भी अधिशासी अधिकारी लगायें। एक परमानेंट अधिशासी अधिकारी आसीन्द नगरपालिका में लगाया जाये ताकि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता को मिल सके। ऐसा मेरा आपसे निवेदन रहेगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

भूतपूर्व सैनिकों के होरिजेंटल आरक्षण में विसंगति

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज ओ.बी.सी. वर्ग से जुड़े युवा जो पूरे प्रदेश में उद्वेलित हैं और अपने हकों के लिए सड़क से लेकर और सब जगह संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि 17.04.2018 को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार एक परिपत्र लेकर आयी और उसमें पूर्व सैनिकों के हॉरिजेन्टल आरक्षण को लेकर ओ.बी.सी. के युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए

(श्री नारायण बेनीवाल)

विशेष चर्चा आप इस सदन के अन्दर रखवाते क्योंकि यह बहुत लम्बा-चौड़ा मामला है और बहुत बड़ा जो वर्ग है ओबी.सी. का, साठ प्रतिशत से भी ज्यादा जिसकी आबादी है, उसके युवाओं के हितों पर कहीं न कहीं कुठाराघात हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई उसमें ओबी.सी. पुरुषों के पदों की संख्या 554 दिखायी गयी थी लेकिन अन्तिम रूप से जब चयनित हुए तो एक भी पद पर कोई भी ओ.बी.सी. वर्ग का युवा इसके अन्दर चयनित नहीं हुआ। इसी तरह राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में 87 पदों की भर्ती थी उसमें 43 पदों पर, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में 630 की जगह...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, नहीं, you have your chamber, please go to your chamber.

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): ...630 पद जो थे उसके अगेंस्ट में सिर्फ 75 पदों पर इनकी भर्ती हुई। पटवारी सीधी भर्ती में 603 की जगह 105, उद्योग प्रसार अधिकारी के 9 पदों की भर्ती में 1 पद पर चयनित हुए। कृषि पर्यवेक्षक में 231 की जगह 49 और कृषि पर्यवेक्षक में 309 की जगह सिर्फ 128 पदों पर ये अन्तिम रूप से चयनित हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, चूंकि आने वाला साल चुनावी साल है, 2018 के बाद भी जब कांग्रेस की सरकार आयी और कुछ जो मंत्री थे उस टाइम जो आज मंत्री नहीं हैं वे जरूर बिगुल बजा रहे हैं। जब वे सत्ता में थे, कैबिनेट में थे तो वे लोग इसका ध्यान रखते तो कहीं न कहीं ओ.बी.सी. के युवाओं के हितों पर कुठाराघात नहीं होता। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ओबी.सी. वर्ग जो सबसे बड़ा वर्ग है, इसके लिए विप्र फाउण्डेशन ट्रस्ट की तरह ही आप ओ्.बी.सी. कल्याण बोर्ड का भी गठन करें और मैं चूंकि ओ.बी.सी. कमेटी में भी हूं आज तक ये बड़ी विडम्बना है कि ओ.बी.सी. कमेटी की कोई भी मीटिंग...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): ...और सारगर्भित बातें सदन में होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि ओ.बी.सी. वर्ग के युवा जो आन्दोलित हैं जिनको एक तरफ आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज हो गया। माननीय बैठें। श्री पुखराज गर्ग।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): दूसरी तरफ वो सड़कों पर आकर संघर्ष करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि इस मामले को आप दिखा कर ओ.बी.सी. के युवाओं को न्याय दिलायें।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका आभार, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 17 अप्रैल, 2018 को कार्मिक विभाग के द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें जो एक्स सर्विसमेन का 12.5 प्रतिशत का कोटा एक संवैधानिक आरक्षण था, उस आरक्षण को इन्होंने इस परिपत्र के जरिये सम्पूर्ण रूप से ओ बी सी आरक्षण के अन्दर मर्ज कर दिया। आर्डर निकाला उसमें यह लिखा गया, "The reservation of Ex-servicemen shall be treated as horizontal reservation and it shall be adjusted in the respective category to which the Ex-servicemen belong." तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर जो तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और आकाश, उन तीनों सेनाओं में जो 80 से 90 प्रतिशत सैनिक हैं, अधिकारी हैं वो ओ.बी.सी. वर्ग से आते हैं और यह 12.5 प्रतिशत ओ.बी.सी. वर्ग का इस तरह से हॉरिजेन्टल जो रिजर्वेशन है वह उस respective category के अन्दर मर्ज करने से सबसे ज्यादा उन युवाओं को नुकसान हुआ है जो ओ.बी.सी. वर्ग से बेरोजगार हैं वो अपनी कम्पीटिशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि 17 अप्रैल, 2018 का जो परिपत्र जारी किया गया है उसको तुरन्त प्रभाव से विदड्रा किया जाये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): अध्यक्ष महोदय, मैं भी ओ.बी.सी. की जो ...(व्यवधान) मैं इनके पक्ष में हूं। मैं अनुरोध करूंगी सरकार से कि..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आपकी भावना मान ली। रूलिंग पार्टी के सदस्य स्थगन प्रस्ताव में नहीं होते। आपकी भावना मान ली।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मैं फिर भी अनुरोध करूंगी सरकार से कि 17 अप्रैल के इस परिपत्र को कैन्सिल किया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह स्थगन प्रस्ताव की परम्परा है। प्लीज। यह कोई तरीका नहीं है। श्री बलजीत यादव।

बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 50 के तहत ओ.बी.सी.सी.,एच.ए. कम्प्यूटर शिक्षक सहित अन्य बेरोजगारों की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी ओ.बी.सी. के बेरोजगार युवाओं के साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है और हैरान हूं मैं इस बात को लेकर कि इतने दिनों से हजारों युवा अलग-अलग जगह आन्दोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं नहीं समझता कि सरकार के किसी भी व्यक्ति ने उनकी मांगों को सीरियसली लिया हो, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको सीरियस लिया हो और उसके समाधान के बारे में कोई प्रयास किया हो। अन्याय ऐसा हो रहा है कि 2019 से लेकर आज तक एक लाख जो भर्तियां निकली हैं उनमें ओ.बी.सी. के बेरोजगार युवाओं का सलेक्शन जीरो है। एक लाख भर्तियों में एक भी ओ.बी.सी. के युवा को नौकरी नहीं मिली है और उसके ऊपर कोई विशेष चर्चा इस सदन में होनी चाहिये यह मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से। 28 हजार सी.एच.ए. दर-दर की ठोकरें खाते हुए सड़क पर फिर रहे हैं। क्यों लगाया था सरकार ने उनको और लगाया था तो न्याय करे उनके साथ में। उनके साथ में बात करे और इसी प्रकार से कम्प्यूटर शिक्षक...

सदन कूप में

(राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। आपसे चैम्बर में बात हो गयी। आप अपनी-अपनी सीट पर जाएं।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती 10 हजार है। पेपर ऐसा दिया जाता है आई.ए.एस. के जैसा। कांस्टेबल का एग्जाम लिया जाता है उसमें पेपर दिया जाता है जो आई.पी.एस. में सलेक्ट हो गया वह भी सॉल्व नहीं कर सकता। क्या चाहती है सरकार? सरकार यह चाहती है कि किसान, मजदूर का बच्चा नौकरी पर नहीं जाये। एक मंत्री स्टेटमेंट देता है कि दुर्भाग्य है कि किसानों के बच्चे नौकरी लगने जा रहे हैं।

(श्री बलजीत यादव)

क्या पेट में दर्द हो गया? हजारों करोड़ का मालिक वह केन्द्रीय मंत्री कह रहा है कि किसानों के बच्चे नौकरी लग रहे हैं, यह दुर्भाग्य है। शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। हो गया प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या इन्होंने ठेका उठा लिया कि आई.ए.एस. इनके बच्चे बनेंगे, आई.पी.एस. इनके बच्चे बनेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चैम्बर में बात हो गयी आपसे। बैठें, प्लीज। माननीय सदस्य, आप अच्छा बोलते हैं। बोलते हैं तो सदन में सब आदमी सुन रहे हैं न। आप धीरे बोलोगे तो सब सुन लेंगे। आप पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं वैसे मत बोलो। माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये। श्री बलवान पूनियां। माननीय सदस्य, मिस्टर पुखराज, मैं नैक्स्ट टाइम आपकी पार्टी को बोलने के लिए डिप्राइव करूंगा। मैं आपकी पार्टी को बोलने के लिए डिप्राइव करूंगा, you cannot take these two things. बोलना भी चाहें और करना चाहें जो करें। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मिस्टर पुखराज गर्ग, आपकी पार्टी गलत काम कर रही है। प्लीज, समझ नहीं आ रहा है आपको। मैंने आपको पहले भी कहा था। कभी तख्ती लेकर आ जाते हैं। आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मुझे सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। Please go to your chair. श्री बलवान पूनियां। Please go to your chair. आपकी बात हो गयी। Don’t impose. I said, Mr. Pukhraj Garg, you are a leader. मैंने आपको चैम्बर में क्या कहा था? Next time I will not allow anything to you and your party. कोई रिकार्ड नहीं होगा। बोलें, श्री बलवान पूनियां।

फसल बीमा क्लेम की बकाया राशि का भुगतान

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के नियम 50 में स्थगन प्रस्ताव पर फसल बीमा जैसी महत्वपूर्ण योजना पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

अध्यक्ष महोदय, भादरा विधान सभा क्षेत्र व हनुमानगढ़ जिले में नोहर में दो-तीन गांवों में ढंढेरा और मल्सीसर में फ्रॉड का मामला 2020 में आया था। बीमा कम्पनी ने उसको मुद्दा बनाकर के जिन किसानों ने फ्रॉड नहीं किया, 2020 का बीमा क्लेम अभी भी पचास करोड़ रुपये मेरे विधान सभा क्षेत्र के बकाया हैं।

बहिर्गमन

श्री पुखराज (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि मेरे इलाके के किसानों का बीमा क्लेम मय ब्याज उनके खाते में डलवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से 2021 के खरीफ का बीमा क्लेम जो अब तक किसानों के खाते में आ जाना चाहिये था वह बीमा क्लेम अभी तक नहीं आया। बीमा कम्पनी सिर्फ दो सोसायटियों में हुए फ्रॉड को मुद्दा बनाकर के टांग लगा रही है। मैंने बार-बार कृषि मंत्री महोदय से, राजस्थान सरकार से मांग की, लेकिन भारत सरकार के यहां चिट्ठी जाने के बाद अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा की बात पर ज्यादा गौर नहीं किया जा रहा है। मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भादरा विधान सभा क्षेत्र सहित हनुमानगढ़ जिले और चूरू जिले के किसान का 2021 का बीमा क्लेम क्रोप कटिंग आधारित गणना करके तुरन्त ब्याज सहित उनके खाते में डलवाया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबुलाल।

चक साडमारिया व बुज का नाका बांध की स्वीकृति का निरस्तीकरण

श्री बाबु लाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि झाडोल विधान सभा क्षेत्र में पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेयजल के लिए दो बांधों की घोषणा की थी, बुज का नाका और चक साडमारिया। वहां से पानी को डाइवर्ट करके आप जोधपुर लायेंगे और जोधपुर को पानी पिलायेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर 9 पंचायतें प्रभावित हो रही हैं। 9 पंचायतों में कम से कम 15-20 हजार मतदाता हैं और हजारों की संख्या में किसान हैं। अध्यक्ष महोदय जी, खातेदार किसानों का आपने आकलन किया होगा, लेकिन वहां का किसान है, बेटा अलग हो गया, उसके

(श्री बाबु लाल)

पास पड़त जमीन थी, उसको खेती योग्य बनाकर वह उससे जीवन यापन कर रहा है। ऐसे कई किसान हैं जो खातेदार नहीं होंगे लेकिन वहां पर वह अपने परिवार का पेट पाल रहा है। इन बांधों की घोषणा होने के बाद वहां विस्थापन में आने वाले किसानों के मन में बहुत बड़ी चिंता है। चिंता ही नहीं है बल्कि वह भरपेट भोजन भी नहीं खाता है और यह चिंता सताती है कि हमारा विस्थापन होगा तो हम कहां जायेंगे। वहां पर जमीन कहीं है नहीं, आप उनका पुनर्वास कर नहीं सकते हो और उधर जंगल का डंडा है। जंगल वाले वहां नहीं रहने देंगे। अध्यक्ष महोदय जी, आप मुआवजा दोगे तो वह व्यक्ति उस मुआवजे का क्या करेगा? वहां पर उन लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिये हैं। अभी अधिकारियों के साथ बैठक हुई, उस बैठक में लोगों ने यह कहा कि पहले हमको मार दीजिए उसके बाद आप बांध बनाइए, यहां तक वह लोग तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप वहां सेई डैम और कालीबोर, दो बांध बनाकर जोधपुर में पानी पिला रहे हो, जवाई बांध में लाकर पानी पिला रहे हो। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां के लोगों की समस्या को देखते हुए आप इन बांधों को निरस्त करने की कार्यवाही करें और उन लोगों को राहत पहुंचाये क्योंकि विस्थापन गरीब आदमी का ही होता है और विस्थापन होने के बाद वह कहीं का नहीं रहता है, वह परिवार उजड़ जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार को कहें कि सरकार इसको निरस्त करने की कार्यवाही करे। यही कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचंद मीणा।

दोवड़ा तहसील के 12 ग्रामदानी गांवों की राजस्व गांव के रूप में घोषणा

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे आसपुर विधान सभा क्षेत्र में दोवड़ा पंचायत समिति में 12 ग्रामदानी गांव हैं। आसपुर में 4 गांव ग्रामदानी हैं। इन गांवों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वहां के कृषकों को नहीं मिलता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार उन गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करे। यहां तक कि उनको किसान सम्मान निधि

(श्री गोपीचंद मीणा)

योजना का पैसा भी नहीं मिलता है। इनको सरकार की तरफ से जो भू-आबंटन होता है, वह भी नहीं होता है। इससे वहां के काश्तकार बहुत दुःखी हैं। मेरी आपसे विनती है कि इन गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करें, ताकि इन गांवों के लोगों को फायदा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो यहां निवेदन किया जाता है उसको हमारे मंत्री महोदय सुनते जरूर हैं, लेकिन आपके आदेश की भी पालना नहीं करते हैं, इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में जो बात होती है, उस आदेश की पालना करना जरूरी है। मैंने आपके सामने दो बातें की हैं, लेकिन अभी तक मेरा उन मंत्रियों ने काम नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके द्वारा इनको कोई हिदायत मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को प्रतिवर्ष जाति प्रमाण पत्र बनवाने की अनिवार्यता में छूट

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को प्रतिवर्ष जाति प्रमाण पत्र बनवाने की अनिवार्यता से हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निवेदन है कि प्रदेश में हर साल 23 लाख नये अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) प्रमाण पत्र सरकार द्वारा बनाये जा रहे हैं, जबकि ओ.बी.सी. में शामिल 91 जातियों के 60 लाख युवाओं को हर साल इन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण कराना पड़ रहा है। इस पर प्रति आवेदन लगभग 300 रुपये से ज्यादा के खर्च के चलते इन युवाओं को हर साल अकेले नवीनीकरण पर ही 180 करोड रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। लम्बी कतारों में लगकर लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह कि उक्त प्रमाण पत्र सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष के लिए जारी किये जाते हैं। नया वित्तीय वर्ष लागू होते ही इनका नवीनीकरण कराना जरूरी है। साथ ही ओ.बी.सी. के युवाओं को क्रीमिलेयर व नॉन क्रीमिलेयर की परिस्थिति से भी गुजरना पड़ रहा

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

है जिसमें सालाना 8.5 लाख से कम आय पर नॉन क्रीमिलेयर व 8.5 लाख से अधिक आय पर क्रीमिलेयर श्रेणी का प्रमाण पत्र बनता है। प्रतिवर्ष प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के चलते हर साल आय प्रमाण की पटवारी, ग्रेड-वन अधिकारी रिपोर्ट बनाकर देते हैं।

ऐसे में अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को अपने विभिन्न कार्यों के चलते उक्त प्रमाण पत्र बनवाने के फेर में कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जबकि होना यह चाहिए कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आर्थिक पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर ही प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र की वैधता भी 3 वर्ष के लिए की जानी चाहिए। साथ ही जाति के स्थान पर केवल आय प्रमाण पत्र का नवीनीकरण होना चाहिए, जिसे भी 3 साल तक की स्वघोषणा के आधार पर मान्य किया जाना चाहिए।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के साथ जाति प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण की विसंगतियों को दूर करते हुए आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आधार पर ही अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों को अनिश्चित काल के लिए स्थायी करते हुए आय प्रमाण पत्रों की 3 साल की वैधता प्रदान करने का श्रम कर राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन भी लगाया था, यह बहुत महत्वपूर्ण था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आपको इस पर बोलना है या उस पर बोलना है? (व्यवधान) मदन जी बैठे हैं इसलिए उन्होंने माइक चालू नहीं किया।

छीपाबड़ौद की विशिष्ट लहसुन मण्डी में व्याप्त समस्याएं

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से विशिष्ट लहसुन मण्डी, छीपाबड़ौद में व्याप्त समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के छीपाबड़ौद कस्बे में लहसुन की विशिष्ट मण्डी है। क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में लहसुन की खेती की जाती है। राज्य सरकार द्वारा छीपाबड़ौद में विशिष्ट लहसुन मण्डी का निर्माण कराया है। राजस्थान प्रदेश के किसानों सहित मध्यप्रदेश के किसान भी प्रतिदिन अपनी लहसुन की फसल का बेचान करने के लिए छीपाबड़ौद लहसुन

(श्री प्रताप सिंह)

मण्डी में आते हैं। उक्त लहसुन मण्डी में कई प्रकार की समस्याएं हैं। मण्डी परिसर कच्चा होने के कारण कीचड़ व गन्दगी बनी रहती है। लहसुन मण्डी परिसर में पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मण्डी में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदगी का अंबार लगा रहता है। मण्डी परिसर में असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं व आये दिन चोरियां होती रहती हैं। परिसर में पुलिस चौकी नहीं है। सरकार द्वारा 08 बीघा भूमि आबंटित की गई है, किन्तु अभी तक मण्डी परिसर में शामिल नहीं किया गया है। विशिष्ट लहसुन मण्डी, छीपाबड़ौद को छबड़ा मण्डी से अलग किया जाए और सचिव व कार्मिकों की नियुक्ति की जावे।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि विशिष्ट लहसुन मण्डी, छीपाबड़ौद में व्याप्त समस्याओं का समाधान किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नरपत सिंह राजवी।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत राशि का आबंटन

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से एवं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय का ध्यान केन्द्र सरकार की स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक राज्य को उक्त योजना के तहत की जाने वाली राशि के आबंटन की ओर आकर्षित कर लेख है कि राजस्थान को आबंटन राशि में से जयपुर को लगभग 450 करोड़ रुपये आबंटित किये गए हैं। जयपुर शहर राज्य में सर्वाधिक एवं घनी आबादी का शहर है। अधिकांश जयपुर में तो सीवर लाइन डाल दी गई है लेकिन कुछ पुराने गांव एवं ढाणियां जो नगर निगम क्षेत्र में तो हैं, लेकिन उस क्षेत्र की जमीन के लेवल के कारण वर्तमान में चल रही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से उन्हें नहीं जोड़ा जा सका है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजस्व ग्राम हरमाड़ा तथा बढ़ारणा में सीवर लाइन अभी तक नहीं डाली गई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्थित सर्वे करवाकर इस सुविधा से वंचित क्षेत्र में विकास कार्य करवाने पर गन्दगी से निजात मिलेगी। यहां जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि भी उपलब्ध है, ताकि ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मनीषा पंवार।

जोधपुर मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों सहित अन्य संवर्गों के पदों में वृद्धि

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि डा. एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर के अधीन मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। माननीय मुख्य मंत्री जी की चिरंजीवी योजना एवं निःशुल्क दवा योजना के सफलतापूर्वक शुरू होने के पश्चात् चिकित्सालय में ओ.पी.डी. एवं आई.पी.डी. का मरीज भार लगभग 30 प्रतिशत अधिक बढ़ गया है।

वर्तमान में माननीय मुख्य मंत्री ने मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में कई नये विभागों की सौगात दी है, लेकिन इस चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी है मुख्यतया नेफ्रोलॉजी एवं यूरोसर्जरी के, जिस कारण जोधपुर में रेनल ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार कार्डियोलॉजी विभाग में मरीजों का भार अधिक है, लेकिन कार्डियो डाक्टर की कमी है। अतः एम.डी.एम. चिकित्सालय, जोधपुर में नेफ्रो, यूरोलोजिस्ट एवं कार्डियो के सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों को लगाया जाना आवश्यक है। यदि इन विषयों में चिकित्सा शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं तो इन्हीं स्पेशियलिटी के मेडिकल आफिसर्स लगाये जा सकते हैं।

विगत 15 वर्षों से डा. एस. एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर में जितने चिकित्सा अधिकारी के पद थे उतने ही आज भी हैं (पूर्व में 37 पद थे आज भी 37 पद ही हैं) जबकि मेडिकल कालेज, जोधपुर के अधीन चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं का 15 वर्षों में अधिकतम विस्तार हुआ है एवं मरीज भार में भी वृद्धि हुई है। अतः निवेदन है कि चिकित्सा अधिकारियों के पद बढ़ाये जायें। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों की अतिशीघ्र नियुक्ति प्रदान की जावे।

चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही अन्य संवर्गों के पदों में भी वृद्धि की जावे यथा आहार विशेषज्ञ, नर्सिंग कार्मिक, लैब टेक्निशियन एवं मंत्रालयिक संवर्ग भी लगाये जाएं जिससे चिकित्सालय का सुचारु रूप से संचालन हो सके एवं मरीजों को लम्बी-लम्बी कतारों से राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल।

काकड़ा के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय का अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन तथा शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां

श्री बिहारीलाल (नोखा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि नोखा विधान सभा क्षेत्र में बजट घोषणानुसार राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, काकड़ा को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित किया गया है। इस विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन 470 है और यह विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से होने के कारण सभी बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। इस विद्यालय के स्थान पर अन्य विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनाने की मांग को लेकर ग्रामवासियों व छात्राओं द्वारा कई दिनों से तालाबंदी करके विरोध प्रदर्शन किया गया। दिनांक 13 सितम्बर को मैंने स्वयं ने मौके पर जाकर ब्लाक शिक्षा अधिकारी को बुलाकर ग्रामवासियों व छात्राओं से वार्ता की और निदेशक को दूरभाष पर अवगत करवाया। उसी दिन इस विद्यालय के स्थान पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बस स्टैंड को डी-मर्ज करके महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बनाने का प्रस्ताव पारित करके उच्च अधिकारियों को भेजा और उच्च अधिकारियों द्वारा एक माह में यह निर्णय करने की बात पर धरना समाप्त करवाया। इसलिए बालिकाओं की शिक्षा को देखते हुए सरकार तत्काल राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बस स्टैंड, काकड़ा को डी-मर्ज करके महात्मा गांधी विद्यालय बनाए।

इसके अलावा नोखा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भामटसर जो नेशनल हाईवे 62 पर स्थित है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि इस ग्राम पंचायत में हिन्दी माध्यम का एक भी विद्यालय नहीं है। आस-पास जो हिन्दी माध्यम का प्राथमिक विद्यालय है, वह गांव से 7 किमी. दूर है। इस गांव में जो हिन्दी माध्यम का उच्च माध्यमिक विद्यालय था, उसको सरकार ने अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राएं शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। इस विद्यालय में दसवीं बोर्ड परीक्षा का सेन्टर भी था, जो अब पास के छोटे से गांव में शिफ्ट हो गया है, जिससे आस-पास के 5-6 गांव के छात्र-छात्राओं को परेशानी हो रही है। सरकार से निवेदन है कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भामटसर को डी-मर्ज करके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भामटसर के रूप में पुनः चालू किया जाये, ताकि गांव के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़े।

(श्री बिहारीलाल)

उपरोक्त के अलावा नोखा विधान सभा क्षेत्र के दर्जनों विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलनरत हैं। राउमावि, सांईसर; राउमावि, दावा; राउमावि, मूंदड़; राउमावि, गजसुखदेसर; राउमावि, सियागों की ढाणी पांचू सहित दर्जनों विद्यालयों में धरना प्रदर्शन व तालाबन्दी हुई है। ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर कुछ दिनों के लिए इधर-उधर से कार्य-व्यवस्थार्थ शिक्षक लगाये जाते हैं परन्तु थोड़े दिनों बाद स्थिति जस की तस हो जाती है। अतः सरकार से निवेदन है कि सभी विद्यालयों में तुरन्त रिक्त पद भरे जाएं, ताकि विद्यालयों में नियमित पढ़ाई हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर शहर में पेयजल आपूर्ति में अव्यवस्था

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से अजमेर में पेयजल आपूर्ति 72 घंटे से 96 घंटे होने के संबंध में निवेदन है कि भले ही भरपूर बरसात से बीसलपुर बांध लबालब होकर छलका हो, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पेयजल अजमेर शहर को नहीं मिल पा रहा है। बीसलपुर बांध से पर्याप्त पेयजल नहीं मिलने से आज भी शहरवासियों को पेयजल संकट से दो चार होना पड़ रहा है।

बीसलपुर बांध अजमेर के लिए बना और वादा किया गया कि अजमेर को 24 घंटे पानी मिलेगा, लेकिन 24 घण्टे तो दूर 48 घंटे में भी पेयजल नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में निम्न शहरी क्षेत्र में 72 से 96 घंटे के अंतराल में पेयजल आपूर्ति है।

- वार्ड-02 स्थित कोटडा, पसन्द नगर, प्रगति नगर, बैरवा बस्ती, तेजा चौक, हरिभाऊ उपाध्याय नगर प्रगति नगर A ब्लाक।

- वार्ड 03 स्थित आर. के. पुरम, बी.के. कोल नगर, श्रीजी विहार।

- वार्ड-05 स्थित प्रकाश नगर, शिव नगर, शिव शक्ति कालोनी, श्याम नगर, मोची मोहल्ला, बजरंग कालोनी, खटीक बस्ती, ज्योति नगर।

- वार्ड-14 स्थित खटीक बस्ती, रत्या गली, रूघनाथ मंदिर गली, लक्की चप्पल वाली गली, गुर्जर मौहल्ला, ढोली मौहल्ला, झुल्ला मौहल्ला आदि में पेयजल आपूर्ति में गन्दा पानी आने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

- वार्ड-16 स्थित उसरी गेट, भील बस्ती, नाथ की बगीची, ठठेरा चौक, खजूर का बाड़ा, चटाई मौहल्ला, नवाब का बेड़ा, चांद बावड़ी, ममता साड़ी, रावण की बगीची रोड, लुहार बस्ती।

- वार्ड-63 स्थित प्रताप नगर, पीली खान, सूर्यनगर, जेलर गली, गुर्जर बस्ती।

- वार्ड-72 स्थित दाता नगर।

- वार्ड-74 स्थित आतेड़ बगीची।

- वार्ड-75 स्थित यू.आई.टी. कालोनी, बलदेव नगर सी ब्लाक, करणी नगर।

-वार्ड-76 स्थित गणेश गवाडी ए, बी, सी, ब्लाक।

-वार्ड-77 स्थित केशव नगर, श्रीराम विहार, जनता कालोनी, इनकम टैक्स कालोनी, माधव नगर, गांधी गृह, टेगोर कालोनी, गांधी नगर।

ग्राम काजीपुरा, माकड़वाली और लोहागल की स्थिति और भी खराब है। इन क्षेत्रों में 6-7 दिन के लंबे अंतराल के बाद 30 मिनट की पेयजल आपूर्ति के साथ धीमी गति से पानी आना भी एक बड़ी समस्या है। पेयजल आपूर्ति का प्रेशर इतना कम होता है कि व्यक्ति दो मटके भी पानी नहीं भर पा रहा है।

अजमेर में पेयजल आपूर्ति सिस्टम पूर्णरूप से फेल है। संबंधित विभागीय अधिकारी इसको लेकर गंभीर नहीं हैं। पेयजल को लेकर लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है, जिसके परिणामस्वरूप जनता धरना-प्रदर्शन कर रही है। शहर के सारे जन प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता आफिस जल भवन व जिलाधीश महोदय के यहां गुहार लगा चुके हैं। इतना होने के बाद भी कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। बीसलपुर बांध के तृतीय चरण निर्माण को लेकर सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हाल ही में 48 घंटे में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और आगे जाकर इसे 24 घंटे के अंतराल में पानी आपूर्ति की योजना बनाये जाने की सख्त आवश्यकता है। संबंधित अधिकारी इसको लेकर कार्यवाही नहीं करते हैं तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई करें। जनता का धैर्य अब जवाब देता जा रहा है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार अजमेर क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से 48 घंटे में पेयजल आपूर्ति कराने की दिशा में संबंधित विभाग को

(श्री वासुदेव देवनानी)

पाबंद करे। साथ ही 24 घंटे के अन्तराल में पेयजल आपूर्ति की कार्ययोजना बनाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश प्रदान कर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करावे।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से कोटा शहर की उखड़ी व टूटी सड़कों से आये दिन हो रहे दर्दनाक हादसों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निवेदन है कि कोटा शहर में सड़कों का बुरा हाल है। जगह-जगह सड़कें खुदी हुई हैं। कई जगह की सड़कें पूर्ण रूप से उखड़ चुकी हैं। सड़क पर मोटी गिट्टी व मिट्टी पड़ी हुई है और बड़े-बड़े गड्ढे हो रहे हैं जिससे पग-पग में गिट्टी-मिट्टी और बड़े गड्ढे आये दिन हादसों को न्योता दे रहे हैं। इन पूरी सड़कों पर दिन भर धूल के गुबार उड़ते रहते हैं। गड्ढों के कारण वाहनों के कलपुर्जे भी खराब हो रहे हैं। सड़क हादसों में कोटा में गत माह से एक के बाद एक मौतों का सिलसिला जारी है। आये दिन सैकड़ों वाहन चालक इन सड़कों पर गिर कर गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं तथा चिकित्सालय में दुर्घटनाग्रस्त मरीजों की भीड़ लगी है, जिसकी खबरें कोटा के समाचार पत्रों में रोजाना प्रकाशित हो रही हैं। कोटा सड़क हादसों का शहर बन गया है। आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा सीवरेज पाइप लाइन डालने का कार्य भी किया जा रहा है। विभाग व संवेदक द्वारा शहर की मुख्य सड़कों व गली मोहल्लों की सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है जिससे आमजन भारी परेशानी में है। कोटा में आये दिन आमजन और कई संगठनों द्वारा धरने व प्रदर्शन किये जा रहे हैं, परंतु कोटा शहर की सड़कों के सुधार के लिए संबंधित विभाग कोई विशेष रुचि नहीं ले रहा है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को रोजाना दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के तलवंडी, विज्ञान नगर, गणेश तलाव, शिवपुरा, दादाबाड़ी, समतलाई, मुख्य मार्ग कैथूनी पोल क्षेत्र, दादाबाड़ी, बालाकुंड, वसंत विहार, संतोष नगर, सम्पूर्ण महावीर नगर एवं विस्तार, केशवपुरा शापिंग सेंटर, गुमानपुरा बाजार, श्रीनाथपुरम, आर के पुरम, महावीर नगर, अनंतपुरा, जवाहर नगर आदि क्षेत्रों की मुख्य सड़कों के शीघ्र निर्माण करवाने की महती आवश्यकता है। गत बजट

(श्री संदीप शर्मा)

सत्र में मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जिले में जिन सड़कों की घोषणा की गई थी, उन पर भी अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्य नहीं किये गये है तथा कुछ एक सड़कों का निर्माण कर अधिकारियों व संवेदकों द्वारा लीपापोती कर दी गई है, जिनकी गुणवत्ता भी जांच का विषय है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस लोक महत्व के विषय पर विचार करते हुए कोटा की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करवाया जाए, ताकि रोजाना हो रहे सड़क हादसों पर नियंत्रण हो सके और आने-जाने वाले राहगीरों को अकारण मृत्यु का शिकार न होना पड़े।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना में अतिवृष्टि से किसानों को नुकसान

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में लगातार बारिश के कारण किसानों की खरीफ की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है जिसके कारण किसानों के जीवन-यापन करने में संकट उत्पन्न हो चुका है एवं जानवरों के लिए चारे की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। अतिवृष्टि के कारण क्षेत्र में जगह-जगह छोटी एवं बड़ी पुलियाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं एवं वर्ष 2021 में भी अतिवृष्टि के कारण फ़सलें एवं पुलिया, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थीं, लेकिन आज तक सरकार की अनदेखी के कारण विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को उक्त समस्या का लगातार सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों की लापरवाही कहूं या सरकार की अनदेखी कहूं आम किसान एवं जनता खून के आंसू रो रही है। सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं लगातार किसानों के मुआवजा एवं अतिवृष्टि से हुए नुकसान के बारे में इस सदन को बार-बार अवगत करा रहा हूं एवं संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी उचित कार्यवाही नहीं होती है जिससे क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। मुआवजा राशि ऑनलाइन-ऑफलाइन के चक्कर में अधिकारी किसानों को कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर कर रहे हैं और कहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व एप चालू नहीं किया गया। इस प्रकार अधिकारी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वर्ष 2022 में अतिवृष्टि से किसानों की फ़सलें बर्बाद हो चुकी हैं। मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाकर फसलों के बारे में जानकारी ली एवं जनता से रूबरू हुआ, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की सुध लेने नहीं पहुंचा।

(श्री गोविन्द प्रसाद)

इसी प्रकार सड़क, पुलिया क्षतिग्रस्त होने पर आज दिनांक तक एक भी सड़क, पुलिया का सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया एवं फसल बीमा की राशि भी किसानों के खाते में समय पर नहीं आती है। संबंधित कंपनियों को पाबंद कर शीघ्र ही किसानों को राहत प्रदान करें। यह राज्य सरकार की विफलता को दर्शाता है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अधिकारियों को आदेश प्रदान करें जिससे शीघ्र ही क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हाकम अली।

किसानों को फसल बीमा का लाभ

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राज्य में हो रही फसल बीमा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, मुझे ज्ञात हुआ कि फसलों की बीमा के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर भिन्न-भिन्न ब्लाक के लिए भिन्न-भिन्न फसलों एवं किस्मों को नोटिफाई कर दिया जाता है। बीमा कंपनियां उस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में पैदावार देने वाली फसल का चुनाव कर किसान का फसल बीमा कर देती हैं, चाहे उसके खेत में किसी अन्य फसल को बोया गया हो।

अध्यक्ष महोदय, बीमा कंपनियों द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को अंधेरे में रखा जाता है। उन्हें बीमित फसल की जानकारी दिये बगैर उनके खातों से बीमा राशि की कटौती कर किसी भी फसल का बीमा कर दिया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक भी भोले व बीमा पालिसियों के नियमों से अज्ञान किसान भाइयों के साथ बीमा कंपनियों द्वारा की जाने वाली जालसाजी में साझेदार बनते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बैंक किसानों के खाते से फसल बीमा के नाम पर खाते से रुपये ऐंठ लेते हैं और किसानों की फसल की बीमा नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कई बार किसान द्वारा अपने खेत में सरसों की खेती की जाती है, परन्तु बैंक व बीमा कंपनी द्वारा उसको बताए बिना अथवा सरकार के नोटिफिकेशन का हवाला देकर उसके खेत के लिए गेहूं की फसल का बीमा कर दिया जाता है। अब यदि उस किसान के खेत में सरसों का फसल खराबा होता है तो बीमा कम्पनी आसानी से क्लेम आवेदन को

(श्री हाकम अली खां)

अस्वीकार कर देती है तथा किसान व सरकार द्वारा भरी गई प्रीमियम राशि डकार जाती है, जिससे किसानों के साथ धोखा होता है व बीमा कंपनियां मोटा मुनाफा कमाती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नियम बनाकर फसल बीमा के सम्बन्ध में बीमित होने वाली एवं बोई जाने वाली फसल का चुनाव करने का अधिकार किसान साथियों को दिया जाए। फसल बीमा हेतु क्षेत्र के अनुसार फसल का पूर्व निर्धारण नहीं कर वास्तविकता में धरातल पर किसान द्वारा अपने खेत में बोई जाने वाली फसल का बीमा करवाया जावे तथा किसानों को फसल बीमा का उचित लाभ मिल सके, इसके लिए आवश्यक प्रावधान किये जाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री अमीन खां। श्री अशोक डोगरा। एक मिनट अशोक जी। अमीन खां जी।

शिव में 220 केवी के सब-स्टेशन का कार्य

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त विषय में विशेष उल्लेख के जरिये राजस्थान विधान सभा और राजस्थान सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी द्वारा किसानों के हित में 220 केवी का सब स्टेशन जोरानाडा, शिव में स्वीकृत किया है जिसकी सिविल कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और जमीन भी अलॉट हो गई है। चारदीवारी भी बन चुकी है, लेकिन प्रसारण अधिकारियों द्वारा जी.आई.बी., गोडावण एरिया का बहाना बनाकर इस सब-स्टेशन का काम शुरू नहीं किया जा रहा है। बहाना यह है कि ये गोडावण एरिया है और यहां गोडावण को खतरा है।

असल बात यह है कि तहसील शिव में तमाम गांवों में अंबानी और अडाणी की कंपनियों ने बिजली पैदा करने का काम शुरू कर दिया है। जहां हवा के बड़े-बड़े पंखे लग चुके हैं और सोलर की मशीनें लग चुकी हैं और सोलर से बिजली बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहां हम गोडावण को खतरा नहीं मानते हैं और इस 220 के वी स्टेशन बनने का खतरा का बहाना बताकर इस काम को शुरू नहीं कर रहे हैं। असल बात यह है कि शिव क्षेत्र में

(श्री अमीन खां)

गोडावण एक भी नहीं है, ये तो गडरा रोड, फतेहगढ़ और जैसलमेर में हैं। अतः मैं सदन से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण जनहित कार्य के लिए प्रसारण अधिकारियों को आदेश दिया जाए जिससे कि 220 के वी स्टेशन को शीघ्र पूरा किया जावे।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

बूंदी में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के तहत बूंदी शहर की टूटी हुई सड़कों, नालियों व गड्डों की दशा सुधारने बाबत।

मान्यवर, बूंदी एक जिला मुख्यालय है। यह पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर विश्व प्रसिद्ध चित्रशाला, बूंदी का किला, चौरासी खम्बों की छतरी, राणी जी की बावड़ी सहित सैकड़ों प्रसिद्ध मंदिर व बावड़िया हैं।

वर्तमान में बूंदी शहर की सड़कों व नालियों की स्थिति काफी जर्जर अवस्था में है। यहां पर शहर के प्रमुख बाजार सदर बाजार, लंका गेट रोड, खोजा गेट रोड, के.एन. सिंह चोराहा से बाईपास रोड, पुरानी कृषि मण्डी रोड की सड़कें, जहां शहर की 90 प्रतिशत जनता का रोज आना जाना रहता है, वह पूरी तरह से टूटी हुई हैं और रोजाना लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। यहां पर एक सड़क पुरानी कोतवाली से चौमुखा गणेश जी तक तो ऐसी हो गई है जिसमे 5-5 फीट तक के गड्ढे हो गये हैं और रोजाना लोग चोटिल हो रहे हैं। यहां पर जरा सी बारिश में सडकों पर पानी भर जाता है क्योंकि नालियां या तो टूटी हुई हैं या भरी हुई हैं जिससे समस्त शहर में गन्दगी हो रही है। इस गन्दगी से हजारों लोग बीमार हो रहे हैं और खराब सड़कों से दुर्घटनागस्त हो रहे हैं। नगर परिषद् बजट का अभाव बताकर कोई कार्य नहीं करा पा रही है या मौन बैठी हुई है। माननीय नगरीय विकास मंत्री जी ने नगर परिषद् चुनाव में बूंदी के लिए 135 करोड़ का बजट तत्काल जारी करने की घोषणा की थी, परन्तु आज करीब 18 माह होने पर भी एक पैसे का बजट नहीं आया है। इस बाबत बूंदी की जनता ने आयुक्त, नगर परिषद् बूंदी, जिला कलेक्टर, बूंदी, प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री जी, सभी से नालियों व सड़कों को बनाने बाबत निवेदन किया है, परन्तु कोई कार्य नहीं हुआ है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।

(श्री अशोक डोगरा)

अतः पर्यटकों आमजन, व्यापारियों, धर्मप्रेमी बन्धुओं, छात्र-छात्राओं, धार्मिक जलसों मे आ रही परेशानियों व आमजन के भयंकर आक्रोश को देखते हुए बूंदी शहर की टूटी हुई सड़कों नालियों को तत्काल बनाया जाना अति आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

कूकड़ा कुंभकोट, लक्ष्मीपुरा ग्राम पंचायतों में आवासीय पट्टे

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार के अधिकारी इतने निकृष्ट हो गये हैं कि विधान सभा में कई बार यह मामला उठाने के बावजूद भी धरातल पर कोई कार्यवाही नही हुई, जबकि माननीय मंत्री महोदय विधान सभा में सकारात्मक जवाब देते हैं। मेरे रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत कूकड़ा, कुंभकोट, लक्ष्मीपुरा सहित कई जगहों पर लोग 40 साल से भी ज्यादा समय से बसे हुए हैं, फिर भी उनको भूखण्ड का पट्टा आबंटित नहीं किया जा रहा है। तर्क यह दिया जाता है कि यह लोग माइनिंग लीज की जमीन पर बसे हुए हैं। इसमें मैं निवासियों का कोई दोष नहीं मानता, क्योंकि कई जगहों पर लीज के पूर्व से और कई जगहों पर बाद में बसे हुए हैं, जबकि नियमानुसार जनता को नुकसान परेशानी या संकट होता है तो माइनिंग लीज को भी निरस्त किया जा सकता है। केवल माइनिंग के लिए लोगों को उजाड़ना, बेघर करना या पशुओं की तरह रहने के लिए विवश करना तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करना अपराध है।

अतः उपरोक्त माइनिंग लीज को निरस्त कर वहां के निवासियों को आवासीय भूखण्ड आबंटित करें ताकि वे प्रधानमंत्री आवास योजनाओं सहित अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।

यह काफी लोक महत्व का मामला है इसलिए विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से कार्यवाही हेतु निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सतीश पूनियां।

आमेर फोर्ट से कुण्डा सड़क का नवीनीकरण

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य

(श्री सतीश पूनियां)

संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि आमेर शहर की आमेर फोर्ट से कुण्डा तक की प्रमुख सड़क जो पर्यटन एवं आमजन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस सड़क की लंबाई लगभग 3 किमी. है। वर्तमान में इस सड़क की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। हाल ही में हुई बरसात के कारण स्थिति और भी गम्भीर हो गई है। इस सड़क पर अधिकांश स्थानों पर गहरे गड्ढे हो जाने के कारण आये दिन दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही मुख्य सड़क से लगती हुई नाली भी टूट चुकी है जिसके कारण पानी का जमाव सड़क पर बना रहता है। इस संबंध में बजट घोषणा 2021-22 के अंतर्गत तहसील कार्यालय, आमेर से कुण्डा मोड़ तक 2.50 किमी. सड़क की री-कारपेटिंग का कार्य राशि रुपये 150.00 लाख का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग से संपादित करने की सहमति प्रदान की गई थी। इसी दौरान पी.एच.ई.डी. द्वारा प्रश्नगत स्थल पर पानी की लाइन डाली गई, जिसके कारण वर्षाकाल में सड़क कई स्थानों पर अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई जिससे पूर्व स्वीकृत आइटम्स के अतिरिक्त अन्य आइटम्स की आवश्यकता की दृष्टि में पूर्व में जारी कार्यादेश के अनुसार निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है।

मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि जनहित में उक्त सड़क को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाया जाये। इस संबंध में स्थानीय निवासियों एवं पर्यटन से जुड़े लोगों द्वारा भी आवागमन में हो रही असुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है, किन्तु अभी तक सड़क के नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह।

हरजी ग्राम में पशुधन सहायक के रिक्त पद पर नियुक्ति

श्री छगनसिंह (आहोर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम हरजी में पशुधन सहायक का पद भरा हुआ बता रहे हैं और उक्त पद पर नीलम शुक्ला (LSA) को वर्तमान में कार्यरत बता रहे हैं, जबकि वह उक्त पद से 2012 में ही इस्तीफा देकर किसी अन्य

(श्री छगनसिंह)

नौकरी में चली गई। चूंकि अभी जब भी रिक्त पद की सूची की मांग की जाती है तो हरजी पशु चिकित्सालय में आज भी इस पद पर कार्यरत बता रहे हैं।

इस विषय पर पूर्व में मैंने रिक्त पद की सूचना दी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः माननीय मंत्री महोदय से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि महोदय, उक्त पशुधन सहायक का पद रिक्त होते हुए भी भरा हुआ बता रहे हैं उसकी तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

सैनी समाज के युवाओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेकर शीघ्र रिहाई

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत प्रदेश में सैनी समाज की 11 सूत्री मांगों को मंजूर किये जाने तथा सैनी समाज के युवाओं पर दर्ज मुक़दमों को वापस लेने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाये गये भारत के संविधान के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकार के समक्ष अपनी मांग रखने का तथा आंदोलन करने का अधिकार देता है। उसी के तहत राजस्थान के कोने-कोने से आये हुए सैनी समाज के लोगों ने जयपुर में आकर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के समक्ष शांतिपूर्वक अपनी मांग रखने का प्रयास किया, जिसके दौरान पुलिस द्वारा सैनी समाज के प्रमुख 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को यह काम नहीं करना चाहिए था।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर मेरा निवेदन है कि सैनी समाज की 11 सूत्री मांगों को जल्दी मंजूर किया जाए तथा सैनी समाज के युवाओं पर दर्ज मुक़दमों को शीघ्र वापस लेकर सैनी समाज के युवाओं को शीघ्र रिहा किया जाने की कृपा करें। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं। श्री रामलाल जाट।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 17 अधिसूचनाएं सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.9(53)राज-6/2021/09 दिनांक 03.02.2022, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 के नियम 8 के उप नियम 1 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या: प.4(3)राज-6/2021/68 दिनांक 10.03.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 24 ए में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या: प.9(13)राज-6/2021/72 दिनांक 16.03.2022, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.5(109)राज.बी/60 दिनांक 20.07.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या: प.6(25)राज-6/2014पार्ट/75 दिनांक 07.04.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के तहत खण्ड-क के द्वितीय परन्तुक में वर्णित किस्म की भूमियों का आबंटन राजकीय विभागों को आबंटन प्राधिकारी द्वारा अधिकतम क्षेत्र तक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिनांक 31 मार्च, 2023 तक किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या: प.9(13)राज-6/2021/76 दिनांक 08.04.2022, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.5(109)राज.बी/60 दिनांक 20.07.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन कर राजस्थान भू-राजस्व की शर्तें 1963 के तहत सरकारी प्रयोजनार्थ भू-आबंटन की शक्तियां जिला कलक्टर को प्रदान की गई हैं।

6. अधिसूचना संख्या: प.9(13)राज-6/2021/77 दिनांक 08.04.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102ए के अधीन श्मशान, कब्रिस्तान हेतु आरक्षित भूमि को स्थानीय निकायों

(श्री रामलाल जाट)

के अधीन किये जाने के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियां समस्त जिलों के जिला कलक्टरों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किये जाने हेतु प्रत्योजित की गई है।

7. अधिसूचना संख्या: प.9(28)राज-6/2018/80 दिनांक 18.04.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर काश्तकारों की खातेदारी एवं गैर-खातेदारी की सिंचित कृषि भूमि पर वित्तीय वर्ष 2018-19 से पूर्व का बकाया देय लगान (भू-राजस्व) माफ किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या: प.6(26)राज-6/2014पार्ट/81 दिनांक 19.04.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन कर नया नियम 6ई जोड़ा गया है तथा नियम 8 एवं 10 में संशोधन किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या: प.9(76)राज-6/2016/85 दिनांक 13.05.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 119 व 120 में संशोधन किया गया है।

10. अधिसूचना संख्या: प.9(73)राज-6/2016/86 दिनांक 13.05.2022, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.5(21)राज/ग्रुप.4/80/35 दिनांक 04.09.1982 में संशोधन किया गया है।

11. अधिसूचना संख्या: प.6(26)राज-6/14पार्ट/88 दिनांक 17.05.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 6ई एवं 9 में संशोधन किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या: प.6(25)राज-6/2014/89 दिनांक 17.05.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व की शर्तें, 1963 के खण्ड 2 के उप खण्ड(o), (p), (q), (r) और (s) में संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षित युवा वर्ग तथा सभी वर्गों के नि:शक्तजन के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से नये प्रावधान जोड़े गए हैं।

13. अधिसूचना संख्या: प.6(32)राज-6/2020/97 दिनांक 06.06.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आबंटन) नियम, 1959 के नियम 2बी में संशोधन किया गया है।

14. अधिसूचना संख्या: प.6(25)राज-6/14पार्ट/135 दिनांक

(श्री रामलाल जाट)

01.08.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व की शर्तें, 1963 के खण्ड 3 के उप खण्ड ii में नया खण्ड (e) जोड़ा गया है।

15. अधिसूचना संख्या: प.6(26)राज-6/14पार्ट/136 दिनांक 03.08.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 12 में संशोधन किया गया है।

16. अधिसूचना संख्या: प.6(26)राज-6/14पार्ट/137 दिनांक 03.08.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 164 में संशोधन कर नया खण्ड (f) जोड़ा गया है; एवं

17. अधिसूचना संख्या: प.9(90)राज-6/2021/139 दिनांक 24.08.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि का आबंटन) नियम, 2007 के नियम 2, 2A तथा 4 में संशोधन किया गया है और नया नियम 4C जोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज महत्वपूर्ण अधिसूचना ले हो रही है और उसके बाद सम्बन्धित मंत्री भी नहीं है। यह पहली बार नहीं है। इस तरह लगता है, दूर बैठे लोग देखते हैं विधान सभा के प्रति सरकार कितनी, अध्यक्ष महादेय, मेरी बात कहने के लिए आपने मुझे खड़ा किया था, आपके संज्ञान में यह वार्षिक लेखे संसदीय कार्य मंत्री रख रहे हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण 2009 के तहत 2015-16 के, हो सकता है एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, सात साल बाद, आपने कितनी बार प्रताड़ित किया पर हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रार्थना है सदन की गरिमा के लिए आप एक बार संबंधित आफिसर को बुलाओ।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, इनको ले करने दो।

उपभोक्ता मामले विभाग

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपभोक्ता मामले विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

1. अधिसूचना संख्या: एफ89(22)उ.मा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 19.02.2022 जिसके द्वारा कतिपय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला आयोग) के पूर्णकालिक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है।

2. अधिसूचना संख्या: एफ89(22)उ.मा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 19.02.2022 जिसके द्वारा श्री लियाकत अली पुत्र अमीर अली को राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर में पूर्णकालिक सदस्य (गैर न्यायिक) नियुक्त किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या: एफ89(22)उ.मा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 19.02.2022 जिसके द्वारा कतिपय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला आयोग) के पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

4. अधिसूचना संख्या: एफ89(22)उ.मा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 09.03.2022 जिसके द्वारा जयश्री शर्मा पत्नी गौरव उपमन्यु को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला आयोग) अजमेर का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या: एफ89(22)उ.मा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 09.03.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.02.2022 के क्रम संख्या एक पर अंकित अलवर जिला आयोग में महिला सदस्य के रूप में नियुक्त श्रीमती सरोज शर्मा के नाम में संशोधन किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या: एफ89(9)उ.मा.वि./उ.स./2020/IV दिनांक 20.06.2022 जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से परिवाद प्रस्तुत करने के लिए समस्त जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षकों को अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र के लिए अधिकृत किया गया है; एवं

7. अधिसूचना संख्या: एफ89(9)उ.मा.वि./उ.स./2020/II दिनांक 20.06.2022 जिसके द्वारा उल्लेख किया गया है कि दिनांक 20.07.2020 से राज्य के लिए एक अध्यक्ष व दस सदस्यों की संरचना से मिलकर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग होगा जिसे राज्य आयोग के रूप में जाना जाएगा, राज्य आयोग की छह प्रादेशिक शाखाएं होंगी एवं राज्य आयोग का मुख्यालय जयपुर होगा।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री बीडी कल्ला।

प्रतिवेदन एवं लेखे।

प्रतिवेदन एवं लेखे

जोधपुर विकास प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा-60 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2015-16 से 2020-21 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय राजेन्द्र राठौड़ जी ने जो प्रश्न किया है वह सम्बन्धित प्रश्न पर वैसे भी सेक्रेटेरिएट ने स्पष्टीकरण मांगा है, उनसे यह कहा है कि जिम्मेदारी फिक्स करें। एग्जम्पलरी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जब हमारे उसमें लिखा हुआ है एवरी ईयर हम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और यह प्रतिवेदन 2015 का 2020-21 में ले कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि अधिकारियों को इस बात के लिए पाबंद करें कि जो नियम और कानून बने हुए हैं उनका पालन किया जाये। इस पर्टिकुलर समय में जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही की, उसकी कार्यवाही करके सदन को अवगत करायें जिससे दूसरों को भी मालूम पड़े कि समय पर सदन में अपेक्षित कार्य नहीं कर रहे उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। श्री भंवर सिंह भाटी।

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण पत्र (वर्ष 2021-22)

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 की धारा-3 (1) के अन्तर्गत विद्युत वितरण निगमों द्वारा तैयार किये गये राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण पत्र वर्ष 2021-22 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन। श्रीमती प्रीति शक्तावत।

समिति प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन (क्र.सं. 6 से 8)

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

आपकी अनुमति से महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2022-23, समिति के छठे, सातवें एवं आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री बी डी कल्ला।

विधायी कार्य: विधेयक पर पुनर्विचार

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री)**:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुनर्विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, सदन राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पर चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन ने 07 मार्च, 2020 को राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया था।

(समय: 13.00 बजे)

आर्टिकल 196 के अन्तर्गत विधान सभा ने महामहिम राज्यपाल की कन्सेंट के लिए इस विधेयक को भेजा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल ने 09 सितम्बर, 2021, यानी एक वर्ष पहले आर्टिकल 200 का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक टिप्पणी के साथ इस विधान सभा में इस बिल को पुनर्विचार के लिए भेजा, जिस पर आज यह सदन पुनर्विचार कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साल बाद। मुझे वह समय भी याद है जब श्रीमान ने महामहिम राज्यपाल महोदय का संदेश इसी आसन से पढ़कर सुनाया था। यह सरकार कितनी गम्भीर है, महामहिम राज्यपाल, जो संवैधानिक प्रमुख हैं हमारे, संवैधानिक प्रमुख किसी बिल पर वैधानिक टिप्पणी करके पुनर्विचारार्थ सदन में लौटाएं और लौटाने के बाद सदन के सत्र हो जाएं और सदन उस पर विचार नहीं करे, मैं समझता हूं कि यह आदत ठीक नहीं है। यह वही बात है कि आर्टिकल 174 के अन्तर्गत सत्रावसान की पत्रावली नहीं भेजी और एक तरह से महामहिम राज्यपाल के अधिकार में आपने कटौती करने का काम किया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कल यहां पर महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय आये थे। चर्चाओं में सदन के नेता ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री और वहां के राज्यपाल की बातें चर्चाओं में रहीं, मैं नहीं चाहता कि इस बात पर चर्चा हो, पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि एक सर्कुलर अभी जारी किया रात को, उस सर्कुलर में भी महामहिम राज्यपाल की वह आपत्तियां, महामहिम राज्यपाल की आपत्ति का आधार था, माननीय अध्यक्ष महोदय, बार काउंसिल आफ राजस्थान, वेरियस बार काउंसिल आफ डिस्ट्रिक्ट्स, इन्होंने जब प्रतिवेदन दिया तो उस आधार पर उन्होंने पुन: विचारार्थ सदन में इसको लौटाया। इसमें अफसोस मुझे इस बात का है कि खण्ड 2 के अन्दर उप खण्ड 2 में आजीवन शुल्क जो बार काउंसिल आफ राजस्थान ने कहा कि एक अधिवक्ता के लिए 30 हजार रुपये होना चाहिए, आपने उस वक्त 2020 में इसको एक लाख रुपया प्रस्तावित किया, हमसे पास करवाया, ब्रूटल मेजोरिटी है। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि इसको एक लाख से कम किया जाये, 30 हजार किया जाये, आपने 50 हजार कर दिया।

इसी तरह खण्ड 2 के उप खण्ड 2 में, नहीं, खण्ड-4 में स्टाम्प फीस, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो वकालतनामे पर फीस लगती है, यह फीस उस गरीब लिटिगेंट को देनी पड़ती है, इसके लिए जो आब्जेक्शन करके महामहिम राज्यपाल ने लौटाया, बार काउंसिल की रिकमंडेशन के आधार पर, अभ्यावेदन के आधार पर, उन्होंने यह कहा कि यह 25 रुपये से 50 रुपये हो। आपने उसको हाईकोर्ट में 200 रुपये तक कर रखा था, उसको सबको मिलाकर 100 कर दिया। मैं यह समझता हूं कि आज एक अधिवक्ता, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह ही बात हुई कि आज छात्र संघों के चुनाव हों या चाहे छात्र संघों की सदस्यता हो, हमारे विधायक दल की सदस्यता के लिए कोई यह कह दें कि विधायक दल की सदस्यता तब मिलेगी, जब 50 हजार रुपये आप उसका शुल्क देंगे। मैं यह समझता हूं कि यह शुल्क उस अधिवक्ता से अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए ले रहे हैं, इस बात पर निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए।

मैं यह निवेदन करूं कि आप इस वेलफेयर टिकट, मूल रूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 बना था। उसकी उप धारा 1 के अन्दर वेलफेयर टिकट की बात हुई थी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने उस वेलफेयर टिकट को भी, जो बार काउंसिल ने कहा, उससे कई गुना ज्यादा फिर बढ़ा दिया, निश्चित तौर पर आपको इस पर विचार करना चाहिए।

(समय: 13.03 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि आज जो सदन से अधिकार ले रहे हैं और सदन दे रहा है, आप तो स्वयं भी रहे हैं, मैं अपनी बात को कहने में इसलिए आनंदित हूं कि एक अधिवक्ता के रूप में आपने सीकर में प्रैक्टिस तो नहीं की पर मूल रूप से आपका विचार एक वकील का विचार रहा है। माननीय सभापति महोदय, आप यह बताएं कि यह जो संशोधन 2 (i) में लेकर आ रहे हैं, 100 रुपये की फीस इस एक्ट में कर ही रहे हैं, उसके बाद यह कह रहे हैं कि हर साल दस रुपये इसको और बढ़ाया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, यह जो ट्रिब्यूनल है, सर्विस ट्रिब्यूनल से लेकर अलग-अलग ट्रिब्यूनल हैं। इन ट्रिब्यूनल में, इन आयोगों में जब आप प्रार्थना-पत्र लेकर जाते हैं तो उस पर भी आप अधिरोपित कर रहे हो, मैं समझता हूं कि इसके बारे में निश्चित तौर पर मंत्री महोदय आपको विचार करना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए दुर्भाग्य है कि खण्ड 6 (i) में अधिवक्ता की दुर्घटना होने पर, मृत्यु होने पर जो राशि दस लाख रुपये थी, यह पैसा है अधिवक्ता का, इसमें कंसोलिडेटेड फंड से कोई पैसा नहीं जा रहा है, पर अधिवक्ता की दुर्घटना में, किसी बीमारी से मृत्यु हो जाये तो उसको दस लाख रुपये तक का प्रावधान था, उसको घटाकर आप आठ लाख रुपये कर रहे हैं। गम्भीर बीमारी में उसको इंटरिम रिलीफ जो थी, वह एक लाख रुपये की थी, उसको आप अस्सी हजार रुपये कर रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ उन लिटिगेंट्स के माध्यम से स्टाम्प फीस बढ़ा रहे हो, आप वकालतनामा पर लगने वाली उस फीस को बढ़ा रहे हो और जो वकील अपनी बार काउंसिल की सदस्यता लेगा, उसको बढ़ा रहे हो और वकीलों को फायदा होने पर, वकीलों के वेलफेयर के फंड में, वकीलों का बीमारी पर, मृत्यु पर जो पैसा देय है, जो बार काउंसिल ने प्रपोज किया है, उसको कम करने का काम कर रहे हो तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, जो दो बार 2020 में हमने पारित किया, उसके पृष्ठ 5 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उद्देश्यों और कारणों का कथन। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका मुलाहिजा चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आप जब तक नहीं सुनोगे तो आनंद ही नहीं है। यह तो बाद में बता देना, सचिव साहब। माननीय सभापति महोदय, आप और मेरी दोनों की तो तुला राशि है और दोनों शेखावाटी के हैं, मेरी बात आप नहीं सुनोगे? ऊपर भगवान नहीं सुने, नीचे यह सरकार नहीं सुने, बीच में आप ही तो हो मेरी आशा का केन्द्र।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मैं सुन रहा हूं, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं-नहीं। माननीय सभापति महोदय, यह करंट इधर से जाकर इधर जाएगा तब काम पूरा होगा, सर्किट पूरा होगा। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था, मैं आपका ध्यान इस विधेयक, 2020 के उद्देश्यों और कारणों के कथन में दो शब्द पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रतिपक्ष के नेता, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें यह लिखा है कि- 'चूंकि, राज्य सरकार द्वारा कोई विनियोग नहीं किया गया है इसलिए निधि के लिए अभिदाय का मुख्य स्रोत कल्याण निधि फीस स्टाम्पों का विक्रय है।'

माननीय सभापति महोदय, मुझे एतराज है। प्रभारी मंत्रीजी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इसमें निधि शब्द का प्रयोग किया गया है। निधि का मतलब राशि और मैं सदन का ध्यान संविधान के आर्टिकल 196 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, संविधान का आर्टिकल 196 यह कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड से, राज्य की समेकित निधि से कोई पैसा उसमें जाता है, कोई पैसा उससे निकलता है, किसी स्रोत से निकलता है तो उस बिल के साथ वित्तीय ज्ञापन लगना चाहिए।

मैंने बहुत खोजा, मुझे अफसोस इस बात का है कि आप संसदीय परम्पराओं को, संसदीय नियमों को, कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन को धता बता रहे हैं। इस बिल के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं है। यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि इसमें राज्य सरकार का विनियोग नहीं है, यह मुख्य स्रोत कल्याण निधि की फीस स्टाम्प विक्रय से है। स्टाम्प विक्रेता से जो पैसा आयेगा वह किसी ऐसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अलग फंड में नहीं, वह सरकार के खजाने में जाकर फिर जायेगा अधिवक्ता कल्याण निधि के रूप में। इसलिए इस बात का भी आपको निश्चित तौर पर परीक्षण करवाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जब यह मनी बिल है और बिना वित्तीय ज्ञापन के है तो मेरा आरोप है कि null and void इस बिल को सदन में क्यों पारित करवाकर, कल कालांतर में, इतिहास में जब कोई पढ़ेगा तो यह कहेगा कि यह इस प्रकार की नासमझी हमने क्यों की।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान, एक आपका अधिकृत दस्तावेज है, वह है जन घोषणा पत्र। पहली कैबिनेट की बैठक में आपने इसको सरकारी दस्तावेज का रूप दिया। उसमें आपने पृष्ठ 36 पर यह कहा कि अधिवक्ता कल्याण कोष, मैं उससे इतर नहीं जा रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आप मेरे को गुस्से से मत देखो। अधिवक्ता कल्याण कोष में सरकारी आनुपातिक योगदान, यानी, जितनी अधिवक्ता कल्याण कोष से स्टाम्प फीस से, सदस्यता शुल्क से राशि आयेगी, आनुपातिक राशि सरकार देगी। आज चार बजट आप दे चुके हो। माननीय सभापति महोदय, आप सहित इस राजस्थान के अधिवक्ता, जो सबसे बुद्धिमान हैं, जो एक-एक चीज पर पैनी नजर रखते हैं, आज आप यह बिल लेकर आ रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस निधि के अन्दर आपने जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 36 पर जो अधिवक्ताओं से वादा किया था, वह वादा पूरा करने के लिए आनुपातिक राशि, मंत्री महोदय, जब आप जवाब दें तो मुझे बतायें, क्योंकि 1987 से यह एक्ट है, आपके पास कितनी राशि आयी? आपके पास कितनी राशि आयी, इस वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष और उससे पिछले वित्तीय वर्ष में? जन घोषणा पत्र के अनुसार आपने आनुपातिक रूप से उसमें कितनी राशि दी? इसके बारे में आप निश्चित तौर पर मुझे बतायें।

मंत्री महोदय, मेरी बात सुनो। साहब, मैं तो कम बोलता हूं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बजट 2021-22 के पैरा 243 में आपने लिखा कि कोविड-2019 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में वकीलों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए 10 करोड़ की राशि बार कौंसिल आफ राजस्थान को सहायता प्रदत्त करने की घोषणा करता हूं। अब 2022-23 समाप्ति पर है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है, मैं आसन के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि बजटीय घोषणा उस वित्तीय वर्ष के लिए होती है या लम्बी होती है, जब कभी भी हो? इस बजटीय घोषणा को लेकर आज राजस्थान की बार कौंसिल सवाल खड़ा करती है, यक्ष प्रश्न खड़ा करती है कि वह 10 करोड़ की राशि आपने क्यों नहीं दी?

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आप बात करते हैं, आज राजस्थान के अन्दर अधिवक्ताओं के लिए, यह बिल जब से आया है, मूल रूप से जो बिल पुन: लौटाया, उससे पहले बार कौंसिल और राजस्थान में जो सदस्यता शुल्क 17 हजार 500 था, आप नोट कर लें, जिस आधार पर महामहिम ने इस बिल को लौटाया, उसमें इन्होंने कहा कि इसको बढ़ाकर 30 हजार कर दो। आपने इसको 2020 में एक लाख किया। आज आप 50 हजार कर रहे हो। वेलफेयर टिकट पहले 25 रुपये था, यह वेलफेयर टिकट उस लिटिगेंट पर लगती है। उसके बाद बार काउन्सिल आफ राजस्थान ने कहा कि इसको 50 रुपये कर दो, साहब। आपने उसको इस बिल के माध्यम से सीधे 100 रुपये कर डाला। आजीवन सदस्यता शुल्क खण्ड 2 के उप खण्ड 3 में है, सदस्यता हेतु मेरे को 17,500 रुपये जो देना पड़ता था, जब यह बिल आया पिछली बार 2020 में, तब उसको बढ़ा कर किया 30 हजार। उसके बाद दुबारा इन्होंने प्रपोज कर दिया 01 लाख रुपये। फिर अब आप लेकर आये हैं, 50 हजार रुपये का। खण्ड 3 में अधिवक्ता की मृत्यु होने पर जो पहले मूल रूप से ढाई लाख रुपये मिला करते थे, बार कौंसिल आफ इण्डिया ने 7 लाख रुपये किया, पहले आपने 8 लाख प्रपोज किया और अब 5 लाख रुपये कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। उनका खुद का पैसा, मृत्यु हो गयी।

इसी तरह धारा 20 के (1) में आपने कहा कि ट्रिब्यूनल में कहीं भी जाओगे, कोई भी प्रकार का कोर्ट हो, 100 रुपये और हर वर्ष आप 10 रुपये बढ़ाओगे भी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर अधिवक्ताओं ने आपको बहुत ज्ञापन दिये। आपने जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 36 में वादा किया था कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आएंगे। सभापति महोदय, कोर्ट के अन्दर वकील की भूमिका में पैरवी करता है तो वह कोर्ट आफिसर की परिभाषा में आता है। वह कोर्ट का एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अंग है। आज हो क्या रहा है। आपने नागौर की घटना पढ़ी होगी। दिन दहाडे, दो दिन पहले नागौर के अन्दर धांय, धांय, धांय, गोली एडवोकेट भंवर लाल को भी लग गयी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वेलफेयर निधि के बारे में इन्एक्ट कर रहे हो तो इनके प्रोटेक्शन की बात भी तो आप करो।

अभी रींगस की घटना हुई। एडवोकेट हंसराज मावलिया, आज वह भी सुरक्षित नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, एडवोकेट हंसराज मावलिया को एस डी एम ने प्रताड़ित किया, एस एच ओ ने प्रताड़ित किया। उसने ज्ञापन दिये। आखिर में उसको आत्महत्या करनी पड़ी। घड़साना की घटना हुई विजय सिंह के साथ। उसने शराब माफिया के खिलाफ मुहिम चलायी। उसकी पुलिस में बर्बर पिटाई हुई। उसको आत्महत्या करनी पड़ी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम आप कल्याण निधि के बारे में आज इन्एक्ट कर रहे हैं तो राजस्थान में आपने जो वादा किया, प्रोटेक्शन एक्ट पर भी विचार करें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमान् आप भी वकील हैं। हालत देखी आपने? हम में से कोई भी नहीं होगा, जिसका वकील से काम नहीं पड़ा होगा। कोई सदन में नहीं होगा, जो कभी न कभी अपनी जिन्दगी में न्यायालय में नहीं गया हो। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, मुंसिफ कोर्ट हो, उस वकील की जिन्दगी एक पेड़ के नीचे निकलती है। लिटिगेंट शैड नहीं है। वकील को बैठने के लिए जगह नहीं है। पीने का पानी नहीं, टायलेट नहीं और प्रिजनर की कस्टडी के लिए जेल नहीं। जेल की कमी के कारण लोग भागने लग गये। इस पर निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए।

इसको भी महामहिम राज्यपाल ने लौटाया है। तीन बिल और लौटाये हैं माननीय सभापति महोदय। यह मैं पहला मौका देख रहा हूं। भगवान के लिए बंगाल मत बनाओ इसको। आपके मुख्य मंत्रीजी तो यहां से विदा हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर, पर आप नहीं आओगे। यहां पर जो भी आयेगा, कान्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए संवैधानिक प्रमुख और अपने बीच में।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): उप राष्ट्रपति यूं ही बनता है क्या? मैं तो खैर कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक मिनट, मैं खतम कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं इस पर कॉमरेड का भाषण जरूर चाहूंगा। राजस्थान की विधान सभा में हाथ छाप कॉमरेड ये एक ही हुए हैं भादरा से आने वाले माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य। सभापति महोदय, आपने रोड गोल्ड का नाम सुना है, सोना आता है रोड गोल्ड, वह सोने की तरह चमकता है, लेकिन अन्दर कुछ होता नहीं है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): आप कल इसीलिए जीमने नहीं आये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं बड़ी गम्भीरता से कह रहा हूं कि बार कौंसिल आफ राजस्थान के प्रतिवेदनों के आधार पर महामहिम राज्यपाल ने टिप्पणी करके जो बिल भेजा है, उसको आप नजरअन्दाज नहीं करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि यह सदन उसको पारित करे और कल महामहिम राज्यपाल फिर करें और फिर आप उसको कैबिनेट में ले जाकर पास करें। इस प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए। मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वैसे इस बिल के बारे में उप नेता, प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ साहब ने बता दिया। मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं। 2020 में पारित इस विधेयक को महामहिम राज्यपाल ने सितम्बर, 2021 में कुछ टिप्पणियों के साथ वापस लौटा दिया पुनर्विचार करने के लिए। वह टिप्पणियां इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि बार कौंसिल आफ इण्डिया और बार कौंसिल आफ राजस्थान ने कुछ टिप्पणियां कीं कि इस पर पुनर्विचार किया जाये, उसमें संशोधन किया जाये, उसके बाद उसको विधान सभा में लाया जाये। मुख्य रूप से मेरा यह कहना है कि किसी भी सरकार का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय पाने के लिए किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और उस व्यक्ति को सरल और सुलभ न्याय मिले, इसलिए वह कोर्ट की शरण लेता है। इस संशोधन में आपने वकालतनामा पर लगने वाले टिकट की कीमत 100 रुपये की और उसके बाद में सालाना उसमें 10 रुपये की बढ़ोतरी करके वापस उसको आप लेकर आये हैं। मुझे लगता है कि इससे क्लाइंट पर बहुत अधिक भार पड़ेगा और इस भार को वह कैसे सहन करेगा। आजकल अधिकतम मुकदमों के अन्दर किसी भी व्यक्ति को मालूम ही नहीं चलता कि बिना किसी की गलती के कारण मुकदमे में उसका नाम लिखा जाता है, उसकी पैरवी करने के लिए उसको वकील करना पड़ता है और वकालतनामा की फीस 100 रुपये है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी उसमें

(श्री अविनाश)

की गयी है, तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक आर्थिक बोझ जनता पर पड़ने वाला है।

मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसमें वर्तमान में जो वेलफेयर टिकट लग रहा है, वह पर्याप्त है तथा अतिरिक्त वेलफेयर फण्ड राज्य सरकार वहन करे, ताकि इस बिल की उपयोगिता साबित हो। इस बिल के अन्दर यह भी लिखा है कि 50 वर्ष की सदस्यता तक प्रैक्टिस करने के बाद अनफार्च्युनेटली कोई दुर्घटना हो जाती है तो बीमे के रूप में उसको 15 लाख रुपये मिलेंगे। आज एक साधारण-सा सरकारी कर्मचारी भी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद लगभग 32, 35, 40 साल की नौकरी करने के बाद उसको 30-40 लाख रुपये मिल जाता है। मेरा आपसे और सरकार से निवेदन रहेगा कि सदस्यता के आधार पर आपने यह जो बीमा तय किया है, उसके साथ में, अधिवक्ता कल्याण कोष के साथ में राज्य सरकार भी कुछ ऐसा फण्ड उस अधिवक्ता को दे, ताकि आने वाले समय में सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जी सके। आपने 50 साल तक की सदस्यता तक का तो दे दिया लेकिन बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ वकील भी हैं, जिन्होंने 50 से अधिक वर्षों तक भी वकालत का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मुख्य बात यह है कि आज भी राजस्थान में ऐसे बहुत-से लोग हैं, जो एलएलबी की डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में उनका जो मुख्य व्यवसाय है, वह कर नहीं पाते और वह कहीं प्रोपर्टी का व्यवसाय करते हैं, कोई और दूसरा व्यवसाय करते हैं। मुझे लगता है, सुझाव के तौर पर कम से कम संशोधन में यह करें कि साल के अंदर चार-पांच या दस केस के अंदर वकालत करने की आवश्यकता है, ताकि उसका रजिस्ट्रेशन बरकरार रहे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि यह जो फीस है, वेलफेयर फण्ड के अंदर 100 रुपये की, इसको कम किया जाये और यह जो आर्थिक बोझ आप लोग डालना चाह रहे हैं, इस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। इसलिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस संशोधन विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मेरा भी निवेदन है।

श्री सभापति: विराजिये आप।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुनर्विचार हेतु लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुनर्विचार हेतु लिया गया।

खण्डश: विचार।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(प्रभारी मंत्री द्‌वारा प्रस्तुत संशोधन के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(प्रभारी मंत्री द्‌वारा प्रस्तुत संशोधन के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड-7 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मेरे साथी अविनाश ने एक जोरदार बात कही कि जो वकील हैं, प्रैक्टिस में नहीं आते, साल में एक बार जरूर उनको जाना चाहिए, लेकिन मेरा एक निवेदन है, पूरे राजस्थान में बार कौंसिल आफ इंडिया से राजस्थान सरकार ने यह गुहार ही नहीं लगायी। हमारे उप नेता, प्रतिपक्ष के चूरू शहर में भी सिर्फ 120 सीटें हैं एलएल.बी. की फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए। मेरा राजस्थान सरकार से आग्रह है कि बार कौंसिल आफ इंडिया से मांग करके सीटें बढ़ाई जाएं ताकि सरकारी कालेजों में तैयार होने वाले अधिवक्ता प्रैक्टिस में जाएं। अधिवक्ताओं के लिए मेरा निवेदन है कि स्टाम्प शुल्क आपने बढ़ाया, लेकिन इस शुल्क के अंदर निश्चित हिस्सा होना चाहिए चाहे पांच पैसा ही हो अधिवक्ता का, ताकि वह प्रैक्टिस इस इंटरेस्ट के साथ करे कि आपको लिटिगेशन से फीस अगर कम मिलेगी तो सरकार सालाना तौर पर कुछ रकम देगी।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से नये वकील को कोर्ट में जाने के बाद भी पांच-सात साल लग जाते हैं कि उसके खुद के पास कोई आदमी आये और खुद के पास आकर उसको फीस दे, नहीं तो वह अधिवक्ता सीनियर के साथ मिलकर प्रैक्टिस करता है। इस महंगाई के युग में कोई आदमी एक साल, दो साल, तीन साल कन्टीन्यू बिना फीस लिए प्रैक्टिस करने जाएगा, मैं समझता हूं प्रैक्टिस कम करेगा और दलाली ज्यादा करेगा। आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अभी जिक्र कर रहे थे कि बार और बेंच के रिलेशन खराब हो जाते हैं और कहते हैं कि उप खण्ड अधिकारी और वकील की आपस में पट नहीं रही है। मैं एक साल प्रैक्टिस में गया हूं, माननीय सभापति महोदय, जो जूनियर वकील की हालत है, वह हालत इतनी दयनीय होती है कि फीस तो सीनियर ले लेता है और जूनियर वकील नीचे मोटर साइकिल के पेट्रोल के लिए, घर चलाने के लिए या बहुत गरीब आदमी, जो

(श्री बलवान पूनियां)

हजारों रुपये देकर एलएल.बी. करके आया है, वह किस प्रकार अपनी आजीविका चलाये। इस बात के लिए अधिवक्ता कल्याण में उनको जरूर शामिल करना चाहिये। यह बहुत जरूरी है कि प्राइवेट कालेजों से जो फौज खड़ी हो रही है, जो बहुत फीस देकर आ रहे हैं उसके कल्याण के लिए सरकार को निश्चित तौर से सही कदम उठाना चाहिये। बार कौंसिल आफ इंडिया से राय करके, सरकार अपना प्रतिवेदन भेजकर तुरंत प्रभाव से चूरू सहित, गंगानगर सहित, राजस्थान के 15 राजकीय महाविद्यालयों में सीटें बढ़ाये, यह मेरा निवेदन है। इसके साथ ही, मेरा यह भी निवेदन है कि बार और बेंच के रिलेशन अच्छे हों, ताकि ये जो दो जगहों पर घटनाएं हुई हैं राजस्थान के सीकर और गंगानगर में, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। बार और बेंच के रिलेशन अच्छे बढ़ें, जिससे भविष्य में अधिवक्ता, जो समाज का एक अच्छा वर्ग समझा जाता है, वह वर्ग सरकार की अच्छी योजना को लेकर प्रचार -प्रसार करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मैं इनको जवाब तो दूंगा न, जो ये बोले हैं।

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बुलाऊंगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): चूरू से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य माननीय सदस्यों ने खास तौर से कहा कि बार कौंसिल आफ राजस्थान से विचार-विमर्श किये बगैर ही ये सारी चीजें हो गयीं। मैं उनको बताना चाहता हूं, the following amendment to be carried out in the Rajasthan Advocates Welfare Fund Rules, 1987, उनसे बातचीत करके ही लाये हैं। In the first proviso of sub-section (5) of Section 16 of the existing figures 17,500 be substituted by 50,000. यह इन्होंने ही सुझाव दिया था। उसके बाद, second proviso of

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

Clause 2 of sub-section of (1) of section 17, the word “rupees two lac fifty thousand”...

श्री सभापति: मंत्री महोदय, पहले संशोधित रूप में पारित किया जाये, यह प्रस्ताव रखें आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): वह तो ठीक है, पर जो बातें उठी हैं, उनका जवाब तो दूंगा न।

श्री सभापति: कटारिया साहब को बुलाऊंगा। बोल दें एक बार।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अच्छा पहले यह करूं, उसके बाद जवाब दूं?

श्री सभापति: बाद में क्या, पहले बुला लेता हूं। आप बाद में रिप्लाई दे देना। संशोधित रूप में पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री सभापति: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, पिछली बार जब 2020 में हम लोग इस बिल को पास करने के लिए आये थे, तब भी हमने बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा था कि कुछ मामले ऐसे हैं, जिनको ठीक प्रकार से निर्णय करने में कुछ अड़चनें आती हैं। उस समय भी हमने बताया, लेकिन यह तो जिद करके बैठे थे, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि, मंशा यह है कि अधिवक्ताओं को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकें और उनको कैसे मदद की जा सके। अगर इसी बात को, क्योंकि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने सेक्शनवाइज तो सारी बातें कह दीं, मैं उसके बारे में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जिस मंशा से आपको यह बिल लौटाया है उस मंशा को ध्यान में रखना था। उन्होंने कहा कि बार कौंसिल ने इसके बारे में सजेशन दिये हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट बार हैं उन्होंने भी कुछ सजेशन दिये थे, उन सजेशन के आधार पर उन्होंने कुछ सजेस्ट भी किया था।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दूसरा यह था कि जो व्यक्ति जाता है, पीड़ित पक्ष है, उसको टिकट लगाना पड़ता है तो आपने यह जो 100 रुपया बढ़ाया है वह किसी और पर नहीं जायेगा, वह सामान्य, जो वकालत करवाने के लिए या न्यायालय में आता है अपने स्वयं के हित के लिए, उस व्यक्ति पर आपने चार्ज किया है तो मैं सोचता हूं कि यह आपने सामान्य जनता पर टैक्स लगाया है। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में जो सजेशन आया था आपके पास में राज्यपाल महोदय से भी कि इसको आप अधिक से अधिक 50 रुपया करो, लेकिन आपने इसको बढ़ाकर सीधे 100 रुपया किया।

दूसरा क्या है कि आप और मैं स्वयं भी एडवोकेट कुछ समय तक रहे थे। ये जो 7 में संशोधन किया है, ये एक तरह से उस अधिवक्ता का अपमान है। अगर किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो आप उसका सहयोग करते हो। मैं सोचता हूं कि अब तक हमारे यहां एक छोटे-से किसान की भी यदि मृत्यु हो जाती है या कोई सामान्य एक्सीडेंट में भी किसी अनजान जगह में मृत्यु हो जाती है तो उसका भी एक्सीडेंट क्लेम या उसकी सहायता राशि कलेक्टर देता है, वह अधिक देता है। अब आपने यहां जो शुरू किया पांच साल से, अगर मान लो किसी अधिवक्ता का एनरोलमेंट हुआ और किसी कारण से उसकी एक साल में मृत्यु हो गयी तो आपने जिसको डिबार कर दिया, यह उस अधिवक्ता के लिए आपने सहयोग नहीं किया। फिर जो यह सूची पढ़ते हैं, तो जिसने 25 वर्ष की भी वकालत की, उसको आप 2 लाख 97 हजार रुपये देंगे। 50 साल की जिसकी एडवोकेसी है उसको आपने 15 लाख रुपये का किया है। मैं सोचता हूं कि इसको हटाकर आपको दो-तीन स्टेप ही बनानी थी। अगर आपको कोई बहुत ही ज्यादा वजन आ रहा है तो मैं सोचता हूं कि ऐसा करके ऐसे चित्र को भेजकर एक तरह से वकील समाज को आप सम्मानित नहीं कर रहे हो, उसको आप एक तरह से डिग्रेड कर रहे हो। कृपा करके जिद मत करो। ये ऐसे विषय हैं, आपने एक बार कानून बनाया, आपने राज्यपाल को भेजा, राज्यपाल ने वापस आपको भेजा, आप वापस पास करके भेज रहे हो। इसको प्रारम्भ से ही, जैसे ही आपको लगा कि इसमें कुछ है, तो अपनी विधान सभा की जो प्रवर समिति बनती है उस समिति में एडवोकेट्स को भी बुलाकर सुन लेते, बाकी लोगों को भी सुन लेते और उसके बाद एक परफेक्ट बनाते तो मैं सोचता हूं कि आपकी मंशा मदद करने की है पर वह मदद करने के साथ-साथ उसको आपने चुभाने का प्रयास भी किया है। मेरी फिर प्रार्थना है, मंत्री

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

महोदय, अगर कोई दो-चार महीने, मार्च में आप इसको करेंगे तो कोई आसमान फटकर धरती पर नहीं आ जायेगा। कृपा करके आप जिद मत कीजिये। यह विषय सामान्यत: उन सारे लोगों से जुड़ा है जो राजस्थान में इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उनको सम्मानपूर्वक भी हो और सामान्य जनता के ऊपर आप भार डालकर और सरकार को भी मंशा बनानी चाहिए कि इतना पैसा कलेक्ट होता है उसका सर्टेन परसेंटेज हर साल सरकार भी उसमें सहयोग के रूप में मिला दे, ताकि वह फण्ड बन जायेगा और उस फण्ड के आधार पर और कुछ नहीं होगा तो उसकी मौत पर जो कुछ पैसा मिलना है तो आज की तारीख में इंश्योरेंस की इतनी एजेंसियां हैं, उसमें कुछ शेयर डालकर उसको फिक्स कर देंगे तो मैं समझता हूं कि उसको अच्छा से अच्छा पैसा मिलेगा। इससे सरकार पर भी भार नहीं आयेगा और उसका भी सम्मान बना रहेगा। इस लिस्ट को कोई भी पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि सरकार ने हमारे बारे में दो साल, पांच साल, आठ साल, बारह साल, पचास साल प्रैक्टिस करने के बाद पन्द्रह लाख रुपये उसको मृत्यु होने पर सहायता मिलेगी, यह मैं सोचता हूं कि राजस्थान के उस वकील समुदाय, जो सबसे ज्यादा शिक्षित, पढ़ा-लिखा और समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को आप गिराने का काम कर रहे हो, बढ़ाने का नहीं। जिद मत कीजिये, दो महीने लेट हो जाये, कोई बात नहीं, आप और हम सब बैठकर, उस कमेटी में सब लोग होते हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी बुला लें और जो इस व्यवसाय से सम्बन्धित हैं, उन लोगों को भी बुला लें और एक परफेक्ट कानून यदि आप बनायेंगे तो मैं सोचता हूं कि हमारा परपज भी हल होगा और उसको हम एक सम्मानजनक संतोष दिला सकेंगे, इतना ही निवेदन है।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले माननीय चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बार कौंसिल आफ राजस्थान से विचार-विमर्श कर इस एक्ट को लाने की बात की, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि द बार कौंसिल आफ राजस्थान ने अगस्त में चिट्ठी लिखी। तारीख थी 11 अगस्त, 2021, उस चिट्ठी के द्वारा बताया गया, जो अमेंडमेंट्स हैं, उन्हीं को पढ़कर मैंने अभी शुरू में बताया था, in the first proviso of sub-section (5) of section 16 of the existing figures 17,500 be substituted by 50,000. पीछे इसको एक लाख रुपये कर दिया गया था, बार कौंसिल ने कहा कि इसको 50 हजार रुपये कर

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

दीजिये तो हमने इस एक्ट में 50 हजार रुपये का प्रावधान किया है। In the second proviso of Clause 2 of sub-section (1) of section 17 of the word "rupees two lac fifty thousand" be deleted and "rupees five lac" be substituted. यानी एक्सग्रेसिया के बारे में एक तो आपके स्लिप आफ टंग हो गयी, आपने कहा कि 10 लाख रुपये का प्रावधान था, 10 नहीं 8 लाख रुपये का प्रावधान था। उसको इन्होंने ही खुद ने लिखा है कि इसको 5 लाख रुपये तक का प्रावधान कर दिया जाये तो हमने 5 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया। उन्हीं के सजेशन से ऐसा किया है। फिर उन्होंने लिखा है, in sub-section (1) of section 19 the word "twenty five" be substituted by word "hundred". जब शुरू-शुरू का एक्ट बना था 1987 उसमें दस, बीस और उसके बाद में सौ रुपये की फीस थी। उसको बढ़ाकर सौ और दो सौ रुपये कर दी। अब इन्हीं का सजेशन था कि इन सबको खतम करके सब प्रकार का वकील कोई भी चीज लिखेगा, उस पर वकालत का स्टैम्प है, वह सौ रुपये का लगेगा। इन्हीं के सुझाव के आधार पर हमने सौ रुपये किया है। फिर, "the amended sub-section (1) of section 19 read as under 19 - Printing and distribution of Stamps by Trustee Committee/Bar Council:- (1) The Trustee Committee/Bar Council shall cause to be printed and distributed Welfare Fund Stamps of the hundred rupees with the Trustee Committee/Bar Council emblem and its value along with serial number inscribed thereon." यह भी उन्हीं के सुझाव के आधार पर सब तरह के हटाकर दस, बीस, सौ, दो सौ, यानी सेशन कोर्ट में अलग, हाई कोर्ट में अलग स्टैम्प लगता था, जयपुर विकास प्राधिकरण या अन्य स्थानों पर प्राधिकरणों में अलग स्टैम्प लगता था। उन्होंने स्वयं ने कहा कि सबको हटाकर सौ रुपये कर दो, चाहे हाई कोर्ट में वकालतनामा दें, चाहे सेशन कोर्ट में दें, चाहे प्राधिकरण में दें, ये सारी चीजें, उनके सुझाव के आधार पर ही की गई हैं।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हर साल 1 जुलाई को दस रुपये की अभिवृद्धि की जाये। इसके लिए भी इन्होंने लिखा है, "new sub-section (4) of section 20b after the sub-section (3) provided that the value of the stamp so to be affixed on every Vakalatnama filed before or received in any Court, Tribunal or other Authority

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

or person shall be increased by ten rupees per year commencing from 1st of July of every financial year." ये सब प्रतिपक्ष के नेता महोदय, बार कौंसिल से बात करके उन्हीं के लैटर के आधार पर जो अमेंडमेंट वो चाहते थे, वो अमेंडमेंट हमने किये हैं।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दस करोड़ रुपये की राशि जो कोविड-19 में दे दी गयी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने यह जमा करवा दी है। बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या 243 में आपने दस करोड़ रुपये की बात की थी, वो बार कौंसिल को घोषणा के अनुकरण में राशि गवर्नमेंट ने जमा करवा दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कब?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): जमा करवा दी है, मैं जब आपको कह रहा हूं तो आथेंटिक रूप से जमा करवा दी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): तारीख बता देंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मेरे से तारीख पूछ रहे हैं तो तारीख भी बता दूंगा।

5 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की वकालत कर वकालत छोड़ने वाले अधिवक्तागण को मिलने वाली राशि की सूची भी बार कौंसिल आफ राजस्थान द्वारा ही दी गई है। यह एक्सग्रेसिया नहीं है। यह उसकी सेवाओं का प्रतिफल है। मान लो कोई 50 वर्ष तक सेवा करके रिटायर कर ले तो उसको 15 लाख रुपये मिलेंगे। उन्होंने सूची बनाकर दी है, इसमें किसी प्रकार का कहीं कुछ और नहीं है।

चूंकि यह 7 मार्च, 2020 को हमने इसी विधान सभा में इस एक्ट को पास करके भेजा था। उस समय कुछ बार काउंसिल के लोग, डिस्ट्रिक्ट संघ के लोग मिले थे, मिलकर महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया। सरकार के पास भी ज्ञापन आये। हमारे पास भी 11.08.2021 को प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी के माध्यम से बार काउंसिल का यह ज्ञापन मिला। उन्होंने जो सुझाव दिये, उनके आधार पर आज का यह बिल लेकर आये हैं। मैं समझता हूं, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। बार काउंसिल के सुझावों के आधार पर ही जो-जो अमेंडमेंट्स वे चाहते थे, वे हमने किये हैं। मैं समझता हूं, इसे पारित कर दिया जाये।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्रतिपक्ष के नेता, जैतारण और भादरा से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उन्हें हम इनकारपोरेट कर लेते, लेकिन सारा मामला ही जब बार काउंसिल के सुझावों के आधार पर बना है, जो सारे के सारे अमेंडमेंट्स आये हैं, वे सब उन्हीं की राय के अनुसार हमने करके आपके पास भेजे हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसे संशोधित रूप में स्वीकार करके पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री मुरारी लाल मीणा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह सदन राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा कर रहा है। मंत्री महोदय, मूल रूप से राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की तीन धाराओं में आप संशोधन लेकर आये हैं- धारा 17, धारा 17-क और एक नयी उप-धारा 17-ख आप इंसर्ट कर रहे हैं। यह संशोधन आप क्यों लेकर आये? इसके पीछे हेतु क्या था? यह किसानों के लिए कितना प्रगतिशील होगा? इसका असर राजस्थान की 72 परसेंट की आबादी में 84 परसेंट उन लोगों की आजीविका पर क्या पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपका ध्यान पेज 8 पर जो ''उद्देश्य और कारणों का कथन'' है, उस पर ले जाना चाहता हूं। मैं उसकी वर्बेटिम पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं सदन से भी कहूंगा, कृपया इसे सुनकर, विशेष तौर पर भादरा से आने वाले माननीय सदस्य, आप इसका पक्ष जरूर करना।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

"उद्देश्य और कारणों का कथन" में लिखा है, "भारत सरकार ने वर्ष 2020 में दो अन्य कृषि अधिनियमों के अलावा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 अधिनियमित किया था। केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित होने के कारण यह राज्य विधि अर्थात् राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 पर अध्यारोही प्रभाव रखता था। तदनुसार, 1961 के राज्य अधिनियम में कतिपय उपबंध, जो कि उपर्युक्त 2020 के केन्द्रीय अधिनियम से विरोधी थे, संशोधित किये गये थे।"

सभापति महोदय, यह वही बिल है, जिसे आज राजस्थान की सत्ता में बैठे अधिकांश सदस्यों ने काला बिल बताया। भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कई दिन तक दिल्ली की सरहदों पर धरने-प्रदर्शन किये और भाषण ठोके। वह बिल जो पारित हुआ, जिसके लिए इसमें लिखा है, "कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020" और सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे संविधान में व्यवस्था दी गयी है। संविधान के आर्टिकल 246 में यूनियन लिस्ट, कान्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट है। यह कृषि उपज व्यापार कान्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। चूंकि पहले इसमें कृषि उपज मण्डी का नियम बना हुआ था, राजस्थान की विधि बनी हुई थी, इसलिये "उद्देश्य और कारणों का कथन" में इन्होंने लिखा कि ओवरराइडिंग इफेक्ट उस पर आ गया। अत: 2020 में इसी सदन में हम एक संशोधन लेकर आये थे।

अब आगे क्या लिखते हैं, "परिणामस्वरूप मण्डी समितियों द्वारा संगृहीत की जाने वाली मण्डी फीस और किसान कल्याण फीस में काफी कमी आ गयी, क्योंकि इन फीसों का संग्रहण मण्डी यार्ड की भौतिक सीमाओं तक परिरुद्ध हो गया था।" मूल कारण यह है। यह बिल इसलिये लाया गया, उस समय 2020 में भारत सरकार एक बिल लेकर आयी, मण्डी की बेड़ियों से किसान को मुक्त किया। किसान अपनी फसल को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे बेचे। ए पी एम सी एक्ट के आधार पर बनी हुई मण्डियों की सीमा के बाहर किसान को अधिकार मिला।

मंत्री महोदय, इसी अधिकार के तहत 2020 में हम सब उस संशोधन के साक्षी बने थे। अब आगे क्या लिखते हैं, "चूंकि केन्द्र सरकार ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निरसित कर दिया है", यह देश के प्रधान मंत्री का लोकतांत्रिक रवैया है। लोकतांत्रिक सोच है। आप लोगों ने कहा, किसान ने कहा। मैं समझता हूं कि हम जैसे लोग किसान को यह समझाने में विफल रहे कि यह बिल आपकी प्रगति का द्योतक है और भारत सरकार ने बड़ा मन रखकर बिल को वापस ले लिया।

अब ये आगे क्या कहते हैं, ''चूंकि केन्द्र सरकार ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 को निरसित कर दिया है, राज्य सरकार ने उपर्युक्त 2020 के केन्द्रीय अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व में विद्यमान प्रास्थिति को वापस लाने का विनिश्चय किया है।'' सभापति महोदय, पूर्व में यही था, जहां चाहें, जैसा चाहें, बेचें और टैक्स लें। ''ताकि मण्डी समिति की निधियों में वृद्धि हो सके। तदनुसार, धारा 17 और 17-क को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।''

सवाल यह खड़ा होता है कि यह मण्डी शुल्क और कल्याण फीस कौन देता है? मण्डी शुल्क में और किसान कल्याण फीस में कमी आयी। कमी इसलिये आयी कि भारत सरकार ने एक अधिनियम को अधिनियमित कर दिया। उसके आधार पर 2020 में इसी सदन ने एक विधेयक पास किया। आज उसी के निरसन के लिए कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17, 17-क और 17-ख में हम संशोधन लेकर आये हैं।

सभापति महोदय, मैं आगे आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है, और मैं चाहूंगा कि सत्तारूढ़ दल में यहां हेमाराम जी जैसे किसान बैठे हैं मुझे कहने में संकोच नहीं है, मैं इस आदमी की बहुत इज्जत करता हूं। सभापति महोदय, पहला व्यक्ति है जो काबीना में और काबीना के बाहर किसान की बात को बेबाकी से कहता है। मैं आज उम्मीद करता हूं, आपके अन्दर का किसान जगाने की मैं आज कोशिश करूंगा। किसान जाग जायेगा तो आप राजस्थान में किसानों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरेंगे। मैं इसीलिये कह रहा हूं, हेमाराम जी, यह जो बिल आज हम पारित करने जा रहे हैं, इसका हेतु मैंने पढ़कर सुनाया। इसका हेतु यह है कि मण्डी समितियों द्वारा संग्रहीत की जाने वाली मण्डी फीस और किसान कल्याण फीस में कमी आ गयी। यह मण्डी फीस और किसान कल्याण की फीस कौन बढ़ायेगा? राजस्थान का किसान,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिसकी बहबूदी का नाम आप लेते हैं। आप कानून लगाकर इस कानून के निरसन के अन्दर उनसे पैसा वसूलने का एक दरवाजा खोल रहे हैं।

सभापति महोदय, आज हो क्या रहा है? आज सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि क्या काला कानून वह था, जिसमें मण्डी समिति के बाहर कोई भी किसान अपनी उपज बेचे, उस पर कोई टैक्स नहीं था, कोई फीस नहीं थी या काला कानून यह है, जो आज हम पारित कर रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आर्टिकल 246, सातवीं अनुसूची, संयुक्त सूची 33 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, उसमें कृषि व्यापार, ट्रेड के लिए परिभाषित किया गया है कि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केन्द्र सरकार भी कानून बना सकती है, पर राज्य सरकार के कृषि कानून के रहते हुए केन्द्र अगर कानून बनायेगा तो आर्टिकल 254(2) यह कहता है कि केन्द्र की जो विधि है, वह प्रभावी रहेगी। चूंकि केन्द्र सरकार किसान को समझा नहीं पायी, इसलिये उसे वापस ले लिया, अत: आज इस बिल के माध्यम से राजस्थान में एक नया काम हो रहा है।

मंत्री महोदय, यदि नटशेल में मैं अपनी बात कहूं तो धारा 17 में कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''मण्डी क्षेत्र'' की परिभाषा को बदलकर आप ''मार्केट एरिया'' कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं मुलाहिजा चाहूंगा, मूल रूप से धारा 17 में जो आज यह विधान सभा पारित करेगी, उसमें मण्डी क्षेत्र की परिभाषा में मण्डी क्षेत्र के बजाय मार्केट एरिया और मार्केट क्या है सभापति महोदय? आज सीकर का गुदड़ी बाजार हो, चाहे सीकर में आपके मोहल्ले के पीछे लगने वाली दुकानें हों, चाहे सीकर के पास में किसी जगह पर हाट लगाकर किसान अपनी जिन्स बेचने जाएगा तो वह सारा मार्केट एरिया आ गया और उस पर टैक्स अधिरोपित करने का काला कानून आज राजस्थान की हुकूमत लेकर आयी है। यह 17-क के अन्दर किसान कल्याण फीस का अधिकार ले रही है और मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कितना व्यापक दायरा इन्होंने किया है और इन्होंने कहा है कि मूल रूप से संशोधन विधेयक के माध्यम से राजस्थान कृषि मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17 में विद्यमान अभिव्यक्ति इस अधिनियम के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अधीन गठित की गयी मण्डी समितियों द्वारा मैनेज और चलाये गये प्रधान मण्डी यार्ड, उप-मण्डी यार्ड और मण्डी उप-यार्ड की भौतिक सीमाओं में लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा प्रबन्धित निजी मण्डी यार्ड, निजी मण्डी उप-यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और अन्य नोटिफाइड क्षेत्र, कोई लाइसेंसी इसमें काम करता है, उसकी नई अभिव्यक्ति उनके द्वारा मण्डी क्षेत्र में मार्केट एरिया है। मूल रूप से इस बिल का एम्बिट यही है, इस बिल की आत्मा यही है और किसान की आत्मा को मारने का काम आप कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि मार्केट एरिया परिभाषित करके 17-क के अन्दर, मंत्री महोदय, किसान के बेटे हो, आज इस बिल को यहां रखकर चले जाओ, कलंकित मत हो जाना, मैं समझता हूं कि इतिहास में यह लिखा जायेगा। 17 (क) में कृषक कल्याण फीस संग्रहित करने का अधिकार आप ले रहे हो। मैं समझता हूं कि यह बिल पारित हो जाएगा और इस बिल के साथ मण्डी टैक्स, कृषक कल्याण फीस और वह कोरोना वाला सैस भी आपने अभी तक लगा रखा है। भादरा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पहली बार आपने इस राजस्थान के अन्दर नई संस्कृति पैदा कर दी और कम्युनिस्ट के रूप में आपका चुनाव निशान हाथ हो गया, मुझे एतराज नहीं, परन्तु इसके बारे में आप निश्चित तौर पर बोलना, फिर भादरा के अन्दर मंच लगायेंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज क्या हो रहा है? आज गेहूं, चना और जौ पर एक रुपये 60 पैसे का मण्डी टैक्स है, ज्वार, मक्का, बाजरा पर 50 पैसे है, सरसों, तिल और मूंगफली पर एक रुपया है। कृषि उपज मण्डी कर के अलावा कृषक कल्याण फीस में 50 पैसे प्रति सैकड़ा और ले रहे हैं। जो प्रचलित आढ़त थी वह एक रुपये 75 पैसे थी। हम तो व्यापारियों की पार्टी हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, हम पर आरोप लगा रहे थे कि व्यापारियों की पार्टी है, यह बाला-बाला आपने आढ़त क्यों बढ़ा दी? 2 रुपये 25 पैसे कैसे कर दी? गौ-सैस अलग है। मैं समझता हूं कि कोरोना का सैस अलग है। आज मेरा आरोप है, मैं जिम्मेवारी से आरोप लगा रहा हूं कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा मण्डी टैक्स, हिन्दुस्तान के अन्दर किसान अपनी जिन्स बेचेगा तो सबसे ज्यादा टैक्स किसी न किसी रूप से अधिरोपित किया है तो अशोक गहलोत की किसान कल्याणकारी सरकार ने किया है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कर्नाटक में चले जाओ वहां 0.35, गुजरात में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

0.50, मध्य प्रदेश में 1.0 परसेंट और महाराष्ट्र में चले जाओ तो वहां भी 0.10 परसेंट, पर, सभापति जी, आप पूरा जोड़कर देख लो, कल्याण फीस से लेकर यह जो सैस इन्होंने लगा रखा है, वह सारा तीन रुपये को पार करता है। यह किसान कल्याण है?

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूं, इससे पहले मैं एक वक्तव्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा- "मैं देश के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसान वर्षों से यह मांग कर रहा था कि अपनी फसल जहां चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे बेच सके, उसे पूरा करके आज उदारीकरण के युग में किसानों को अपनी फसल देश के किसी कोने में, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कम्पनी को, किसी भी व्यापारी को बेचने का अधिकार दे रहा हूं।" डिजिटल इंडिया के सपने के अनुसार इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म भी किसानों के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। मैं समझता हूं कि बातों से कुछ नहीं होगा, मंत्री महोदय, तर्कों के आधार पर मेरे से बात करो।

श्री सभापति: बीच में नहीं। समाप्त करें, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करूं, एक और है कि 17-(ख) में क्या संशोधन लेकर आये हैं? 17 (2) (बी) में संशोधन लेकर आये हैं कि किसी भी मण्डी क्षेत्र में नो-नोटिफाइड कृषि उपज जिन्स या खाद्य पदार्थ, यानी आदिवासी इलाके के अन्दर किसान अगर वन उत्पाद लेकर चला गया, शहद लेकर चला गया, जड़ी-बूटियां लेकर चला गया, मूसली लेकर चला गया, लहसुन लेकर चला गया तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। यह काला कानून नहीं तो क्या है? मैं मेरी बात समाप्त करूं, उससे पहले मंत्री महोदय, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 4, मूल धारा आप पढ़ लीजिये। उसमें लिखा है कि किसी भी मण्डी क्षेत्र को किसान की फसल बेचने के लिए घोषित करने से पहले आप एतराज मांगेंगे, सुझाव लेंगे और गजट में नोटिफाइड करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सेक्शन 17, 17(ए) और 17(बी) के माध्यम से पूरे बाजार को मार्केट एरिया बना रहे हो, मण्डी टैक्स की परिधि से बाहर जा रहे हो। आपने नोटिफाइड किया, आपने एतराज लिए, इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट में आपने ईज आफ डूइंग फार्मिंग,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एग्रीकल्चर की बात कही, 2019-20 आपने एक हजार करोड रुपये के किसान कल्याण कोष की स्थापना की बात की, पैसा आपके पास कल्याण कोष में पड़ा है पर राजस्थान के किसान को बरबाद करने के लिए किसान कल्याण कोष के नाम पर यह लूट आप क्यों करना चाहते हो? इसलिए, सभापति महोदय, मैं ज्यादा कहूंगा तो आप मुझे अनुमति नहीं देंगे, हालांकि मेरी इच्छा बहुत थी और मैं बड़े व्यथित मन से कह रहा हूं, मैं पूरे सदन को कह रहा हूं कि सदन के अन्दर यह एक चूरू का विधायक नहीं, एक किसान का बेटा अपील कर रहा है कि इस काले कानून को वापस लो। यह काला कानून आज पारित हो गया तो इतिहास के अन्दर हम सब लोग दोषी पाये जायेंगे, इसलिए जनमत जानने के लिए इसको परिचालित करो।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, जैसे अभी उप नेता महोदय, प्रतिपक्ष ने सारी बात रखी और आज जो ये कानून राजस्थान की कांग्रेस सरकार लेकर आयी है, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब भारत सरकार तीन कानून लेकर आयी, तब इसी सदन में बैठकर आपने यही कहा था, जो आज आप सबके मुंह से शब्द निकले हैं और आपने बड़ा प्रचारित किया था कि ये कानून किसान विरोधी हैं। तब आपने किसानों के लिए बड़ी-बड़ी बातें कही थीं और आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? राजस्थान की कांग्रेस सरकार राजस्थान के उस 80 प्रतिशत गरीब और छोटे किसानों को मारने जा रही है।

सभापति महोदय, आज इस सदन में आने वाले ज्यादातर सदस्य किसानों की बात जरूर करते हैं और किसानों के कारण ही हम सब लोग हैं लेकिन यह जो कानून आज सरकार लेकर आ रही है, इस धारा में आपने साफ-साफ लिखा है कि यह प्रति एक सौ रुपये कृषि उपज पर अधिकतम दो रुपये के अध्यधीन होगी। यह अधिकतम दो रुपये लिखने के बावजूद भी जैसे अभी उप नेता, प्रतिपक्ष ने बताया कि आप इसका यदि कुल जोड़ करेंगे तो यह तीन रुपये तक जा रहा है। आपके आंकड़े नहीं बताये कि कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य में अधिनियम 2020 में जो ओवरराइड इफेक्ट आ रहा है उसके कारण से 480 करोड़ रुपये की आपकी फाइल पर नोटिंग है कि 480 करोड़ रुपये हमको अधिक प्राप्त करने हैं जो हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। ये 480 करोड़ रुपये कौन देगा? ये 480

(श्री अशोक लाहोटी)

करोड़ रुपये किसकी जेब से वसूल करोगे? यह राजस्थान के उन 80 प्रतिशत छोटे किसानों से राजस्थान की कांग्रेस की सरकार वसूल करेगी।

सभापति महोदय, आपने इसमें क्या किया है? अधिनियम, 1961 की धारा 17, 17ए में मण्डी क्षेत्र, जैसे अभी कहा कि मार्केट एरिया जिस पर अभी केवल मण्डी की फिजिकल बाउण्ड्री के अन्दर ही यह टैक्सेबल था, आपने एक शब्द इसमें लगा दिया कि फिजिकल बाउण्ड्री की जगह पूरे मण्डी क्षेत्र में होगा। मण्डी क्षेत्र क्या है? मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहां मुहाना मण्डी है, उस मुहाना मण्डी में पूरा जयपुर जिला आता है, जयपुर जिले में कोई भी किसान किसी भी तरह का कोई भी सामान का लेन-देन करे और केवल कृषि सामान ही नहीं, कृषि से सम्बन्धित सारे सामानों का जिसमें कोई भी सामान हो जाए, उसके लेन-देन पर आपने दो प्रतिशत तो यह लगा दिया और बाकी सैस वगैरह लगाकर लगभग तीन प्रतिशत किसानों पर आपने थोप दिया। यह कौनसा कानून है, सभापति महोदय? तीन-तीन प्रतिशत आप गरीब किसान से ले रहे हो। एक तरफ आप किसान कल्याण कोष की बात कर रहे हो, एक हजार करोड़ रुपये की बात की, सरकार को अपनी जेब से देना था, पर किसान की जेब से पैसा ले रहे हो और किसान को ही कह रहे हो कि हम गरीब कल्याण कोष बना रहे हैं। कौनसा गरीब कल्याण कोष बना रहे हो? कौनसा किसान कल्याण कोष बना रहे हो?

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये केन्द्रीय कानून निरस्त होने के बाद में किसान विरोधी शक्तियों के एक वर्ग विशेष ने किसानों का शोषण करने का एक अधिकार लेने की तैयारी कर ली है। और वह तैयारी क्या है? इसी के परिणामस्वरूप खाद्य व्यापारियों, गैर कृषि व्यापारियों को मण्डी में प्रवेश दिये जाने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 इस सदन में प्रस्तुत किया गया है।

(समय: 14.00 बजे)

सभापति महोदय, अन्नदाता एक बार फिर वापस बिचौलियों व आढ़तियों के चंगुल में फसेंगे। यह राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने तैयारी की है। सभापति महोदय, आप एक नया शब्द इसमें जोड़ रहे हैं। प्रस्तावित संशोधन में मण्डी की परिभाषा भण्डार गृह, कोल्ड स्टोरेज को शामिल किया गया है, जो कि पुन: व्यापारियों और आढ़तियों को एक अवसर प्रदान करेगा कि किसानों का शोषण किया जा सके।

(श्री अशोक लाहोटी)

राज्य सरकार द्वारा किसानों के शोषण का दायरा बढ़ाया गया है। राजस्थान में 31 जिलों में कुल केवल 93 भण्डार गृह हैं और 93 भण्डार गृहों पर अधिकांशत: भारतीय खाद्य निगम और नैफेड का स्टाक जमा रहता है। जब आलरेडी उनका स्टाक जमा है, भण्डार गृहों पर संग्रहण शुल्क की आसमान छूती दरों के कारण किसान इन भण्डार गृहों पर उसकी मेहनत से उत्पादित उपज रखने से दूर है। ऐसे में इन स्थानों पर मण्डियां संचालित करने से आढ़तियों को फायदा होगा। व्यापारी कम दाम पर किसान की फसल खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

सभापति महोदय, गैर कृषि नोटिफाइड सामग्री, आपने इसमें लिखा है, मंत्री महोदय ने गैर कृषि नोटिफाइड सामग्री इसमें इंसर्ट की है। खाद्य सामग्री की स्वीकृति दिये जाने के कारण कृषि व्यापार धीरे-धीरे समाप्त होने की कगार पर चला जायेगा।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक आदर्श प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र में विकास, कृषि समस्याओं का चिह्नीकरण, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण, समस्याओं के सम्भावित निदान का अनुसंधान, अनुसंधान का खेतों पर अनुकूल उपरान्त उच्च तकनीकी द्वारा उत्पादन, नवाचार एवं इसके विपणन के आधार पर होता है। राज्य सरकार द्वारा कृषि कानून की आधारभूत संरचना में बदलाव किया गया है, जिसके कारण पूरी कृषि व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इन्होंने अभी क्या किया, अधिकारी वर्ग के पदों को तो डेढ़ से दो गुना बढ़ा दिया लेकिन जो किसानों की वास्तविक जरूरत थी, अनुसंधान संवर्ग, आंकड़ों के विश्लेषण का संवर्ग कृषि सांख्यिकीय की बढ़ोतरी के स्थान पर लगातार कमी की जा रही है। सभापति महोदय, सरकार ने नवाचार बन्द कर दिया है। कानून संशोधन के माध्यम से किसान का शोषण करने के नये-नये रास्ते बनाये जा रहे हैं।

सभापति महोदय, किसान कल्याण कोष के नाम पर मनमानी बढ़ोतरी की जाकर किसानों से वसूली की जायेगी और एक ठगी करने का नया रास्ता तैयार कर लिया गया है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान का किसान पहले से ही प्राकृतिक कारणों से कम उत्पादन के लिए पहचाना जाता है, उसके ऊपर इस प्रकार का कानून, आप

(श्री अशोक लाहोटी)

याद करें भारत में 80 प्रतिशत और राजस्थान में लगभग 85 प्रतिशत वो किसान हैं, जिनके खेत छोटे हैं और दो हैक्टेयर से कम भूमि पर है।

सभापति महोदय, हमारी 50 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर जरूर है, लेकिन हमारे किसानों का जी डी पी में योगदान केवल 16 प्रतिशत है। इसलिए मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी ही सरकार में 2010 में कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित एक कमेटी बनी थी, जिसकी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, तत्कालीन मुख्य मंत्री, हरियाणा ने अध्यक्षता की थी। कृषि उत्पादन पर कार्य समूह का गठन किया गया था।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): कृषि मण्डी से ही सम्बन्धित है। जिसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्री सम्मिलित थे। उन्होंने वर्डिक्ट दिया था। समूह द्वारा अनुशंसा की गई कि कृषि उपज के विपणन पर बन्धन हटाये जाए। कृषि उपज विपणन के बाजार पर कोई एकाधिकार न हो, ए पी एम सी मण्डियों का अधिकार न हो। इसमें लाइसेंस कार्पोरेट मण्डियों का हो, कृषि विपणन व्यवस्था में स्पोट इलेक्ट्रोनिक मार्केट का विकास हो, कार्य प्रणाली का आटोमाइजेशन व अवसंरचना का विकास हो। इसके विपरीत आपका यह बिल आज फिर पेश हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। इतना बहुत है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, इसी प्रकार 2013 में 10 राज्यों के मंत्रियों के समूह ने पहले 2014 में जो मैनिफेस्टो में दिया था, आपके मैनिफेस्टो के पैरा 7 में, पैरा 11 में उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस कृषि उपज मण्डी समितियों के अधिनियम को संशोधित करेगी, कृषि उपज के निर्यात और अन्तरराज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबन्धों को समाप्त करेगी। ये कौनसे समापन की तरफ लेकर जा रहे हैं, सभापति महोदय?

आपके मैनिफेस्टो में लिखा है। इसी के सब-पैरा 12 में लिखा है कि कांग्रेस बड़े गांव और छोटे कस्बों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ किसान बाजारों की स्थापना करेगी। कौन-से बाजारों की स्थापना की? इसी में लिखा है कि जहां पर किसान बिना किसी प्रतिबन्ध के अपनी फसल बेच सकेंगे। यह सबसे बड़ा शब्द आपने लिखा और आज वो ही प्रतिबन्ध राजस्थान की कांग्रेस सरकार राजस्थान के किसानों पर थोप रही है।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, मेरा राजस्थान के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सरकार संख्या बल के आधार पर इसको पास करवाने की जरूर कोशिश करेगी, लेकिन यदि कोई भी हिमायती है, जो किसानों के बीच चुनावों में जाना चाहता है, जो यह कहता हो कि मैं किसानों का हितैषी हूं और मैं किसान हूं वह इस बिल का विरोध करे। फिर, इसको जनमत जानने के लिए भेजे, यही मेरा अनुरोध है। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, यह जो राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को संशोधित करने का विधेयक राज्य सरकार लाई है, यह किसान विरोधी कानून है। किसान की बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं, हम किसान का भला चाहते हैं, लेकिन भला चाहने की जगह ये एक तरह से किसानों का शोषण कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह मण्डी पर टैक्स है, सारे भारत के अन्दर राजस्थान का मण्डी टैक्स सबसे ज्यादा है। मण्डी परिसर में बेचता था, वहां तो लागू होती थी, आपने अब इसका दायरा बढ़ा दिया। उसके कारण से ये पूरी तरह बिचौलियों के चंगुल में किसानों को फंसाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि पूरे बाजार को यदि मण्डी घोषित किया तो इससे किसानों का अहित होने वाला है।

एक ओर तो हमारे प्रधान मंत्री किसानों की आयु दुगुनी करने के लिए प्रयत्नशील हैं और राज्य सरकार उसमें सहयोग करने के बजाय केवल उसमें किस तरह से अवरोध किया जाए, उधर आगे बढ़ती जा रही है।

एक ओर कोल्ड स्टोरेज की बात होती थी, राजस्थान में पहले से ही 93 कोल्ड स्टोरेज हैं और इतने कम कोल्ड स्टोरेज होने पर भी जिस प्रकार से शुल्क बढ़ाया है, उस शुल्क को बढ़ाने से उस कोल्ड स्टोरेज में किसान, बड़े-बड़े व्यापारी उनसे खरीदकर कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करेंगे तो किसानों का निश्चित रूप से शोषण होगा।

मैं समझता हूं मण्डियों में कृषि उत्पादन के अलावा गैर कृषि उत्पाद का भी जो प्रोविजन रखा है, उसके कारण से निश्चित रूप से किसानों का तो अहित होगा और बड़ी कम्पनियों का इसमें कब्जा होता जायेगा। इसलिए मेरी

(श्री वासुदेव देवनानी)

सरकार से मांग है कि इस प्रकार का विधेयक लाने की तुलना में जरा इस पर आप पुन: विचार करते। मण्डी फीस कम करते, अन्य प्रान्तों के बराबर करते, मण्डी की परिभाषा न बदलकर के वही रखते तो शायद किसानों का कुछ हद तक हित होता। किसानों के कल्याण कोष की बात करते हो। यदि वास्तव में किसानों के प्रति आपके मन में हमदर्दी है तो उस कल्याण कोष में आप बजट में से पैसा देते। उन्हीं से लेकर उन्हीं का कल्याण कोष, यह कैसा नजारा है? केवल नाटक, एक नौटंकी बना रखी है। इससे राजस्थान के किसानों का अहित होगा। आप बार-बार मुझे देख रहे हो, इसलिए बहुत अधिक न बोलकर, क्योंकि दोनों वक्ता बोल चुके हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, नहीं तो यह काला कानून होगा, आप किसान विरोधी कहलाओगे। यह मैं आपको सचेत कर रहा हूं।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): निश्चित तौर पर उप नेता प्रतिपक्ष और हमारे साथियों ने कहा कि किसानों के लिए काला कानून है। माननीय मंत्री जी जो लेकर आये हैं, यह डा. स्वामीनाथन की अनुशंसाओं के विरुद्ध है, इनके खुद के जन घोषणा पत्र के विरुद्ध है। इन्होंने चाहे प्रदेश में चुनाव लड़े हो, चाहे देश में चुनाव लड़े हो, अपनी पार्टी के घोषणा पत्र के विरुद्ध है। इसी विधान सभा में जो कानून हमने पीछे संशोधित किया, उसकी भावनाओं के विरुद्ध है। किसानों को मण्डी की चारदीवारियों से मुक्त कर दिया। जो नौजवान नया व्यापारी बनना चाहे, वह मण्डी में व्यापार कर नहीं सकता, लाखों करोड़ रुपये की दुकान खरीद नहीं सकता। वह अपने किसी भी क्षेत्र में पूरे मार्केट एरिया में रहकर अपना व्यापार करना चाहे, उन नौजवानों के खिलाफ है। आप पूरे दायरे में मण्डी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं और कहने को तो आप दो परसेंट तक की बात करते हैं, लेकिन सारे सैस और शास्तियां मिलाकर आप तीन प्रतिशत तक ले जायेंगे।

पड़ोस के प्रदेशों में कहीं 0.5 प्रतिशत है, कहीं 0.3 प्रतिशत है, कहीं 1 प्रतिशत है। हमारा मण्डी टैक्स तीन प्रतिशत से भी ज्यादा जायेगा। ज्यादा बातों का दोहराव न करते हुए निश्चित रूप से किसानों के खिलाफ है और बिल को हम जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाह रहे हैं।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय मंत्री जी, यदि आपको करना था तो मण्डी की समस्याओं को लेकर संशोधन लाते, मण्डी यार्ड जहां पर्याप्त नहीं है वहां यार्ड बनाने की बात करते या जहां यार्ड पर्याप्त है और पैसा पड़ा है तो उस पैसे को सड़क में काम लेने का आप संशोधन लेकर आते। नोखा की जो ग्रेन मण्डी है, उसके साथ फल-सब्जी मण्डी में उसके लिए जगह नहीं है तो हमारे नोखा में नयी फल सब्जी मण्डी के लिए भी आप प्रावधान करें, उसके लिए जगह भी चिह्नित करें। नयी फल सब्जी मण्डी खोलने का कार्य करें। हम इस बिल का विरोध करते हैं। यह किसान विरोधी बिल है और जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 में संशोधन के लिए लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, आपको पता है कि केन्द्र सरकार बिल लायी थी। उनका एक बिल यह था कि कृषि उपज मण्डी के बाहर कोई उपज बेचेगा तो उसके ऊपर न तो आढ़त लगेगी, न किसी प्रकार का टैक्स लगेगा और इसके कारण से स्वतंत्र रूप से किसान कहीं भी अपनी उपज को बेच सकता है। उसका विरोध मेरे समक्ष बैठे हुए लोगों ने किया था और बड़ी उदारता दिखाते हुए उस विरोध को देखते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने उस बिल को वापस लिया, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि किसानों को लूटने वाला संशोधन आज यहां लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मण्डी के बाहर भी यानी भौतिक रूप से जो मण्डी की सीमाएं तय हैं, उनके बाहर यदि कहीं भी बेचेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा कृषि उपज का और जो नोटिफाइड कृषि उपज नहीं है उसके ऊपर भी, तो अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह हुआ अब कि यदि 10 हजार क्विंटल सरसों बिकती है तो तीन सौ रुपये टैक्स लिया जायेगा, यानी एक बोरी सरसों बेचने पर किसान से सीधा तीन सौ रुपये टैक्स लिया जायेगा। यदि एक क्विंटल वह गोभी बेचता है तो उससे पांच सौ रुपये लिया जायेगा, क्योंकि उस पर पांच प्रतिशत टैक्स है, यानी अब तो फेरी से सब्जी बेचने वालों से भी टैक्स लिया जायेगा क्योंकि मण्डी का जो एरिया है वह असीमित हो गया है। अब इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कोई भी मण्डी का कर्मचारी आकर के कहेगा कि तू बेच रहा है न, या तो टैक्स दे नहीं तो दो

(श्री मदन दिलावर)

प्रतिशत मुझे वैसे ही दे, दे यानी चारों तरफ से किसानों को लूटने का षड्यंत्र इस सरकार ने अच्छी तरह से कर दिया। चाहे बैंगन बेचेगा, चाहे गाजर बेचे, चाहे मूली बेचे, चाहे वह धोली मूसली बेचे, चाहे अश्वगंधा बेचे, कहीं, कुछ भी बेचेगा तो उसके बहुत सारे लुटेरे चारों तरफ खड़े होंगे। क्या होगा, ये लूटने के लिए रास्ता किसने खोला है, क्यों खोला है? जो बिल लाया गया था केन्द्र सरकार द्वारा, उसका विरोध क्यों किया गया था? उसके पीछे षड्यंत्र क्या था? मुझे लगता था कि विदेशी ताकतें कांग्रेस पर हावी थीं और उन्होंने कहा होगा कि हिन्दुस्तान का किसान सरसब्ज नहीं होना चाहिये, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आनी चाहिये। इसलिये यह बिल किसी भी कीमत पर मत लाना और आखिर विरोध किया तो उन्होंने वापस लिया और उससे दुगुनी ताकत से यह कांग्रेस उनको लूटने का षड्यंत्र कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह बिल क्यों लाया जा रहा है, किसके कल्याण के लिए लाया जा रहा है, किसका कल्याण होगा यह? किसान कल्याण करना था तो इतना टैक्स मिलता है हमको जनता से, उसी से पैसे निकालकर कर देते। यह किसान कल्याण नहीं है। यह किसान को परेशान करने वाला संशोधन है जिसका हम पूरी ताकत के साथ विरोध करते हैं।

ये तो कोई भी चीज बेचेंगे तो उसमें आकर खड़े हो जायेंगे। अब तो यदि माना कि मैं सब्जी मण्डी से खरीदकर लाया और बाहर बेचने जा रहा हूं तो मेरी टोकरी में जो सब्जी होगी उसके पास भी कृषि उपज मण्डी वाला जाकर खड़ा हो जायेगा। तूने आज एक क्विंटल सब्जी बेची है न, ला पैसा। अब वह कानून जानता नहीं है, नहीं तो चालान बनायेंगे, तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे, तुझे जेल में भेजेंगे। यह डकैती का काम हो गया। ऐसा संशोधन का प्रस्ताव और सलाह सरकार को किस मूर्ख ने दी है? थोड़ा उस मूर्ख का हमको नाम बतायेंगे तो सारा उसका फोटो बना कर पूरे राजस्थान की जनता के सामने घुमायेंगे कि किस प्रकार के प्रस्ताव यह सरकार ला रही है जिससे जनता को, किसानों को, आम उपभोक्ता को लूटने का षड्यंत्र हो रहा है। ये तो किराने की दुकान पर जाकर खड़े हो जायेंगे। पांच किलो गेहूं लेकर आता है, पांच किलो आटा लेकर आता है उससे टैक्स ले लेंगे। ये तो जो किसान जाकर के खुले में अनाज बेचता है उससे टैक्स लेंगे। हमारे यहां तो गांवों में परम्परा है कि किसी के पास अनाज नहीं होता है तो बोहरे से जाकर के वह अनाज

(श्री मदन दिलावर)

लेकर आता है दो क्विंटल, मेरी फसल होगी तब मैं दे दूंगा, तो उससे भी कहेंगे कि तू खरीद कर लाया है, दे इस पर भी टैक्स, यानी गरीब के ऊपर भी टैक्स क्योंकि वह बोहरा तो देगा नहीं टैक्स, वह इसलिये दो किलो अनाज कम दे देगा, कह देगा कि दो किलो कम दूंगा, मुझे टैक्स देना है। इसलिये अनेक प्रकार से लूटने का षड्यंत्र पूरी ताकत के साथ यह सरकार करने जा रही है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान की जनता को लूटने का षड्यंत्र मत करिये। यह महाषड्यंत्र है। लूटने का सारा जाल आपने बिछा दिया है। बहुत सारे लुटेरे आप खड़े कर देंगे तो जगह-जगह किसान को नोच-नोच कर खायेंगे। मैं इस बिल को और इस संशोधन को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने की अनुशंसा करता हूं।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल (झाडोल)।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय जी, कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022, यह जो राज्य सरकार कृषि मण्डी का संशोधन लायी है, हमारे काफी वक्ताओं ने जो बातें कहीं कि जनता को और किसानों को लूटने का धन्धा हो रहा है इसलिये जो संशोधन दिया है उसको 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित), श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित), श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय। राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022, यह राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक सदन में आया है। यह राजस्थान सरकार किसानों के साथ में सोची-समझी साजिश के तहत किसान को लूटने के लिए अपने जन घोषणा पत्र के विरुद्ध एक ऐसा कृत्य करने जा रही है जिसके अन्दर आढ़तियों को भी खुली छूट दी जायेगी और किसान अपनी जिंस को कहीं पर भी बेचे, उसको टैक्स के दायरे में लाकर उस टैक्स से लिया जाने वाला पैसा किसान कल्याण कोष के नाम पर जमा करने की थोथी घोषणाएं, जो किसान कल्याण कोष बनाने की बात की है उसके अन्दर किसान का पीछे से कान पकड़कर उस किसान के पैसे को अपने पास में जमा करके किसान के हित में नहीं बल्कि अपनी मनमानी से खर्च करने का एक जरिया बनाने का काम इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

मानीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार किसान को, जो मण्डियों की बेड़ियों के अन्दर जकड़ रखा था, उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक कानून लेकर आयी थी। उस कानून का भरपूर प्रयोग और दुरुपयोग करने का काम मेरे सामने बैठे हुए लोगों ने खूब जम कर किया। किसानों को गुमराह करने का काम खूब जबरदस्त तरीके से किया। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए और उसको एक बार वापस लेने का काम किया, वो ही लोग अभी थोड़ी देर बाद में इस बिल का समर्थन करेंगे। वो किसान की बात करने वाले लोग किसानों से पैसा कमाने का रास्ता खोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारे देश में अस्सी प्रतिशत से ज्यादा लोग किसानी का काम करके, छोटे-छोटे किसान जिसके बारे में मैं ही नहीं बल्कि सारे लोग जानते हैं कि आज किसान के ऊपर किस तरह की मार पड़ती है, कभी वह किसान अतिवृष्टि के कारण तो कभी वह किसान बरसात की कमी के कारण ऊपर वाले की तरफ देखता रहता है और उसके बाद में सरकारें उस किसान को लूटने से कहीं भी छोड़ती नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको मारने का काम करने वाली यह सरकार जो यह संशोधन बिल लेकर के आयी है, यह निश्चित रूप से किसान के खिलाफ का बिल है। दो प्रतिशत प्लस एक प्रतिशत जोड़ करके तीन प्रतिशत, यह दो प्रतिशत का नाम लेकर के तीन प्रतिशत किसान से ले लेती है। ऐसी स्थिति में किसान कहीं भी अपनी जिंस को मण्डी से बाहर नहीं बेच सकता है। देश के प्रधान मंत्री जी ने जो कानून बनाया था, उसके अन्दर कहीं पर भी वह किसान अपनी छोटी-छोटी जिंस को बेच करके अपना जीवनयापन करने की तरफ सुगमता से चलने का काम कर रहा था, लेकिन यह किसान को लूटने का जरिया बनाने वाली सरकार है। निश्चित रूप से यह किसानों के हित का बिल नहीं है। यह जो काला कानून लेकर आ रहे हैं, इस काले कानून को जनमत जानने के लिए परिचालित करने की मैं मांग करता हूं और राजस्थान सरकार से यह निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि किसानों की बात करने वाली, यह असत्य बात करने वाली सरकार किसानों के साथ पहले ही धोखा कर चुकी है। किसान के कर्जा माफी की बात करने वाली यह सरकार किसान के लिए एक और काला कानून लेकर आई है। इस काले कानून को वापस लेकर किसान के हित में निर्णय लिया जाना चाहिये। मैं इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने की अनुशंसा करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख (अनुपस्थित), श्री रामलाल शर्मा (अनुपस्थित), श्री अमृतलाल मीणा (अनुपस्थित), श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर आज सदन में चर्चा कर रहे हैं। यह संशोधन विधेयक राजस्थान के अधिनियम संख्या 38 की एक नई धारा 17-क जोड़ने के लिए लाये हैं। यह नई धारा जो हमारी मण्डी समिति के लाइसेंसी हैं, उसके अधीन जो मण्डी, उप मण्डी हैं, उनके लाइसेंसी हैं और कोई भी नॉन नोटिफाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट खरीदे या बेचे जायेंगे, इस पर मण्डी समिति द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से यूजर चार्ज लेने के लिए यह संशोधन लाये हैं। यूजर चार्ज लगने से मण्डी समिति में बिकने वाली चीजें जो हमारे दैनिक उपयोग में आती हैं, चाहे फल-सब्जी हो, अनाज, दालें, चावल, मसाले, तेल, आटा, मैदा, सूजी, बेसन, यह सारे महंगे हो जाएंगे। सरकार एक तरफ तो महंगाई के खिलाफ अपना रोना रो रही है वहीं दूसरी तरफ आज आम आदमी के ऊपर यह बोझ डालने का काम कर रही है और यह काला कानून ला रही है। संख्या बल के आधार पर आप बिल पास तो करा लेंगे लेकिन राजस्थान का किसान और राजस्थान का आम आदमी इस सरकार को माफ नहीं करेगा। इस बिल को लाने से न केवल आम आदमी बल्कि मण्डी के व्यापारी, आढ़तियों को भी नुकसान होगा। सरकार इस संशोधन के द्वारा यूजर चार्ज लगाने के पीछे कारण बता रही है, वह बड़ा हास्यास्पद है। तर्क दिया जा रहा है कि किसान कल्याण फीस में काफी कमी आ रही है, इसके लिए हम यह संशोधन लेकर आये हैं।

माननीय राठौड़ साहब ने काफी आंकड़े दिये हैं। मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर, बाड़मेर की तरफ दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में जो रायड़ा पैदा होता है, अरण्डी, मूंगफली पर एक प्रतिशत मण्डी टैक्स है और 50 परसेंट कृषि कल्याण शुल्क है, जबकि इसकी गुजरात से तुलना करें तो डेढ़ परसेंट की जगह गुजरात में मात्र 0.60 परसेंट ही टैक्स लगता है। राजस्थान में जीरा, ईसबग़ोल, मक्का, बाजरा, ज्वार पर मण्डी टैक्स 0.50 परसेंट है और 50 परसेंट कृषक कल्याण शुल्क है। अगर इसकी तुलना गुजरात से करें तो मात्र 0.60 परसेंट गुजरात में मण्डी टैक्स है। राजस्थान में गेहूं बहुत होता है। गेहूं मूंग, ग्वार की उपज पर 1.6 परसेंट मण्डी शुल्क है और 0.50 परसेंट कृषक कल्याण शुल्क है, जबकि गुजरात में 0.60 परसेंट है। 2 परसेंट टैक्स आप ज्यादा ले रहे हो। हमारी सीमा गुजरात से लगती है और आपका यह टैक्स होने के कारण सीमावर्ती जिलों में जितनी भी मण्डी हैं, वहां के सारे व्यापारी परेशान हैं। आप इस पर यूजर चार्ज 0.50 परसेंट और लगाने

(श्री नारायण सिंह देवल)

जा रहे हो, ऐसी स्थिति में गुजरात से लगती हुई सारी मण्डियां बंद हो जाएंगी। इसलिए यह यूज़र चार्ज लगाने से पहले हमको सोचना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, बजट से पहले भी सरकार यूज़र चार्ज लगाने के लिए एक प्रस्ताव लाई थी। मण्डी के व्यापारियों और आढ़तियों ने इसका विरोध किया और मण्डियों में हड़ताल भी रही। सरकार ने असत्य आश्वासन देकर व्यापारियों को चुप करा लिया। यह संशोधन विधेयक लाकर आप व्यापारी और किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा और छलावा कर रहे हो। मैं इस संशोधन विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं और इसे 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष (अनुपस्थित), श्री बलवान पूनियां (अनुपस्थित), श्री छगनसिंह (अनुपस्थित), श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक 2022 पर बोलने का आपने मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 सरकार लेकर आई है और इस बिल में धारा 17-ख के द्वारा राज्य सरकार को मण्डी शुल्क में बढ़ोतरी करने, किसान कल्याण फीस में बढ़ोतरी करने व अन्य कर लगाने की छूट मिल जायेगी। इससे आने वाले समय में उपभोक्ता, व्यापारियों, किसानों एवं आम आदमी पर अधिभार बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी। यदि सरकार को कृषि उपज मण्डी समितियों की आय बढ़ानी थी तो इसके कई दूसरे उपाय भी थे। उदाहरण के तौर पर सुमेरपुर कृषि मण्डी में 2013 में एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हुआ। इस पर 1.37 करोड़ रुपया उस समय खर्च हुआ। 2013 से आज तक कोल्ड स्टोरेज का उपयोग नहीं हुआ। बिजली कनेक्शन लम्बे समय से कटा हुआ है। कोल्ड स्टोरेज से कृषि उपज मण्डी समिति को 9 वर्षों में शून्य आय हुई। मैंने विधान सभा में भी कई बार प्रश्न के द्वारा यह पूछा। सरकार कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 लाने के बजाय कृषि उपज मण्डी, सुमेरपुर के बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज की तरह राजस्थान की मण्डियों में अनुपयोगी अचल सम्पत्तियों को सुचारु रूप से उपयोग में लाने का बिल लाती तो निश्चित रूप से मण्डियों की आय बढ़ती।

इसी तरह सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी समिति की डी एल सी दरें 3,938 रुपये हैं। मण्डी के बाहर जवाई बांध रोड पर कामर्शियल क्षेत्र की

(श्री जोराराम कुमावत)

2,121 रुपये है व आवासीय क्षेत्र की 885 रुपये प्रति वर्ग फीट है। कृषि मण्डी निर्माण के बाद व्यापारियों को दुकानें आबंटित की गईं। कृषि उपज मण्डी प्रांगण की पृथक से दरें ज्यादा निर्धारित होने से दुकानों की खरीद बिक्री नहीं हो पाती है। कृषि मण्डी के निर्माण के बाद आज तक दुकानों के क्रय-विक्रय की आय शून्य है। सभापति महोदय, दुकानों का क्रय विक्रय होता है लेकिन आपसी सहमति बनाकर एग्रीमेंट पर खरीद बिक्री करते हैं। खरीद बिक्री की रजिस्ट्री भी नहीं होती है। इससे कृषि मण्डी व राज्य सरकार को राजस्व का घाटा होता है। यदि सरकार कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 की जगह कृषि मण्डियों की सम्पत्तियों की जांच कर उससे आय बढ़ाने का काम करती और वह बिल लाती तो निश्चित रूप से कृषि मण्डियों की आय बढ़ती। इस बिल से जनता, उपभोक्ता, किसान, व्यापारी व आमजन पर अधिभार बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। यह बिल जन विरोधी है। मैं इस बिल का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं व आपके मार्फत सरकार से मांग करता हूं कि इस बिल को 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित), श्री गोपाल लाल शर्मा (अनुपस्थित), श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, सरकार जो कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 लायी है, मेरा निवेदन कि भारत सरकार धीरे-धीरे इंस्पेक्टर राज को खतम कर रही है और यह सरकार पुन: किसानों पर इंस्पेक्टर राज थोपने के लिए यह बिल लेकर आयी है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा इस बार का बजट किसानों को समर्पित बजट था। किसानों के बजट के बाद भी आज किसानों की क्या स्थिति बनी है और किसानों का क्या-क्या फायदा हुआ, इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इंस्पेक्टर राज खतम करने के लिए, हमारा टैक्स, देश का सर्वाधिक टैक्स, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि राजस्थान में पेट्रोल-डीजल का सर्वाधिक पैसा लेते हैं, उसके कारण हमारे सारे पेट्रोल पम्प बन्द हो गये।

ऐसे ही हमारी सरकार एक योजना लायी थी। किसानों के आन्दोलन में जो सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोग ये काला कानून लेकर आये हैं, जिन्होंने भाग लिया था कि किसान कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकता है,

(श्री धर्मनारायण जोशी)

आज यह सरकार काला कानून लाकर, हमारे देश के किसानों की यह स्थिति है कि हमारे देश का किसान माननीय सभापति महोदय, आज पैन बनता है तो पैन की कंपनी वाले पैन की प्लास्टिक पर पैकिंग पर उसकी कीमत तय करते हैं, परन्तु देश का एकमात्र किसान.. भारत एक कृषि प्रधान देश है। एकमात्र किसान है, जिसकी फसल चौराहे पर नीलाम होती है, जिसका कोई धणी-धोरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज आप किसी किसान की स्टडी करवा लीजिये, कोई किसान भरपेट भोजन नहीं कर सकता है। 12 महीने अगर उसको दोनों टाइम भोजन मिल जाये, ऐसे कितने किसान हैं जो कि गरीब हैं, जिनका कुछ हो नहीं सकता है। माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सरकार तक पहुंचाकर इस बिल को रोका जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातों पर निवेदन करना चाहता हूं। हमारी कृषि मण्डी में दुकानें नीलाम करने का जो कार्यक्रम है उसमें अनेक पोलिटिकल हस्तक्षेप वाले लोगों ने अपनी दुकान ले ली है। मैंने उसकी जांच के लिए लिखा है। सरकार कुछ करने वाली नहीं है। फतेहनगर राजस्थान में बड़ी मंडी है। वहां पर किसान की यह स्थिति है कि वहां पर इस बार सर्वाधिक चना हुआ। वह चना बाहर सड़ता रहा, बारिश में भीगता रहा, उसको गोदाम में रखने दीजिए। यह चना दूसरे दिन नीलाम होगा तो होगा, परंतु उसको रखने के लिए तैयार नहीं हैं। पहले स्थिति क्या थी? पहले कृषि मंडी होती थी, उसमें किसान के गांव में विकास के काम होते थे, सड़क बनती थी। इस सरकार ने वह काम भी बन्द कर दिया। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और किसानों को समर्पित बजट देने वाली इस सरकार से मेरा निवेदन है कि इस काले कानून को वापस लें और किसानों को राहत प्रदान करें।

श्री सभापति: श्री अविनाश (अनुपस्थित)।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इस बिल पर सदन विचार कर रहा है। सत्तारूढ़ दल का एक भी आदमी इसके पक्ष में नहीं है। सत्तारूढ़ दल के किसी एक भी माननीय सदस्य ने अब तक इस पर विचार व्यक्त नहीं किया। यानी यह पहला बिल होगा, जिसके पक्ष में कोई व्यक्ति नहीं है। इनको प्रेरित करो, कोई तो बोलो, मुंह खोलो।

श्री सभापति: श्री अविनाश (अनुपस्थित), श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि

(श्री नरेन्द्र नागर)

उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022, जो कि सरकार लेकर आयी है, यह संशोधन विधेयक 1961 के राजस्थान अधिनियम संख्या 38 में एक नयी धारा 17 (ख) जोड़ने के लिए लाया गया बिल है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे तो हमारे उप नेता और बहुत सारे वक्ताओं ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। निश्चित रूप से इसको लाने से किसानों के ऊपर सरकार के नुमाइंदों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्योंकि मण्डी में कोई भी माल आता है तो वह उसकी सीमा के अन्दर होता है और उसको निश्चित रूप से पूरा टैक्स चुकाना पड़ता है। बाहर जो कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी व्यापारी के पास, किसी किसान के पास कोई माल लेकर आयेगा तो उससे वह सौदा करेगा। वह पैसा न तो सरकार की जेब में आयेगा और न ही किसान के पास। उससे किसान की जेब कटने का काम होगा। साथ ही, सरकार को इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि कम से कम टैक्स हो, जिससे राजस्थान के नजदीकी प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, लोग वहां पर न जाएं। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को छह महीने के लिए जनमत जानने हेतु भेजा जाए।

श्री सभापति: श्री कालूराम।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, आपने कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो विधेयक लाये हैं, उसको लाने की क्या जरूरत थी? हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर बिलकुल टैक्स कम लगता है। आपने राजस्थान में टैक्स बढ़ाया है। हमारी केन्द्र सरकार जो बिल लायी थी, उसमें सारा टैक्स माफ किया था। किसान अपना माल कहीं पर भी बेच सकता था। पूरे भारत में उसको माल बेचने की छूट थी। आपने यह बिल लाकर किसानों के साथ विश्वासघात किया है, किसानों को लूटने का काम किया है। आपने तीन वर्ष में एक भी सड़क नहीं बनायी। आप बिल लाते तो कोई नया काम करने का बिल लाते। मेरी कृषि उपज मण्डियों में पांच-पांच, छह-छह करोड़ रुपये पड़े हैं पर अभी तक एक नया काम नहीं हुआ। हमारी कृषि उपज मण्डी, भवानी मण्डी ए-क्लास की मण्डी है। उसमें आये दिन गेहूं बिकते हैं चने बिकते हैं परन्तु उसमें टीन-शैड नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं। आप यह बिल लाये हैं, यह किसान के ऊपर बोझ

(श्री कालूराम)

डालने का बिल लाये हैं। मेरे क्षेत्र में धनिया पैदा होता है, किसान धनिया बेचने जायेगा, एक क्विंटल पर 10 हजार रुपये धनिया बिकेगा तो उसके 2 प्रतिशत से 200 रुपये टैक्स के लगेंगे। वह व्यापारी उस किसान के खाते से पैसे काटेगा। वह व्यापारी कहां से पैसा लायेगा? वह टैक्स किसान को ही लगेगा।

आपने किसान कल्याण बोर्ड बनाया। इस बोर्ड में पैसा जमा कराने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने बोर्ड क्यों बनाया? आपको बोर्ड नहीं बनाना चाहिए था। इस बोर्ड को खतम कर देना चाहिए। आप किसान से टैक्स लेकर किसान कल्याण बोर्ड में पैसा जमा करना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु छह महीने के लिए परिचालित किया जाये और इस बिल को वापस लिया जाये।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित), श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, एक लम्बे समय तक हमने जब कभी भी इस विधान सभा में चर्चा की, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सब इस बात को बार-बार, जब भी कृषि के ऊपर आता था तो कहते थे कि कृषि मण्डी के इस दायरे से किसान को मुक्त करो, यह किसान के शोषण का केन्द्र बनता जा रहा है। चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, चाहे यहां या केन्द्र में चर्चा हुई तो इसी विषय 99 परसेंट पर होती थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, लागू करो। स्वामीनाथन आयोग का सबसे मेन कंटेंट कोई था तो यही था कि किसान को मण्डी की इस चार-दीवारी से मुक्त करो। वह अपने माल को जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे बेचे। मैं समझता हूं कि पुराने लोग जो यहां बैठे हैं, जो कि डिमांड पर पहले बोले थे, मैं उनके शब्द तो नहीं निकाल सकता, लेकिन सबकी भावना एक ही थी और इस आधार पर केन्द्र सरकार ने तीन कानून लाने का प्रयास किया। उन तीन कानूनों से किसान की बहबूदी बढ़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन जन आक्रोश, जनता की भावना और किसान की बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने अपना बिल वापस लिया।

मैं सोचता हूं कि 2020 में जब हम यह बिल लेकर आये थे तो उसी कारण से लेकर आये थे कि केन्द्र की सरकार ने जो तीन बिल पास किये,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसके कारण से किसान को चाहे जहां बेचने के लिए आजादी दे दी थी, तो वह अपने सामान को जहां चाहे, जिस जगह चाहे, वहां बेच सकता था। उसके कारण से हमारी मण्डी पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा, जिसमें आपने 2020 के बिल में जो उद्देश्य और कारण दिये, उसमें आपका मेन मकसद यही था। आपने जो 2020 का कानून बनाया था, उन तीन कानूनों के विरोध में, क्योंकि वे उस समय तक एक्जिस्ट कर रहे थे और आप उससे मुक्ति दिलाने के लिए इस कानून को लाये थे। उसमें आपने लिखा है 'व्यापारी राज्य के मण्डी क्षेत्र में अन्य राज्यों से अधिसूचित कृषि उपज लाते हैं, किन्तु वे मण्डी फीस इस आधार पर संदत्त नहीं करते हैं कि संव्यवहार राज्य के बाहर किया गया था। राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38) में इसके संबंध में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं हैं, यद्यपि व्यापारियों द्वारा अन्य राज्यों से लायी गयी ऐसी उपज पर मण्डी फीस संदेय है क्योंकि क्रय की प्रक्रिया राज्य के भीतर पूरी की जाती है।

कहने का मतलब यह है कि अब बाहर बेचने के कारण हम इस उद्देश्य से लाये कि हम ये कानून इसलिये ला रहे हैं कि इस आधार पर हमें वापस जो बाहर भी बिकेगा, उस पर भी अपना टैक्स लेने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। ये जो आपका 2020 में था उसमें था। 1961 के राजस्थान के अधिनियम 38 की धारा 17 में संशोधन जो किया, राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्या 38), जिसे इस अधिनियम के पश्चात मूल अधिनियम कहा जायेगा की धारा 17 में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'उनके द्वारा मण्डी क्षेत्र में' के स्थान पर अभिव्यक्ति इस अधिनियम के अधीन गठित की गयी मण्डी समितियां द्वारा प्रतिबंधित और चलाये गये प्रधान मण्डी यार्ड, उप-मण्डी यार्ड, मण्डी उप-यार्ड की भौतिक सीमाओं में और अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित निजी मण्डी यार्ड, निजी मण्डी उप-यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और निजी कृषक-उपभोक्ता मण्डी यार्ड में या मण्डियों के मतलब आपने उन सबसे पैसा लेने की दृष्टि से क्योंकि वे जो तीन कानून बने थे, उन्होंने आपको इस पर प्रतिबंधित कर दिया था, इस कारण से आपने उनके सारे स्थानों से बिकने वाले सामान का पैसा मण्डी को कैसे प्राप्त हो, उसके लिए आप 2020 का कानून लेकर आये।

इस 2020 के 17-क में आपने और जोड़ा, 17-क पहले नहीं था, यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

17-क जोड़ा है कि कृषक कल्याण फीस संग्रहित करने की शक्ति, यह आपने उसमें ली। उसके बाद आपको लगा क्योंकि तीनों कानून वापस विथड्रा हो गये और इसके कारण से आपने वापस अपने उसी पुराने कानून को थोड़ा-सा अमेडमेंट करके उसमें और एरिया बढ़ाते हुए इसको लेने का प्रयास किया। यह है आपका राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022, अब इसमें कारण तो आपने वे ही बताएं हैं। मैं सोचता हूं इसमें जो सबसे बड़ा तकलीफ वाला विषय आ रहा है, आपने इसमें अपना क्षेत्र बढ़ाया। पहले इस अधिनियम के अन्दर जो था वह केवल था मण्डी यार्ड। उस मण्डी यार्ड की जगह आपने इसमें निजी मण्डियां, उप-यार्ड और बाहर का जो मार्केट नाम से शब्द से कहीं भी कोई भी जगह बिकेगा तो वह कृषि मण्डी के शुल्क के दायरे में आ जायेगा। एक तरह से आपने सम्पूर्ण लेन-देन जो कुछ भी होता था, उस लेन-देन को वापस आपने, पहले केवल मण्डी यार्ड तक सीमित था, आपने इसमें बढ़ाकर मण्डी क्षेत्र करके एक तरह से इस सारे को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूं निश्चित रूप से ये जो भी मण्डी का शुल्क जाता है वह कोई व्यापारी नहीं देता है, यह सारा का सारा पैसा वसूल होता है उस किसान से। उस किसान से जब पैसा वसूल होता है तो निश्चित रूप से जितनी वह फसल लेकर आता है, जितनी आमदनी उसकी होनी चाहिये वह परसेंटेज व्यापारी से काटो तो समझ में आ सकता है कि आप व्यापारी से काट रहे हो, लेकिन ये पैसा व्यापारी से नहीं कटता है, ये उस किसान से जो माल लेकर के आया है, उससे कटता है।

दुर्भाग्य ये है कि अबकी बार आपने एक नया 17-ख जोड़कर, एक और नया सेक्शन इसमें डालकर के एक तरह से उसके ऊपर बहुत वज़न डालकर इस सारे काम को किया है। 17-ख मैं पढ़ता हूं - "उपभोक्ता प्रभार संग्रहित करने की शक्ति - मण्डी समिति, अनुज्ञप्तिधारियों से, इस अधिनियम के अधीन गठित मण्डी यार्ड और उप-मण्डी यार्ड में उनके द्वारा लायी गयी या क्रीत और विक्रीत गैर-अधिसूचित", मतलब एक तरह से पहले तो मण्डी में आप नोटिफाई करते थे कि ये-ये फ़सलें मण्डी यार्ड के अन्दर आकर बिकेगी और उसका टैक्स लगेगा। अब आपने चाहे वह सूचित है या नहीं है, सभी प्रकार के माल को आपने कृषि उपज मण्डी के टैक्स के दायरे में ला दिया, इसके कारण से सामान्यत: अब कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर ये शुल्क नहीं लगेगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मेरे क्षेत्र में बहुत प्रयत्न करने के बाद ये जो वन उपज थी, इस वन उपज के कारण से मेरे यहां आदिवासी क्षेत्र के लोगों को कई बार रास्ते में आते-जाते पकड़कर ले जाते थे कि तुमने यहां कैसे बेच दी? ये तो यहां मण्डी यार्ड में जाकर बेचो। हमने बहुत कोशिश करके कम से कम उसको इस बात से आजादी, टी पी लेना और ये लेना, इन सबसे मुक्त कराया था लेकिन आपने इसमें 17-ख को जोड़कर एक तरह से केवल वन उपज ही नहीं, बाकी सब प्रकार की उपजों को इसमें आपने कवर करके उसको मण्डी शुल्क के दायरे में ला दिया है।

मैं सोचता हूं कि ये आप किसान की मदद करने के लिए लाये हैं या किसान को एक तरह से चूसने के लिए लाये हैं? हमारा और आपका उद्देश्य क्या था कि मण्डी में जिस प्रकार से किसान के साथ शोषण होता है, उससे किसान को मुक्ति कैसे मिले? किसान को उससे राहत कैसे मिले? आप तो उलटा काम कर रहे हैं। जो माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, मेरी विनती है ये आपने 17-ख और जोड़कर एक तरह से सारे के सारे व्यापार जो घोषित है और जो अघोषित वस्तुएं भी हैं, उन सबको आपने इस मण्डी के अन्दर डालने का प्रयास किया है, जिसके कारण से सम्पूर्ण किसान ही नहीं सामान्य व्यक्ति भी जो अपने खेत में कुछ करता है, वह सारा का सारा, जो जिंस ऐसी नहीं है आपकी गेहूं धान की, इसके अलावा भी जो जिंस होगी, वह सारी की सारी आपने इसमें कवर करने की कोशिश की है।

सभापति महोदय, मैं फिर विनम्र निवेदन करता हूं आपकी इच्छा है तो आप भले ही किसान को बरबाद करने के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश आपकी और हमारी थी और आपके भी यदि भाषण, इस विधान सभा में मेरे को समय नहीं मिला कि आज मैं उनको ढूंढ कर लाऊं, आपमें से भी जो लोग भी बोले, मैं विधान सभा में इतने साल से रहा हूं, वह सब इस बात को बोले हैं कि कृषि मण्डी से किसान को आजाद करो। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो मेन कंटेट था, जिसको हमने वर्षों तक भाषण में लिया था, वह ये ही था। उलटा जो नहीं था उसको भी आपने कृषि मण्डी के दायरे में डालकर के सम्पूर्ण व्यापार को कृषि मण्डी से जोड़ दिया। ये आप किसान का भला करने के लिए लेकर आये हैं या केवल और केवल खजाना भरने के लिए लाये हैं? ये खजाना व्यापारी से नहीं भरेगा, ये खजाना किसान से भरेगा। अगर आप इसमें व्यापारी के लिए कुछ लगाते तो समझ में आ सकता था।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं ये कानून लाकर आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं, ये किसान के विरोध में होगा, किसान का अहित होगा, किसान को इससे बहुत बड़ी परेशानी आयेगी। छोटा-मोटा सामान भी जो कुछ भी इस दायरे में अब तक नहीं आता था, वह सारा सामान भी अब कृषि मण्डी के दायरे में टैक्स में हो जायेगा। उसके कारण से निश्चित रूप से किसान के साथ धोखा होगा। अगर समझना चाहें तो 17-ख को फिर समझो। 17-क भी आपने ऐसे ही जोड़ा, 17 में भी आपने कुछ एरिया और बढ़ाकर मण्डी क्षेत्र का जो हमारा फार्मूला था या जो नियम था, उसे भी हमने बढाकर के सारे के सारे व्यापार को कृषि मण्डी के अन्दर लेने का प्रयास किया। इसके कारण से सब प्रकार का व्यापारी भी परेशान होगा, किसान भी परेशान होगा और आप लोग सब किसान को बरबाद करने के रास्ते पर जाना चाह रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर, 17-ख पर फिर से विचार कीजिए। इस धारा को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 1961 के बने हुए कानून में भी यह नहीं था। आप पिछली बार 2020 में लाये, उसमें भी नहीं था। इसमें नया जोड़कर आप एक तरह से किसान के ऊपर और ज्यादा शिकंजा डालने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022, इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी?

माननीय सभापति महोदय, इसकी पृष्ठभूमि में वे तीन काले कानून हैं जो इस देश पर थोपे गये। खुद संविधान निर्माता डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने आर्टिकल्स में भी संविधान निर्माण से पहले 1917, 1918 में जो आर्टिकल उन्होंने लिखे, उसमें भी बाबा साहब ने लिखा कि स्टेट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और स्टेट का रहना चाहिये। उन्होंने तो कृषि की विषम परिस्थितियों के निराकरण के लिए 2017 में एग्रीकल्चर लैंड के नेशनलाइजेशन की बात रखी, 1917 में, थैंक यू, मिस्टर मिनिस्टर। एग्रीकल्चर लैंड के नेशनलाइजेशन की बात रखी और यहां तक कहा कि जैसे इंडस्ट्री को स्टेट धन उपलब्ध कराता है वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए भी स्टेट को धन उपलब्ध कराना चाहिये और इसका सम्पूर्ण उपयोग हो सके, उन परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, क्या-क्या वायदे भारत की जनता से किये

(श्री संयम लोढ़ा)

गये और आज भी सदन में जिस स्वामीनाथन आयोग का जिक्र आया, जिसकी सिफ़ारिशों का जिक्र आया, उसका निर्माण किसने किया था? माननीय सभापति महोदय, 18 नवम्बर, 2004 को राष्ट्रीय कृषि आयोग का निर्माण तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया था। उन्होंने जब अपनी सिफारिशें दीं, फाइनल रिपोर्ट 04.10.2006 को दी, इनकी रिपोर्ट को स्वीकार भी तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया, जिसमें रिपोर्ट का मुख्य ध्येय रहा कि कृषि आय और रोजगार का माध्यम बने।

70 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि केन्द्र सरकार ने राज्य के विषय कृषि पर कानून बनाने का काम किया। देश भर में आंदोलन हुआ, प्रचण्ड विरोध हुआ। भारत सरकार के मंत्रियों ने अनेक राज्यों की राजधानियों में जा-जाकर संवाददाता सम्मेलन किये, लेकिन देश का किसान नहीं माना। इनके टैंक, इनकी गोलियां, इनकी लाठियां, इनकी पानी की बौछार किसानों के जज्बे को कमजोर नहीं कर सकीं। सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली की राजधानी की तरफ जाने वाली इन सड़कों में कैसी कीलें ठोकी गई थीं। हमारे किसान सड़क पर बैठ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बिल पर बोलो, बिल पर। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बोले जब मैंने रोका था आपको ? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज, सहयोग करें। विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बोले थे जब मैंने रोका था आपको?

श्री सभापति: अभी बी ए सी की मीटिंग भी है, जल्दी समाप्त करें। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं किसानों की पीड़ा बताने की चेष्टा प्रतिपक्ष की ओर से बारबार की गई है, लेकिन किसानों के लिए किसने काम किया और आज जो हुकुमत में हैं वह क्या कर रहे हैं, इस सदन के माध्यम से वह भी लोगों के सामने आना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मनमोहन सिंह जी ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी गठित की केन्द्र सरकार में। उसकी लगातार बैठकें हुई हैं। पांच बैठकें मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त हुई। पहली बैठक फोर्मल बैठक हुई।

(श्री संयम लोढ़ा)

दूसरी बैठक 03 जून, 2010 को हुई। 42 सिफ़ारिशों की स्वामीनाथन कमेटी की पालना उसमें की गई। जून, 2012 में बैठक हुई, 152 सिफारिशों की पालना की गई। उसके बाद भी 2013 व जनवरी, 2014 में चौथी व पांचवी बैठक हुई। माननीय सभापति महोदय,175 सिफ़ारिशें की पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की तत्कालीन मनमोहन सिंह जी सरकार ने पालना की।

माननीय सभापति महोदय, आपकी जानकारी में है, मुख्य मंत्रियों की एक समिति बनी थी। भारत के आज के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी उस समिति के अध्यक्ष होते थे। उस समिति ने क्या रिकमंड किया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में क्या लिखकर दिया? नीचे उस पर नरेन्द्र मोदी जी के दस्तखत थे। माननीय सभापति महोदय, एम एस पी का जो तरीका स्वामीनाथन कमेटी ने सुझाया, उसकी पालना नहीं की। स्वामीनाथन कमेटी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को लागत का डेढ़ गुना मिलना चाहिये। उसके परिवार के मजदूर काम करते हैं, परिवार के लोग जो खेत में काम करते हैं उनके श्रम को भी लागत में जोड़ना चाहिये। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के उस सुझाव को, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना के उनके सुझाव को आज तक भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। मैं याद दिलाना चाहूंगा 2014 में जब देश भर में सभाएं की जा रही थीं, पूरे देश के लोगों से सभाओं में प्रधान मंत्री जी ने कहा, भाइयों-बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका कर्जा अब नरेन्द्र मोदी का कर्जा है, जिस दिन मैं सरकार में ... (व्यवधान) आऊंगा, पूरे भारत के किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। आज आठ साल हो गये ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सदन के नियम हैं ... (व्यवधान) लोगों का नाम लेकर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): देश के प्रधान मंत्री हैं, लेंगे, हजार बार नाम लेंगे। हजार बार ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये कुछ भी बोलेंगे। बिल पर बुलाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, बी ए सी की मीटिंग है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): पोल खुल रही है इसलिये सुनना नहीं चाह रहे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। आपको बी ए सी की मीटिंग में जाना है। पूरी तरह से बिल पर कन्फाइन करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुझे भी मीटिंग में जाना है, मैं खतम कर रहा हूं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह तो लुटेरा प्रोविजन है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। उप राष्ट्रपति जी को रात को खाना दिया गया, तो यह भी तय नहीं कर पाये कि उसमें जाना है या नहीं जाना है। 25 परसेंट तो गये और 75 परसेंट नहीं गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज आप कंक्लूड करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह क्या है? बिठाइये इनको। इस तरह की चर्चा करेंगे? बिल पर नहीं बोल रहे। यह कौनसे कंडक्ट पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, आप बिल पर कन्फाइन करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यदि यह यूजर चार्ज लगाना गलत है तो उत्तर प्रदेश की बी जे पी की सरकार ने एक परसेंट यूजर चार्ज 17.9.2021 किसलिये लगाया है? आप इस बात का जवाब दीजिये। धन्यवाद दो कि इन्होंने तो 0.25 पैसे ही लगाया है, आपकी तरह, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह एक परसेंट लगाने का काम नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो काले कानून आये थे, अरबों का नुकसान हुआ वह तो हुआ ही राजस्थान की मण्डियों का क्या परिदृश्य बना है, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। 2019-20 में 665.43 करोड़ रुपये आय थी मण्डियों की, वह 2020-21 में घटकर 563.48 करोड़ रुपये हो गई। एक साल के अन्दर 102 करोड़ रुपये की कम आय हुई। 2021-22 में उससे भी घटकर, 424.65 करोड़ रुपये रह गई, जो 2019-20 की तुलना में 240.78 करोड़ रुपये कम है तो मण्डियों को संचित मद से तो कोई सरकार पैसा देती नहीं है। आज मण्डियों की क्या हालत बनी हुई है? मैं शिवगंज की सब्जी मण्डी, गौण मण्डी में अभी गया था, सारी माताएं-बहनें इकट्ठी हो गईं। उनके बैठने की जगह, रिपेयर करने की स्थिति में नहीं है। पानी की लाइन

(श्री संयम लोढ़ा)

बिछाने की स्थिति में नहीं है। क्या आप और हम सब और यह सदन यह चाहता है कि हमारे किसान हैं, खेती करने वाले लोग हैं, सब्जियां बेचते हैं या अपना दूसरा सामान बेचते हैं, उन परिस्थितियों में मण्डी में बैठें?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं और अपना जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती शोभारानी।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय...

श्री सभापति: विराजिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मेरा रह गया।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह काला कानून बन रहा है। (व्यवधान) इस काले कानून के हम साक्षी नहीं रहेंगे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, वी वांट डिविजन। (व्यवधान) यह काला कानून है। इस काले कानून के हम साक्षी नहीं रहेंगे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

बहिर्गमन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, इस काले कानून को जिस जबरदस्ती से आप हाउस में पास करा रहे हैं ...(व्यवधान) मैं और मेरा दल इस कानून का विरोध करते हुए बायकॉट करते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सभापति: खण्डश: विचार।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री मुरारी लाल मीणा।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सभापति महोदय...

श्री सभापति: आप पारित का प्रस्ताव रखें।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अभी तो नेता प्रतिपक्ष यहीं पर मेरी बात सुन रहे होंगे शायद।

श्री सभापति: प्लीज आप अपनी बात रखें, आप पारित का प्रस्ताव रखें।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): हमारी सारी बातों का जवाब वह स्वयं ही दे गये।

श्री सभापति: पहले पारित का प्रस्ताव रखें।

विधेयक का पारण

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

(समय: 15.00 बजे)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय कृषि मंत्री का, कृषि उपज मण्डी मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरी भादरा की मण्डी, जिसमें पिछले चालीस साल से एक रुपया खर्च नहीं हुआ था, उस मण्डी में रौनक आयी है। 2006 से सी.सी.आई. की खरीद बंद थी, सी.सी.आई. की खरीद वापस शुरू हुई है और आज मेरी मण्डी

(श्री बलवान पूनियां)

में करीब 92 लाख रुपये की लागत से जो सड़कें टूटी हुई थीं, उन सड़कों को ठीक करने का काम कराया जा रहा है और 2017 में जो गेहूं की खरीद बंद हो गयी थी, उस खरीद को वापस शुरू करके किसानों को खुश करने का और किसानों की जिन्स खरीदने का काम शुरू किया जा रहा है।

यह विधेयक जो लेकर आये हैं, जिस तरीके से हमारे साथियों का, विपक्ष के साथियों का दर्द था, वह तो मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे जो काले कानून उनको वापस लेने पड़े। आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के किसान यह चाहते हैं कि किसानों की जिन्स सरकारें खरीदे और सरकारों को खरीदने के लिए जगह होती है मण्डी, मण्डी-यार्ड मजबूत हो, मण्डियों की सड़कें मजबूत हों, वहां पर जाने वाले किसान, जिनके लिए कैन्टीन की व्यवस्थाएं थीं, जिनके लिए उठने-बैठने की व्यवस्थाएं थीं, जहां पर किसानों के रेस्ट-हाउस थे, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इन एक-एक चीजों को ठीक करने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैंने छह साल पढ़ाई की है हनुमानगढ़ में एन.एम. लॉ कालेज और पी.जी. कालेज में। उसके पास में एक कृषि उपज मण्डी का रेस्ट-हाउस होता था। आप क्या ताज्जुब करेंगे कि पी.डब्ल्यू.डी. के रेस्ट-हाउस नहीं होते ऐसे। किसानों को रुकने के लिए उन रेस्ट हाउसों को वापस सम्भालो, क्योंकि आपके पास निश्चित आय शुरू हो जायेगी उन रेस्ट हाउस से। उसके साथ-साथ कृषि उपज मण्डी की ऐसी सड़कें, माननीय सभापति महोदय, कृषि उपज मण्डी ने जो सड़कें बनायीं, उनके जो बड़े-बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, बीच में व्यवस्थाएं ऐसी हो गयीं कि वह बोर्ड गायब हो गये और वे सड़कें गायब हो गयीं, उनके लिए रिपेयरिंग का पैसा कहां से आयेगा? सड़क बनी भी कृषि उपज मण्डी से थी, इसलिए आप इस ढांचागत निर्माण को मजबूत करोगे। आज हनुमानगढ़ में धान का किसान कह रहा है कि पिछली बार उनके, धान की सरकारी खरीद हुई। आज वह हनुमानगढ़ का किसान कह रहा है कि मेरी धान की सरकारी खरीद हो, आप उस खरीद को सुनिश्चित करवाओ। आप मण्डी-यार्ड को इतना मजबूत करो, आप मण्डी-शैड को इतना मजबूत करो कि कोई किसान की जिन्स जमीन पर नहीं पड़ी रहे और बरसात आ जाये तो भीग नहीं जाये, इसलिए शैड और ज्यादा विस्तारित करें। आज शहर से बाहर भी अगर मण्डी को ले जाना पड़े तो यह सारे काम करने की जरूरत है।

(श्री बलवान पूनियां)

मैं इसलिए इस बात के साथ कि आपने जिक्र किया 2020 के काले कानूनों का, उनको निरसित करते हुए जो उसकी छाया में इन कानूनों को वापस लेकर आये हो मण्डियों को मजबूत करने के लिए, मैं इसका समर्थन करते हुए, मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव इसलिए वापस लेता हूं कि राजस्थान के किसान की जिन्स, उसकी फसल पकते ही टोकन के आधार पर फोन से उसके पास मैसेज आये कि आज आपकी जिन्स ले आओ, उसकी जिन्स बिक जाये और समय पर उसका भुगतान हो, इस उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे किसान की मजबूती हो, उसकी जिन्स खरीदी जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय सभापति महोदय, मैं उस टाइम यह बोल रहा था कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय पधार गये, उन्होंने स्वयं ने ही यह कबूल किया था और यह जो कानून उस टाइम लाये थे हम, वह जो तीन काले कानून केन्द्र सरकार लायी थी 06.05.2020 को, उससे मुक्ति पाने के लिए लाये थे इस कानून को। वे स्वयं इस बात को बोलकर चले गये, बोला था उन्होंने, आपने सबने सुना होगा कि इस कानून का आप उस टाइम, उन तीनों काले कानूनों से मुक्ति पाने के लिए लाये थे।

अब तीन जो काले कानून केन्द्र सरकार ने वापस कर लिए और उसमें आप सबको पता है कि अब वे हैं नहीं यहां पर, कितने लोग, कितने किसान मरे, कितने मजदूर मरे, कितनी जनता को परेशानी आयी, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, हमारे राहुल गांधीजी ने जबरदस्त विरोध किया और दबाव में आकर इन्होंने वे तीनों कानून वापस लिए और उसी के कारण हम भी वापस उसी स्थिति में हम आ रहे हैं। यह जो विरोध कर रहे थे, वे सारी बातें जानते थे और वे इसीलिए यहां से चले गये कि वे सब इस बात को कबूल करते हैं।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि मण्डी प्रांगणों एवं उसके बाहर स्थित मण्डी क्षेत्र में कृषि जिन्सों के कारोबार पर दिनांक 05.06.2020 से पूर्व राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17 में मण्डी शुल्क संग्रहित करने एवं 17-ए में कृषक कल्याण फीस संग्रहित करने का प्रावधान था जो इनके तीन काले कानून की वजह से हमने इसमें चेंज किया था।

(श्री मुरारी लाल)

केन्द्र सरकार द्वारा 5 जून, 2020 को तीन कृषि कानून यथा- कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2020, कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 अध्यादेश से लागू किये जाने से केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2020 के राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 पर अधिभावी प्रभाव (Overriding Effect) होने के कारण राज्य की मण्डी समितियों के कृषि जिन्सों के कारोबार को विनियमित किये जाने का अधिकार क्षेत्र मण्डी प्रांगण की चारदीवारी तक सीमित होने से राज्य अधिनियम की धारा 17 एवं धारा 17-ए में दिनांक 14.09.2020 को संशोधन किया गया जिससे मण्डी समितियों की मण्डी शुल्क एवं कृषक कल्याण फीस वसूल करने की शक्ति मात्र मण्डी प्रांगण की चारदीवारी तक ही सीमित होकर रह गई थी। हम इस कानून के माध्यम से वापस उसी स्थिति में ला रहे हैं। यह जरूरी क्यों है?

महोदय, कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्सों के व्यवसाय से प्राप्त मण्डी शुल्क, अनुज्ञा पत्र शुल्क, भूखण्डों के विक्रय, इत्यादि से प्राप्त राशि से मण्डी प्रांगणों के संचालन एवं रखरखाव, नवीन मण्डी प्रांगणों के निर्माण, मण्डी क्षेत्र में संपर्क सड़कों के निर्माण, मण्डी समिति के संस्थापन व्यय, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, महात्मा ज्योतिबा फूले श्रमिक कल्याण योजना, किसान कलेवा योजना एवं कृषक उपहार योजना इत्यादि का संचालन किया जाता है। कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा अर्जित आय से मण्डी प्रांगणों का संचालन एवं रखरखाव भी किया जाता है।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17-ए के अंतर्गत मण्डी समितियों द्वारा संग्रहित कृषक कल्याण फीस का राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2019 अंतर्गत स्थापित नवीन प्रसंस्करण इकाइयों एवं पूर्व निर्मित इकाइयों के विस्तारीकरण पर पूंजीगत अनुदान, ब्याज अनुदान, विद्युत प्रभार/सोलर पैनल पर अनुदान एवं निर्यात प्रोत्साहन हेतु परिवहन अनुदान से निवेशक कृषकों एवं उद्यमियों को लाभान्वित किये जाने के साथ-साथ अन्य प्रयोजनार्थ व्यय किये जाने के प्रावधान हैं।

(श्री मुरारी लाल)

माननीय सभापति महोदय, यह जो हमारी 2019 की योजना थी, यह इतनी लाभकारी है कि इसमें जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, खेतों में बिजनस करना चाहते हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं, मण्डी क्षेत्रों में व्यापार करना चाहते हैं, उनको हम कृषक कल्याण कोष से 50 परसेंट सब्सिडी देते हैं। यदि दो करोड़ रुपये तक का कोई बिजनस करता है तो उसमें हम एक करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देते हैं और कोई व्यापारी भाई यदि बिजनस करना चाहता है तो हम उसको पचास लाख या पच्चीस परसेंट तक सब्सिडी देते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी योजना है जिससे हमारे जो किसान भाई हैं, वे सीधे के सीधे कृषि के साथ-साथ में व्यापार से भी जुड़ें और जब व्यापार से जुडेंगे तो निश्चित रूप से उनका डवलपमेंट होगा।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17 एवं धारा 17-ए में केन्द्रीय कृषि कानूनों के अनुरूप संशोधन किये जाने के फलस्वरूप राज्य की मण्डी समितियों में कृषि जिन्सों की मण्डी प्रांगणों में आवक में गिरावट आई है। मण्डी प्रांगण के बाहर के मण्डी क्षेत्र से विज्ञप्त कृषि जिन्सों पर देय मण्डी शुल्क संग्रहण नहीं होने से राज्य में वर्ष 2019-20 में मंडियों की आय, जैसा कि लोढ़ा साहब ने बताया कि 665.43 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2020-21 में 562.57 करोड़ रुपये रह गई, जो वर्ष 2019-20 की तुलना में 102.86 करोड़ कम प्राप्त हुई है। इसी तरह वर्ष 2021-22 में मण्डी शुल्क से आय 424.65 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुई जो वर्ष 2019-20 की तुलना में 240.78 करोड़ रुपये कम रही। मण्डी समितियों के राजस्व में हुई इस कमी का मण्डी प्रांगणों एवं मण्डी क्षेत्र में किये जाने वाले विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा, यह जो घोषणा की गयी थी, अभी आप यह कह रहे थे कि साहब, किन परिस्थितियों में की गयी थी, किस दबाव में की गयी थी, कितने लोगों की जान जाने के बाद में की गयी थी, हजार-आठ सौ किसान मर गये, आठ-दस महीने तक यह आंदोलन चले, तब जाकर इन्होंने यह तीनों कानून 01.12.2021 को, तीनों कृषि कानूनों को वापस किये जाने की अधिसूचना जारी कर दी।

केन्द्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस (Repeal) किये जाने के उपरान्त माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 24.01.2022 को विभाग

(श्री मुरारी लाल)

की समीक्षा बैठक बुलायी गयी थी और उसमें सारे व्यापार मण्डल थे, बिजनसमैन थे, हमारे किसान थे और सबसे सलाह-मशविरा करने के बाद में यह तय किया गया कि अब वापस जो पूर्व की स्थिति थी, उसमें ही यह संशोधन बिल लाकर, कृषि के जो पहले की तरह ही सारी व्यवस्था थी, वह की जाये। मैं समझता हूं कि इसमें यह बहुत ही आवश्यक था।

दूसरा, अभी हाल ही में हमने इसमें एक धारा और जोड़ी है जिसके बारे में हमारे सभी सदस्य अभी बोल रहे थे कि साहब, यह बड़ा गलत कर रहे हैं और इसमें किसानों का बड़ा शोषण होगा। 17 (बी) कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में विज्ञप्त कृषि जिन्सों के साथ-साथ गैर अधिसूचित (Non Notified) कृषि जिन्सों एवं खाद्य उत्पादों का व्यवसाय भी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, सुलभ उपलब्धता एवं व्यवसाय में लाभ के आधार पर निरन्तर किया जा रहा है। राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित नई धारा 17 (बी) में मण्डी प्रांगणों में किये जा रहे गैर अधिसूचित (Non-Notified) कृषि उपज एवं खाद्य उत्पादों के व्यवसाय पर उपयोक्ता प्रभार (User Charge) संग्रहित करने का प्रस्ताव है।

मण्डी प्रांगणों में व्यवसाय के बदलते परिवेश में विज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय के साथ-साथ व्यवसाइयों द्वारा किये जा रहे गैर अधिसूचित (Non-Notified) कृषि जिन्सों एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के व्यवसाय पर पाबंदी लगाया जाना उपयुक्त नहीं है। मण्डी प्रांगणों के संचालन एवं रखरखाव के उच्चतम स्तर को बनाये रखने हेतु मण्डी समितियों की आय की निरन्तरता के दृष्टिकोण से राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में गैर अधिसूचित कृषि जिन्सों एवं खाद्य उत्पादों पर यूजर चार्ज संग्रहित किये जाने के प्रावधान को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में वर्तमान में गैर अधिसूचित कृषि जिंसों एवं खाद्य उत्पादों पर किसी भी शुल्क का प्रावधान नहीं होने से बजट वर्ष 2022-23 में "गैर अधिसूचित (Non-Notified) कृषि जिन्सों एवं खाद्य उत्पादों पर मंडी शुल्क अथवा कृषक कल्याण शुल्क वसूल करने के स्थान पर मात्र 0.25, सभापति महोदय, मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि पहले 0.5 की घोषणा की गयी थी माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा, लेकिन जैसे ही हमारे जितने भी व्यापार मण्डल हैं या व्यापारी हैं, उन

(श्री मुरारी लाल)

सबसे सलाह मशविरा किया तो उन्होंने इस पर सहमति जाहिर की थी कि 0.25 परसेंट यूजर चार्ज लिया जाये ताकि मंडियों का विकास और सुविधा उपलब्ध हो सके।

अतः गैर अधिसूचित (Non-Notified) कृषि जिन्सों एवं खाद्य उत्पादों को मण्डी प्रांगणों में व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उपयोक्ता प्रभार (User Charge) का प्रावधान राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में नई धारा 17-बी से अंतःस्थापित करने के संबंध में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, सुनने वाले तो वह सारे के सारे चले गये। हम यह जो यूजर चार्ज लगा रहे हैं, वैसे लोढ़ा साहब ने बताया था, हम मात्र 0.25 लगा रहे हैं, जबकि जहां-जहां भी जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं, वहां पर यह 1 परसेंट है। उत्तर प्रदेश में 1 परसेंट है। हमने तो 0.25 परसेंट ही लगाया है। केन्द्र सरकार और इनके जो वायदे थे, आप सबको पता ही है। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। इन्होंने किसानों की आय दुगुनी कर ही दी। किसानों का एम एस पी का मामला था। प्रधान मंत्रीजी स्वयं ने कहा था कि 0.5 परसेंट किसानों के टोटल प्रोफिट पर देंगे। मेरा निवेदन यह है कि जितने भी ये लोग हैं, केवल बातें करते हैं। चाहे किसानों की बात हो, चाहे गोमाता की बात हो। कल भी बहस चल रही थी और आज भी कई माननीय सदस्य बोल रहे थे। ये किसानों के नाम पर, गायों के नाम पर केवल वोट लेते हैं, करते कुछ हैं नहीं। इसलिए विपक्ष के सभी माननीय सदस्य वाक-आउट करके बाहर चले गये। मेरा तो आपसे निवेदन है कि जो हम संशोधन बिल लाये हैं, फर्स्ट के दो तो इसलिए लाये हैं कि पहले जो स्थिति थी, हमने उनको वापस उसी स्थिति में किया है। जो इनके तीन काले कानून थे, उनकी वजह से हमको चेन्ज करना पड़ा था। तीसरा यूजर चार्ज के लिए है, वह भी इसलिए कम्पल्सरी है कि जितनी भी हमारी मण्डियां हैं, नोटिफाइड के साथ-साथ में डी-नोटिफाइड या और भी सारे जिन्सों का लोग व्यापार करते हैं तो रोजाना प्रोब्लम क्रिएट होती है। हमारे विभाग को समस्या होती है, क्योंकि हम उनको बाहर निकालना चाहते हैं, वह निकलते नहीं हैं और जितने भी हमारे किसान भाई, व्यापारी आते हैं, दूसरे लोग जो भी मंडियों में

(श्री मुरारी लाल)

आते हैं, वे भी यह चाहते हैं कि उनको वह सारा सामान वहीं मण्डियों में मिल सके जहां पर वे अनाज बेचने के लिए आते हैं। इसलिए उनको व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए हम यह 17 (बी) की धारा लाये हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब यह चाहते हैं कि इस बिल को पास करके, विधिवत रूप से जैसे हम पहले थे, ऐसी स्थिति में किया जाये ताकि हम मण्डियों का विकास कर सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाए

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया गया।

श्री बुलाकी दास कल्ला।

अनुपूरक अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2022-23 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2022-23 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

मुख बन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2022-23) का पारण

मांग संख्या 7 - निर्वाचन

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 - निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 11 - विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11 - विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22 - क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 - क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 23 - श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 - श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,80,00,00,000/- (एक अरब अस्सी करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,00,00,06,000/- (तीन अरब छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 27 - पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 - पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,77,10,16,000/- (एक अरब सतहत्तर करोड़ दस लाख सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,89,00,47,000/- (तीन अरब नवासी करोड़ सैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 - समाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,27,00,20,000/- (तेरह अरब सत्ताईस करोड़ बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री सभापति)

15,02,00,11,000/- (पन्द्रह अरब दो करोड़ ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 37 - कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 - कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,000/- (सत्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 41 - सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 - सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 42 - उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 - उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय

(श्री सभापति)

के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46 - सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 - सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,27,00, 43,000/- (पांच अरब सत्ताईस करोड़ तैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य। श्री बुलाकी दास कल्ला।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: विचारार्थ।

विधेयक पर विचार

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान एप्रोप्रिएशन बिल नम्बर-3 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। इश्यू यह है कि आज जो आपका बजट आया, बजट के बाद जो हमारे एम.एल.एज. की डिमांड थी, उस बजट में मुख्य मंत्री महोदय ने जो अलग-अलग एम.एल.एज. की डिमांड थी, उसको कंसोलिडेट किया और उसके बाद जो और डिमांड्स हुईं, उन सबको बजट में इंक्लूड किया गया, तो आज जो एप्रोप्रिएशन बिल लाया गया है, वह इसीलिए लाया गया है जिससे और जो खर्चा हो, उसको वह एप्रोप्रिएट करा जाये। मैं इस संबंध में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, बिजनस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि तीसरा विनियोग विधेयक बिना विचार के पारित होगा। मुख बन्द से इसका पारण होगा। यह नई बात कैसे हो गयी? बी.ए.सी. में जो बात तय हो गयी, उससे इतर कोई बात होगी, यह हमारे अधिकारों का हनन है। हमें पहले मालूम होता तो हम भी बोल सकते थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने सवेरे ही अध्यक्षजी के सामने कहा कि पहली बार हो रहा है कि 44 हजार करोड़ एक विनियोग विधेयक में ले रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट आप विराजें। (व्यवधान) एक मिनट

(श्री सभापति)

विराजिये। मुख बन्द का प्रयोग करके इसको पारित करना था। अभी थर्ड पारण है। माननीय उप नेता महोदय, ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बनिया का बेटा हूं, इतना तो समझता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अभी थर्ड पारण है और पहला वक्ता बोल रहा है। आप भी बोलें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, जब यह तय हो गया था, वरना तो हम भी बोलते। हम भी तैयारी करके आते। (व्यवधान) इस तरह बोलने से कोई मतलब ही नहीं है।

श्री सभापति: इस पर आपने बोल दिया। मार्केटिंग बोर्ड पर आप बोल चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नई परिपाटी नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें एक मिनट। (व्यवधान) विराजिये आप। मार्केटिंग बोर्ड पर आपने अपना वक्तव्य दे दिया। इसके अलावा और कोई विषय यहां नहीं है जिस पर आप बोलते। आपने वाक-आउट कर लिया। इसके अलावा तो यही है, थर्ड पारण पर आपको बुला रहा हूं। मेरे पास नाम तो किसी के थे नहीं। थर्ड स्टेज पारण पर बोलने के लिए अधिकृत हैं, आप थर्ड स्टेज पारण पर बोलिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने यह विषय इसीलिए आज सवेरे ही अध्यक्ष महोदय जी के सामने रखा कि विनियोग विधेयक (संख्या-3) में उनसे कहा। मैंने कहा कि आप देखो 44 हजार करोड़ रुपया अपन इसमें ले रहे हैं और 25 हजार करोड़ रुपये का तो केवल कर्जा है और 18 हजार केन्द्र के द्वारा आपको दिया जा रहा है। इस विषय पर हम चाहते हैं कि सरकार आखिर क्या करेगी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं होगी, इसलिए फिर हमने अपने पेपर बन्द कर दिये। बाकी तो हम डिपार्टमेंटवाइज निकालकर कि किस डिपार्टमेंट में आप कितना पैसा ले रहे हो, किस काम के लिए ले रहे हो, हम उस पर चर्चा करते। उन्होंने मना किया इसलिए हमने सारे कागज यूं के यूं रख दिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, यह नहीं चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर पास किया गया, इस पर बोलने जैसी बात ही नहीं थी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आसन सर्वोपरि है, कोई चुनौती नहीं है, पर मैं निवेदन करूं कि बी.ए.सी. में एक गरिमा भी है अध्यक्षजी के द्वारा वहां कही गयी बात की, अगर हमें यह मालूम होता तो हम इसको ऐसे ही नहीं जाने देते। हम तर्कों के आधार पर बताते कि आप खोटा काम कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसा कोई विषय सदन में नहीं आया है जिस पर आप वक्तव्य देते। अभी विनियोग विधेयक की थर्ड स्टेज पर आप बोलिये। थर्ड पारण पर आप बोल सकते हैं। मेरे पास किसी का नाम नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मुख बन्द में लिया गया था। मेरा कहना यह है कि सप्लीमेंट्री डिमांड के साथ विनियोग विधेयक (संख्या-3) को माननीय सभापति महोदय ने मुख बन्द करके पारण की बात कही, इसीलिये हम लोगों ने उस पर तैयारी नहीं की और उसके हिसाब से आये नहीं। आप उनको ओवर रूल्ड करके करें तो आप आसन पर विराजे हैं, कर सकते हैं। नई परिपार्टी नहीं हो तो अच्छा है। हम तो खुद बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर किया। जब मुख बन्द था तो आपके बोलने जैसी कोई बात ही नहीं थी। (व्यवधान) विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए आप अधिकृत हैं, आप बोलिये। कोई इसके लिए मना कर रहा है? (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, यदि इनको दिक्कत है तो मैं बैठ जाता हूं। ऐसा कोई इश्यू नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां बैठो, बिराजो। यह नई परिपाटी नहीं।

श्री सभापति: माननीय नेता महोदय, मुझे आपके और माननीय अध्यक्षजी के बीच में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी नहीं है। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है आपके और उनके बीच में क्या वार्ता हुई, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे पास जो कार्यवाही है, उसमें विनियोग विधेयक पर किसी वक्ता का नाम नहीं था। थर्ड पारण पर बोलने के लिए आप अधिकृत हैं। मिस्टर रौहित बोहरा बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिये, मना कौन कर रहा है? आप बोलिये, अधिकृत हैं। मैं नाम पुकारूंगा आपका।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 44 हजार करोड़ आज जो ले रहे हैं, आज एफ.आर.बी.एम. लिमिट में हम जो पैसा ले रहे हैं, वह हमें अलाउ कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, क्योंकि हमारी जो एफ.आर.बी.एम में लिमिट तय कर रखी थी कि हम इतना पैसा एफ.आर.बी.एम. लिमिट में ले सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में इंटरवीन नहीं करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम हाउस में बिना तैयारी के यह बात बोलना नहीं चाहते, पर हमें पहले यह कह देते तो हम भी तैयारी करके आते। (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): इसीलिये यह पैसा जो 25 हजार करोड़ का हम लोन उठायेंगे, वह एफ.आर.बी.एम. लिमिट के अंदर ही उठायेंगे। शेष 18 हजार करोड़...(व्यवधान)

श्री सभापति: बोलने के लिए आपका नाम पुकार रहा हूं न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम भी पढ़े-लिखे लोग हैं, हम भी बोल सकते हैं, पर यह नई बात हो गयी। (व्यवधान)

श्री सभापति: बौहरा जी, एक मिनट आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आप जो कह रहे हो, आप बिलकुल सही कह रहे हो। मैंने यह चलाकर सवेरे अध्यक्षजी से कहा था कि इस विनियोग विधेयक में 44 हजार करोड़ रुपये की हमसे एक्स्ट्रा ग्रांट ले रहे हो काम के लिए और इस हाउस से आपको कंसेंट लेना है। उसमें सीधे ही 25 हजार करोड़ रुपये तो आप पूंजीगत खाते में ले रहे हो। मैंने यह भी बोला, मैंने कहा कि इतना बड़ा अमाउंट जब आप ले रहे हो तो इसमें हमको चर्चा का मौका दो, ताकि हम विषय को ठीक प्रकार से रख सकें। पता नहीं, उन्होंने दोनों विषयों को जोड़ लिया या क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी तो हमने अपने सारे कागज बन्द कर दिये। बाकी हम काहे को इस पर बोलते।

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, इसके अलावा कोई विषय सदन में अभी आया ही नहीं। मुख बन्द के बाद में तो यह पहला ही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, हम बिजनस के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिए सदन नहीं चला रहे, हम तो विचार के लिए सदन चला रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, लोगों में क्या मैसेज जाएगा कि विनियोग विधेयक (संख्या-3) के माध्यम से 44 हजार करोड़ का कर्जा सरकार ने लिया और प्रतिपक्ष बोला नहीं। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमें आसन ने मना कर दिया था। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है इनको बिठाइये और पारित कराइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज बीच में इंटरवीन नहीं करें आप लोग। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पारण करवाइये आप।

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये आप। एक मिनट, विराजिये आप। जब कोई वक्ता बोल रहा है तो जरूरी है बीच में इंटरवीन करना? कुछ परम्पराएं सीख लीजिये। वह अपनी कोई बात कह रहे हैं। मैंने उनको अधिकृत किया है बोलने के लिए। मैंने उनका नाम पुकारा है, फिर आप बीच में इंटरवीन क्यों कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्र शब्दों से कह रहा हूं, वैसे आसन को अधिकार है, कोई चुनौती नहीं है, परन्तु जो बात हुई प्रतिपक्ष के नेता और माननीय अध्यक्षजी, हम सब लोग थे, जब यह प्रार्थना की गयी कि इतनी बड़ी आप डिमांड ले रहे हैं, विनियोग विधेयक (संख्या-3) भी पारित हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री डिमांड है, दोनों को मुख बन्द करके ही पारित करेंगे। सभापति महोदय, रिकार्ड में अगर यह चला गया कि रौहित बोहरा जैसे विद्वान आदमी तो बोले और हम चुपचाप रहे तो आने वाले लोग कहेंगे कि यह बिलकुल नहीं बोले। इसलिए आज एडजोर्न कर दें, कल बुला लें। यह तय हो गया था। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो सदन की कार्यवाही है और मेरे पास जो सूची है उसके अनुसार वित्त विधेयक को मुख बंद करके पास करना था। मांगें पारित कर लीं, उसके बाद में विधायी कार्य के रूप में जो विनियोग विधेयक आया है, विनियोग विधेयक को माननीय कल्ला साहब ने पुर:स्थापित किया है, उसको विचारार्थ लिया है, उस पर चर्चा शुरू है अभी। आपको बोलने का अधिकार है, आप बोलिये, मना कौन कर रहा है? लेकिन आप तो मुझे कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष महोदय के बीच कोई चर्चा हुई थी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप जानकारी करवा लें।

श्री सभापति: आपके और उनके बीच में क्या बात हुई, उसकी यदि मुझे जानकारी होती तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कार्यवाही मैं भी नहीं करता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ठीक बात है। कोई बात नहीं।

श्री सभापति: अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि 44.5 हजार करोड़ रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नहीं है, 23 सौ करोड़ रुपये तो मुख्य मंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत है।

श्री सभापति: माननीय कल्लाजी, मुख बंद किया जाकर उस पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। इसको मैं अलाउ नहीं करूंगा।

मिस्टर रोहित बौहरा। (व्यवधान) उस पर चर्चा समाप्त हो गयी है। मुख बंद करके जो बात हुई थी उस पर चर्चा समाप्त हो गयी। अब तो विधायी कार्य है। विनियोग विधेयक पर यदि बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे, आप रिप्लाई देंगे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज जो अपना एप्रोप्रिएशन बिल पास हो रहा है, इसमें जो बात चल रही है, नेता, प्रतिपक्ष जो कह रहे थे कि इतना लोन ले रहे हो, वो लोन किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? Loan is as per the FRBM limit set by the Central Government. आज जो बात चल रही थी, जब यह बजट आया तो यह बात थी कि यह पैसा कहां से आयेगा? उस दिन भी मैंने यही चीज कही थी कि इस एफ आर.बी.एम. लिमिट के तहत ही यह पैसा आयेगा। जो आपने एफ आर.बी.एम. लिमिट बनायी है और उसकी जो आपने हमारे को तीन कंडीशन दी हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिफार्म्स वगैरह की जो तीन कंडीशन दी हैं, हमने वो फुलफिल की हैं। जब वो तीन कंडीशन फुलफिल की हैं, then only we are allowed to take the loan तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो एक्स्ट्रा पैसा आज लिया जा रहा है, जो नये इर्रिगेशन के प्रोजेक्ट्स, कैपिटल आउटले के जो इर्रिगेशन के नये प्रोजेक्ट्स आज हम ले रहे हैं, वो इसीलिए ले रहे हैं। आज इर्रिगेशन पर हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, यह पहली बार हुआ है कि आज पचास सालों में इर्रिगेशन पर इतना पैसा खर्च हो रहा है।

ई.आर.सी.पी. पर हमारी बात थी 9,600 करोड़ रुपये लेने की, जो बात

(श्री रोहित बौहरा)

थी कि सेंट्रल गवनमेंट इसको अप्रूव करेगी, राष्ट्रीय परियोजना के तहत करेगी, जो आप लोगों ने नहीं किया। जो पूरे ईस्टर्न राजस्थान के लिए आपने कुठाराघात किया, फिर भी हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने 9,600 करोड़ रुपये ई आर सी पी के लिए किया। उस सब के लिए ही तो आज हमने यह सब डिमांड क्रिएट की है। आज हम डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा लोन नहीं लेंगे क्योंकि आज जो मंदी पूरे देश में छायी हुई है। आज जो बात आप करते हैं कि हमारा जी.एस.टी. बढ़ रहा है, जी.एस.टी. क्यों बढ़ेगा? आपका इंफ्लेशन बढ़ चुका है इसलिए आपका जी.एस.टी. कलेक्शन बढ़ रहा है। आपका इंफ्लेशन लेवल आज 12 से 13 परसेंट है और उतना ही इन्क्रीज आपका जी.एस.टी. का हो रहा है तो जो इंफ्लेशन यह केन्द्र सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, आज उसकी वजह से हमारे को सबको इस देश में प्रोब्लम आ रही है। Today the Consumer inflation is tuned to 12.5 per cent and which is unprecedented. पिछले 50 सालों में इतना इंफ्लेशन नहीं बढ़ा। इतना इंफ्लेशन बढ़ने से ही ये बात करते हैं कि हमारा जी.एस.टी. का कलेक्शन बढ़ गया। जी.एस.टी. का कलेक्शन जब पहले 40 रुपये किलो लोहा होता था, आज की डेट में वो 85 रुपये, 70 रुपये तक पहुंच गया, वो कलेक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सीमेंट प्राइसेज देखो आप कहां जा रहे हैं? जितने आपके मेटल्स हैं, the prices have increased by one and one-half times. सो अपने आप ही आपका जी.एस.टी. कलेक्शन बढ़ेगा। जी.एस.टी. में यदि आप यह देखें per capita consumption कि उसमें कितना कंजम्प्शन हुआ है तो उसमें अल्टीमेटली आप देखते हैं कि उनका प्रोडक्शन तो कम हुआ है, पर उनकी रेटें बढ़ गयीं इसलिए आपका जी एस टी कलेक्शन बढ़ गया। जी एस टी कलेक्शन होने के बाद आज ये हमारे को लोन क्यों लेना पड़ रहा है? यदि केन्द्र सरकार 4.5 लाख करोड़ रुपये जो पेट्रोलियम और डीजल पर ये लोग कमाते हैं उसमें से डिवोल्यूशन कितना-सा कर रहे हैं? 22 हजार करोड़ रुपये स्टेट्स का ले रहे हैं। उसमें से दे दे न पैसा तो स्टेट्स को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमको लोन लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। उस पर तो सरचार्ज लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के नाम पर वह सारा पैसा आप सेंटर में रख लेते हैं। वह किस नाम से रख रहे हैं, वह सिर्फ इस नाम से रख रहे हैं कि हमें पेट्रोलियम बाण्ड्स का पैसा चुकाना है। पेट्रोलियम बाण्ड्स कितने के हैं? Petroleum bonds are tuned to only eighty

(श्री रोहित बौहरा)

thousand crore और इस साल लास्ट जो अपना साल गया है उसमे साढ़े चार लाख करोड़ रुपये सिर्फ पेट्रोलियम और डीजल से।

यह पहली बार हुआ है, देश में जब पेट्रोलियम और डीजल की प्राइसेज आल अराउंड द वर्ल्ड घट रही हैं, तब भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेज कम करना नहीं सोचा समझा। आप देखिये, जब 100 डॉलर पर-बैरल क्रूड आयल था, आज की डेट में वह 88 है। प्राइसेज तो आप बढ़ा देते हैं। जैसे-जैसे डॉलर पर-बैरल प्राइस बढ़ रही थी वो तो आपने प्राइस बढ़ा दी, लेकिन जब घटाने की बात आयी तो जब 100 से 88 हो गया तो आपने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? जैसे आप बढ़ा सकते हो वैसे आप घटा क्यों नहीं सकते हो? आप आम आदमी को रिलीफ ही नहीं देना चाहते। इश्यू यह है सबसे बड़ा कि आम आदमी को मोदी सरकार कोई रिलीफ नहीं देना चाहती। आप हालत देखिये, जितना लोन, आप जो बात कर रहे थे, आप यह लोन ले रहे हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन देखो न कितना बढ़ गया है। जब हमारी सरकार 2014 में गयी थी तो 57 लाख करोड़ रुपये का लोन छोड़कर गयी थी, आज की डेट में कितना लोन है? 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपये का लोन है। यानी हर आदमी पर आपने लोन की जो संख्या बढ़ा दी वह 1 लाख रुपये पर-आदमी आपने लोन की कर दी। फिर आप कह रहे हो कि आप कहां से ले रहे हो। आपने हमारा गला तो भींच रखा है, हम सिर्फ डेफिसिट फाइनेंसिंग के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास है क्या? हमारे पास पांच तो रेवेन्यू के साधन हैं, छठा साधन नहीं छोड़ रखा। आपने जी.एस.टी. लाकर जो स्टेट की सॉवरनिटी थी वह खतम कर दी। पहली बार हुआ है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का यह भी पार्ट है कि जो करेक्ट डिवोल्यूशन है, जो redistribution of taxes between Centre and the State should have been in the proper manner. This is a part of democratic system. You have forgotten the democratic system. आपकी जो मर्जी आ रही है वैसा काम कर रहे हो। आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिससे कि स्टेट्स को जहां आपकी रूलिंग गवर्नमेंट है, वहां पर यह बात कर लेते हो, आप वहां पर पैसा दे देते हो, अपने स्टेट्स की अकोर्डिंग। हमको तो पैसा मिलता नहीं तो हम कहां जायेंगे? हमें तो हमारी एफ.आर.बी.एम. की जो कंडीशंस हैं, उनके तहत हम लोग लोन ले रहे हैं, सो दैट, हम अपने यह जो लोन का पैसा है, हमारे जो असेट्स बन रहे हैं, उस पर हम खर्च करने जा रहे हैं। मैक्सिमम पैसा इस एप्रोप्रिएशन में आप देखेंगे, आन इर्रिगेशन एंड...

(समय: 15.37 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक सैकंड आप बैठो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवेरे आपके चैम्बर में इस विनियोग विधेयक के बारे में मैंने आपको कहा था कि 44 हजार करोड़ रुपये की हम एक्सेस ग्रांट ले रहे हैं, इसमें से 25 हजार करोड़ रुपये तो पूंजीगत खाते में ले रहे हैं, 18 हजार केन्द्र से मिल रहा है। उस समय आपने कहा था कि नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी, तो हमने अपने सारे कागज बंद करके रख दिये। अब आपने इसको एकदम खड़ा कर दिया तो आखिर क्या है कि यह तो बजट है, यह कोई एट रेंडम चाहे जैसे तो कुछ नहीं बोल सकते, बिना उसको देखे और बिना कागजों का सपोर्ट लिए, तो हम विषय को हम इतना इलोबरेट नहीं कर सकते। कई डिपार्टमेंट में कई हजार करोड़ रुपये का, किसी में 1,800 करोड़ रुपये का एक्सेस है किसी में और कुछ है और ऐसा मिलाकर तो वास्तव में हम इसके साथ में न्याय नहीं कर पायेंगे और ऐसा लगेगा कि हम लोग इतना बड़ा अमाउंट सरकार को देते समय में भी हमने अपना कोई पक्ष ही नहीं रखा तो एक मैसेज यह जायेगा कि प्रतिपक्ष इतना बड़ा अमाउंट जाने के बाद भी मौन बैठा रहा तो एक तरह से हम न्याय नहीं कर पायेंगे। या तो आपके उस समय ध्यान में नहीं आया। मैंने तो विनियोग विधेयक-3 बताकर 44 हजार करोड़ रुपये के बारे में भी आपको कहा था कि इतनी बड़ी डिमांड पहली बार ली है। इतना बड़ा ले रहे हैं और पिछली बार कर्जा, मैंने कर्जे के लिए उस समय भी कहा था कि 5 लाख करोड़ रुपया हो गया और यह जाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये जायेगा क्योंकि हमारी योजना को सपोर्ट करने के लिए पैसा ही कहीं दिखायी नहीं दे रहा है। वही बात इसमें से निकली और यह जो अभी लेकर आये हैं 44 हजार करोड़ रुपये का, यह सामान्य अमाउंट नहीं है, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 44 हजार करोड़ रुपये नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कितना है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 4 हजार 402 करोड़ रुपये की ग्रांट है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं 4,400 करोड़ रुपये बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, आपको ध्यान होगा, स्मरण होगा, पिछली बार भी जब एक्सेस डिमांड आ रही थी तो विनियोग विधेयक पर बात आयी थी तो आपने अपने श्रीमुख से फरमाया था कि ये दोनों एक ही हैं इसलिए अगर सप्लीमेंट्री डिमांड मुख बंद के लिए पारित होगी तो ये भी साथ में होगा। वैसे तो आसन को पूरा अधिकार है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना हैं कि माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त कर दिये, इसको आप पेंडिंग कर लें, कल पारित कर लें। हम में से कोई बोलना चाहेगा तो बोल लेगा, वरना हमारे साथ न्याय नहीं होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना-सा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी, बैठें आप। मुझे आज पहली बार मालूम पड़ा कि आप जैसे विद्वान को भी तैयारी करनी पड़ती है। यह विधायी कार्य कल आपको मिल गया था। यह एप्रोप्रिएशन बिल का एजेंडा है, आपको मालूम था। ऐसा तो नहीं है कि आपने तैयारी नहीं की हो। मान लीजिये मैंने आज सुबह 10 बजे चैम्बर में कहा, इसका मतलब यह मान लूं कि आपने तैयारी नहीं की है तो आज हाउस में नहीं जाना चाहिये। राजेन्द्र राठौड़ एक ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जो बिना तैयारी के हाउस में आये हैं। इसका मतलब तैयारी कल कर ली थी आपने। आपको तो बोलने में कोई तकलीफ ही नहीं थी। कटारिया साहब का तो समझ में आता है। मान लें मैंने कह दिया एप्रोप्रिएशन बिल पर, अपना आइडिया था कि एग्रीकल्चर वाले बिल पर तीन घण्टे डिस्कशन चलेगा और पांच बजे तक यह बात हो जायेगी।

मुझे नहीं मालूम था कि दोनों बिल तीन बजे तक ही खतम हो जाएंगे। यह बहाना है, Mr. Rajendra Rathore, you are the most intelligent, sharp parliamentarian manipulating the things to prove it that you have a point. मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। रोहित के बोलने के बाद आज एक घण्टा आप बोलना। कटारिया साहब, आपका समझ में आता है। राजेन्द्र राठौड़ साहब तैयारी करके नहीं आएं हाउस में, यह समझ में नहीं आता। यह तो कल भी हाउस में रिकार्ड पर था कि एप्रोप्रिएशन बिल आयेगा।

(श्री अध्यक्ष)

यह तो कल आपको जानकारी थी। आप या तो कल इतने बिजी थे कि एप्रोप्रिएशन बिल को देखा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप तो पूरी तैयारी करके आये हैं। आप यह पाइंट लेना चाहते हैं कि इस डिबेट को कल के लिए पोस्टपोन कर दें। अभी पांच भी नहीं बजे। पांच बज जाते, तब भी आपकी बात समझ में आती।

मैं समझता हूं, रोहित बौहरा पहले अपनी बात कह दें, फिर राजेन्द्र राठौड़ ने कल जितनी तैयारी की, उतना बोल लें। कटारिया साहब नहीं भी बोलेंगे तो भी मैं मान लूंगा कि कटारिया साहब के साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। इसलिये यह कोई बात नहीं है, जिस पर हम पाइंट स्कोर करें। कटारिया जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे ध्यान नहीं था, सुबह जब मोर्निंग में आपसे बात हुई थी तो मुझे ध्यान था कि अनुपूरक मांग पर डिबेट नहीं होती। आपने उस समय ये फिगर दिये थे। उस समय मुझे ध्यान नहीं था एप्रोप्रिएशन के सम्बन्ध में, इसलिये मैंने यह जरूर कहा था कि इस पर चर्चा नहीं होती, पर मुझे यह नहीं मालूम था कि अनुदान के बारे में है या एप्रोप्रिएशन के बारे में।

मैं यह मानता हूं कि एप्रोप्रिएशन पर डिस्कशन होता है और यह जानकारी राजेन्द्र राठौड़ और भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों को है। बाकी माननीय सदस्य तो मतलब तैयारी करते ही नहीं हैं? मैं यह मान लेता हूं कि आज बाकी सदस्यों ने तो तैयारी की होगी। आप नहीं बोलें, दूसरे सदस्य बोल लेंगे। राजेन्द्र जी, आपके विजडम, आपकी क्षमता का मैं पूरा सम्मान करता हूं। रोहित बौहरा जी के बाद जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें, वे बोल लें। आज हम इस डिबेट को वाइंडअप करते हैं ताकि कल आराम से बिजली की जो चर्चा करना चाहते हैं, और पाइंट्स जो लेना चाहते हैं, वे ले पाएंगे। दो दिन का तो हमारा हाउस है। आज पांच बजे नहीं है तो फिर पोस्टपोन करके क्या करेंगे? What additional information you required? मेरे अन्दाज से आप तो पूरी तैयारी करके आये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं काफी चीजों पर तो randomly ही बोलता हूं। यह विषय ऐसा है..

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता, प्रतिपक्ष मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं। आप एक मिनट विराजें। मैं इसलिये बहस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह जो

(श्री अध्यक्ष)

फिगर आप दे रहे हैं, यह बजट में भी आपने at length दी। अगर मेरी मेमोरी ठीक है तो जब बजट का दिन था, उस समय भी आपने फिगर्स दिये थे। यह सदन के रिकार्ड पर है। मुझे तो आज यह जानकर आश्चर्य हुआ कि राजेन्द्र जी राठौड़, जो सबसे बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, जिन्हें कल यह सूची मिल गयी थी कि विनियोग विधेयक पर हाउस में चर्चा होगी, उन्होंने तैयारी ही नहीं की। ऐसा तो मैं नहीं मान सकता।

मेरी बात तो आज सुबह 10 बजे हुई है। 10 बजे बाद तो तैयारी करते नहीं हैं, आप फुल टाइम हाउस में बैठते हैं। मैं समझता हूं कि बाकी सदस्यों ने यदि तैयारी की है तो वे बोल लेंगे। आप तो वैसे ही एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियन हैं। आप जनरल कमेंट्स करना, फिगर्स को छोड़ देना, क्या तकलीफ है? रोहित बौहरा बोल जाएं, उसके बाद आप बोल लेना। रोहित बौहरा, please wind-up.

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, जो नेता, प्रतिपक्ष का कहना है, यह 44 हजार करोड़ का नहीं है। यह 4,400 करोड़ रुपये का है। बेसिकली मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, जो आप बार-बार कह रहे थे, छोटा-सा करेक्शन है आपके लिए। जब 2015-16 में आपकी सरकार थी, तब आप भी एप्रोप्रिएशन बिल लेकर आये थे 3,208 करोड़ का।

श्री अध्यक्ष: रोहित, let me put it. बैठें आप। ये सब चीजें पिछली बार आप बजट पर बोल चुके हैं। ये फिगर्स कटारिया जी बोल चुके हैं और आप भी बोल चुके हैं। मैं समझता हूं कि बाकी तो कोई अन्त ही नहीं है। जो बातें आप अभी बोल रहे हैं, वे आप बजट पर बोल चुके हैं। उस समय भी ये फिगर्स आ चुके हैं। Please, wind-up. If anything else you want to bring to the notice, bring it briefly, so that we can proceed further.

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मैंने तो सिर्फ इतना बोलना चाहा कि एप्रोप्रिएशन बिल, जब आपका 2,30,000 करोड़ के करीब-करीब का बजट होता है, उसमें आप एप्रोप्रिएशन बिल, you are getting for only 2 per-cent. So what is the need? इश्यू यह है कि सिर्फ 2 परसेंट आप एडिश्नल लेकर आ रहे हैं। इतना तो कोई भी बजट जब बनता है तो 2 परसेंट का तो here and there हमेशा रहता है। The idea is that, जो एप्रोप्रिएशन बिल

(श्री रोहित बौहरा)

आया है, within a very limited scope आया है। 2 परसेंट का हम एडिश्नल लेकर आ रहे हैं, which is hardly anything. और जो भी पैसा आप देख लें, जो इसमें आ रहा है, वह कैपिटल आउटले पर ही पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, and which is very important. Government is not putting money in their regular expenses. They are putting this money to make creation of new assets, and which is very important. आज न्यू असेट का क्रिएशन हो रहा है, इसीलिये हम 4,400 करोड़ का टोटल बिल लेकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष: Anything else, Mr. Rajendra Rathore?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, सदन आज राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 पर चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हम बजट पारित करते हैं, एक्सेस डिमांड होती है, सप्लीमेंट्री डिमांड आती है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुलाहिज़ा फ़रमाएं पिछले बजट का, आज-कल सरकारों में यह हो रहा है कि एक्सेस डिमांड, जिसे हम सप्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं, वह इतनी अधिक बढ़ जाती है कि बजट हेड्स अपना मूल स्वरूप खो देते हैं। मैं समझता हूं कि उसी को लेकर एक संवैधानिक मजबूरी है, जिसके अन्तर्गत इस विनियोग विधेयक पर आज सदन चर्चा कर रहा है।

अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बिन्दु उठाये। मैं समझता हूं कि राजस्थान अब fiscal stress state की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। आपने कहा कि आप 4,400 करोड़ रुपये आउटले में खर्च करने के लिए विनियोग विधेयक लेकर आये हैं। इसके अन्दर आप देखें, कुल-मिलाकर कर्जे पर आधारित हम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कैपिटल असेट्स क्रिएट करने के नाम पर, मैं समझता हूं, आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। मैं आपका ध्यान आर.बी.आई. की रिपोर्ट, 2022-23 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

आर.बी.आई. का जो बुलेटिन निकला 16 जून, 2022 को, उसमें पांच राज्यों का जिक्र था- बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल। इसमें कहा गया, इनकी वित्तीय स्थिति कंगाली की ओर पहुंच गयी। मैं आर.बी.आई. की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, "इन राज्यों में कर्जे का स्तर उच्च

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्तर पर पहुंच गया। इन राज्यों में खर्चे की निम्न गुणवत्ता है और इन राज्यों में वित्तीय घाटे का स्तर आगे बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य इस बात का है कि राजस्थान का जी.एस.डी.पी. 2022-23 के अनुसार 13 लाख 30 हजार करोड़ है। आर.बी.आई. ने रिपोर्ट किया है, उसमें टोटल जो कर्जा है, वह 5.30 लाख करोड़ को पार कर रहा है।

जी.एस.डी.पी. का 39.50 परसेंट कर्जा और उसके बाद विनियोग विधेयक के माध्यम से हम सदन से और अनुमति ले रहे हैं। अभी इन्होंने पूंजीगत खाते में, कैपिटल आउटले में खर्च करने की बात कही। अब तक का कुल व्यय अगर आप देखेंगे, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने उस आर.बी.आई. की रिपोर्ट को मोटे तौर पर देखा। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, पर उन्होंने लिखा है कि कुल व्यय का 87 परसेंट राजस्व खाते में व्यय हुआ है। हम राजस्थान को किस ओर ले जा रहे हैं, इस पर निश्चित तौर पर चर्चा करने की जरूरत है। सिर्फ 13 परसेंट कैपिटल आउटले में खर्च हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आज ब्रूटल मेजोरिटी है। आपने कल फ़रमाया था, हमसे गलती हो गयी, हम पूरी तैयारी के साथ अपने फिगर्स को नहीं रख सकते, पर मैं मोटे तौर पर यह कह सकता हूं कि जीएस.डी.पी. का और फिस्कल डेफिसिट का आज जो एफ.आर.बी.एम. एक्ट, 2003 ने हमें अनुशासन में बांधा था, 3 परसेंट में बांधा था। उसके बाद भारत सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना की विशेष परिस्थितियां देखते हुए इंसेंटिव के आधार पर इस प्रतिशत को बढ़ाया था। आज की तारीख में, मंत्री महोदय जवाब दें तो आप बता देना, यह फिस्कल डेफिसिट जी.एस.डी.पी. का 5.20 प्रतिशत हो गया है। यह क्या संकेत कर रहा है, निश्चित तौर पर आपको इस पर विचार करना चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आज हमारी आमदनी, हमारा टोटल रेवेन्यू कलेक्शन, टोटल टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू में जी.एस.टी. का कम्पोनेंट भी है। उस टैक्स रेवेन्यू में हमारा वैट भी, जिन पर हम ले रहे हैं, पेट्रोल-डीजल पर ले रहे हैं, उस टैक्स रेवेन्यू में आपके दूसरे टैक्स भी हैं, एक्साइज ड्यूटी भी है। टोटल हमारा टैक्स रेवेन्यू जिस रफ्तार से आपने एनुअल प्लान को बढ़ाया, क्या उस रफ्तार से हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है?

हम योजना का आकार यह कहकर बढ़ाते हैं कि हम बड़ी-बड़ी योजनाओं को साकार करेंगे। अभी माननीय सदस्य ने एक बहुत बड़ी बात कह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दी, ई.आर.सी.पी. की बात कर दी, ई.आर.सी.पी. में पैसे देने की बात कर डाली। कर्जा उसी को मिलता है जो फाइनेंशियली ठीक होता है। आप जिस ओर जा रहे हैं, अभी मैं देख रहा था, कल ही विधान सभा में सवाल आ रहा है, आप टेलीफोन बांट रहे हैं, साढ़े 12 हजार करोड़ रुपये के महिलाओं को आप टेलीफोन देने की बात कर रहे हैं। जो आपकी मेडिकल की योजना है उस मेडिकल की योजना के साथ जोड़कर अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, गलत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी परिवार के नाम पर कांग्रेस का प्रचार होगा तो यहीं नहीं, राजस्थान के हर कोने में जाकर विरोध करेंगे। आप हो तो वही शकुन्तला जी, मैं आपको इंगित नहीं करना चाह रहा था। भामाशाह योजना चली, उसके अन्दर वसुन्धरा जी का उस समय फोटो आ गया, आप इधर विराजी थीं, कूदकर इधर आ गईं, मैं समझता हूं कि अपनी कथनी और करनी के अन्तर को तो आप देखो। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर पर सरकार को अपने टैक्स रेवेन्यू की तरफ भी देखना चाहिए। मैं निवेदन करूं कि यह जो मैंने कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था की बात की, आप एक बार इस विनियोग विधेयक के माध्यम से जो सदन के नेता ने बात उठायी उस बात के आधार पर मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर आपने अतिरिक्त कर्जा लेने का मार्ग ढूंढ़ लिया है। आज की तारीख में आपकी जो 2021-22 की बी.ई. है, 4 लाख 57 हजार करोड़ का कर्जा है। आपने रिकार्ड कायम कर दिया, 2021-22 के अन्दर 57 हजार 297 करोड़ का कर्जा ले डाला। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े आपकी बजट स्टडी 2021-22 के पेज 36 में अंकित है। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के हालात में राजस्थान की इकॉनोमी जा रही है और जिस प्रकार अब एक्सेस डिमांड के नाम पर आप इस सदन से अनुमति ले रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यह एक्सेस डिमांड इसके बाद आप लेंगे नहीं, तीन महीने के अन्दर फिर सदन जुटेगा और फिर आप कह देंगे क्योंकि बजट के अन्दर जो प्रावधान किये जाते हैं उन प्रावधानों की सैंक्टिटी समाप्त होती जा रही है। बजट के अन्दर घोषणाएं हो गईं, उसके इतर बजट की घोषणा के अतिरिक्त जब आप नई योजना अचानक बिना बजट के लाद देते हो तो उसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्दर आपको पैसा लेना पड़ता है। आपकी टोटल टैक्स रेवेन्यू एक लिमिट में है।

अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि राजस्थान की टोटल टैक्स रेवेन्यू और आप ब्याज की अदायगी डाल दो, टोटल जो आपने कर्जा ले रखा है, आपको ब्याज देना पड़ता है 28,360 करोड़ रुपये और यह कोई छोटी रकम नहीं है। कर्जा हम बढ़ाते जा रहे हैं, ब्याज प्रति साल का बढ़ता जा रहा है और यह पेंशन का भार भी है। अभी तो ओल्ड पेंशन स्कीम आयेगी जब आयेगी और जिस वक्त में आयेगी, जिस सरकार के सामने आयेगी वह भुगतेगी, आपने इंतजार नहीं किया। आप सिर्फ वोर्ट की फसल कर्मचारियों के माध्यम से काटना चाहते हो पर काट नहीं पाओगे।

अध्यक्ष महोदय, आज पेंशन का भार 26,212 करोड़ का है। 26,212 करोड़ रुपये की सिर्फ एक साल में राजस्थान की हुकूमत पेंशन देती है। आप बात ई.आर.सी.पी. की करते हैं, आप बात विकास की करते हैं और वेतन पर खर्चा है वह 67,655 करोड़ है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन तीनों कम्पोनेंट को जोड़ता हूं तो यह राशि 1 लाख 22 हजार 227 करोड़ है और इस राशि का प्रतिशत जब मैं आपकी टोटल टैक्स रेवेन्यू से देखता हूं तो टोटल टैक्स रेवेन्यू से इस राशि का, मेरे पास 2021-22 का है। आज मैं इसको स्वीकार करता हूं, मुझे तो आपने डांटकर कहा कि बोलो इसलिए मैं बोल रहा हूं पर मेरी तैयारी नहीं है। पर मैं फिर कह रहा हूं कि यह 2021-22 का एक कागज मेरे हाथ में आया, 2021-22 के अन्दर राजस्थान की टोटल टैक्स रेवेन्यू, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, 90,049 करोड़ है और वेतन का भार 1 लाख 22 हजार 227 करोड़ है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की इकॉनोमी की बात कर रहे हो और विनियोग विधेयक के माध्यम से जिस प्रकार की अनुमति आप ले रहे हो, राजस्थान हाई फिस्कल स्ट्रेस स्टेट में आ गया है। राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ गया है, राजस्थान की कर्जे पर आधारित राजनीति पर आप जिस प्रकार की योजना लाद रहे हैं, मैं समझता हूं कि वक्त आयेगा और राजस्थान की बहबूदी नहीं, राजस्थान को विनाश की ओर आप लेकर जा रहे हो। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है आप इस विनियोग विधेयक को डेफर फरमायें। हम चाहते हैं कि हम कागजों और आंकड़ों के आधार पर उन सारी चीजों को कहें जो आज हम नहीं ला पाये। गलती हमसे हो गई, क्योंकि पिछली बार जब मैं इस विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुआ तो श्रीमान ने आसन से फरमाया था कि दोनों एक है, सप्लीमेंट्री डिमांड है उसी का विनियोग विधेयक है इसलिए वह मुख बन्द से पारित हो रही है तो यह भी मुख बन्द से पारित होगा और उस समय हम बैठ गये। इसलिए मैंने सोचा कि नया ट्रेडिशन है नहीं, पर आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने इस सरकार के अन्तिम पायदान पर विनियोग विधेयक पर चर्चा करने की व्यवस्था दे डाली और चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर सरकार की कलई खुलेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बिना तैयारी के मैं बोला, कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपसे न गलती हुई और ये जो अपने नियम हैं इनको मैं समझता हूं, सबको समझना चाहिए। यह एक्सेस ग्रांट किस-किस में आयी है? सप्लीमेंट में मैंने भी आपकी तरह देखा कि एक है इसमें अनुपूरक मांग श्रम और रोजगार की जिसकी संख्या एक अरब से ऊपर है, एक है इसमें शिक्षा, कला, संस्कृति में जो तीन अरब से ऊपर है। फिर जो एक्सेस डिमांड ली है वह एक अरब की नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास पर। एक तीन अरब की ली है जनजाति विकास पर और एक सामाजिक सुरक्षा पर है। मोटे तौर पर इन डिमांड के सम्बन्ध में चर्चा होना एप्रोप्रिएशन बिल पर अपेक्षित है। एप्रोप्रिएशन बिल के जो रूल हैं मैं उन पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम मोटे तौर पर बजट की चर्चा कर रहे हैं। एप्रोप्रिएशन बिल में बिलकुल क्लियर लिखा हुआ है - "The debate on an Appropriation Bill is restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not been raised while the relevant demands for grants were under consideration." ये जो 5-6 डिमांड हैं मोटे तौर पर, इनमें जो डिमांड डिस्कस हुई, जो लीं, उनमें जो चीजें हमने डिमांड के समय डिस्कस कीं और पाइंट छूट गया वह एक्सेस डिमांड में सरकार की पालिसी में कैसे परिवर्तन करें या गलत नहीं होना चाहिए उस पर पिन-पाइंट करने के लिए यदि डिबेट होती तो सार्थक डिबेट होती।

माननीय सदस्य जो राजाखेड़ा से आये हैं वे भी बजट के सम्बन्ध में एप्रोप्रिएशन के ऊपर बोल रहे हैं, उनके पास भी पुराने आंकड़े हैं, आप भी पुराने आंकड़े बोल रहे हो और हम एप्रोप्रिएशन बिल पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं, आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, please go

(श्री अध्यक्ष)

through the rules. हम कोई नियम पढ़ना चाहते नहीं हैं, नियम का जो पाइंट है उसको हम डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। डिमांड में कैसे डिस्कस करते हैं, डिमांड में जो पालिसी का इश्यू है, वह जो छूट गया उसको एप्रोप्रिएशन बिल में डिस्कस करके उसके इम्प्रूवमेंट का काम करना चाहते हैं वह एप्रोप्रिएशन बिल का उद्देश्य है। जिस उद्देश्य के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि जो हम चर्चा करना चाहते हैं उसकी अच्छी क्वालिटी की चर्चा होती। यह भी जरूरी है कि जो आपने मोटे तौर पर बातें कही हैं, जो कटारिया साहब ने ध्यान आकर्षित किया वह तो एक मोटा प्रश्न है पर एप्रोप्रिएशन बिल फोर सप्लीमेंट्री डिमांड जो है जिस पर ज्यादा है बाकी दो हजार, तीन हजार है। मोटे तौर पर इन पांच-छह विभाग के सम्बन्ध में है उनकी डिमांड ज्यादा है। यह डिमांड जब बजट में रखी थी उससे एक्सेस क्यों हो गई, क्या नीति ठीक नहीं थी या पालिसी बदलनी है, उस पर डिस्कस करते तो ज्यादा सार्थक चर्चा हम गवर्नेंस के पाइंट आफ व्यू से कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि हममें कोई कमी रह गयी या कम्युनिकेशन गैप रह गया तो जब एप्रोप्रिएशन बिल पर डिस्कस होगा तब हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। माननीय मंत्री जी, जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय प्रतिपक्ष के नेता एक मिनट में पधार ही रहे हैं, आपकी अनुमति हो तो दो मिनट बोल देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। अब तक सप्लीमेंट्री डिमांड पर मुख बन्द करके उसके पारण की बात होती थी। इसलिए तरीका तो यह है कि सप्लीमेंट्री डिमांड क्यों लेकर आये। अगर सप्लीमेंट्री डिमांड मुख बन्द करके पारित नहीं हो तो सदन को सबसे पहले प्रभारी मंत्री जी यह बतायें कि सप्लीमेंट्री एक्सेस डिमांड के पीछे कारण क्या था। बजट में क्यों नहीं उन्होंने इन्क्लूड किया।

श्री अध्यक्ष: वह तो पास हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर यह बता दें, क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड मुख बन्द करके पारित हो गई और आपने कुछ कहा नहीं। जब आपने कुछ कहा नहीं तो हम इस आर्बिट से बाहर निकलकर दूसरी बातें करने लग गये। निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी ने सही कहा है, उसी आर्बिट में सप्लीमेंट्री डिमांड, जिन-जिन चीजों की एक्सेस डिमांड है उन मांगों पर हमें कन्फाइन करना चाहिए, परन्तु आपने भी तो नहीं बताया न। आप भी तो मुख बन्द करके सारी पारित कराकर ले गये इसलिए इस पर आपको भी विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी आयें, कटारिया जी का इंतजार कर लेते हैं तो मैं आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, "The Speaker may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise, and the Speaker may withhold permission for raising such of the points, as in the opinion of the Speaker appear to be repetition of the matters discussed on a demand for grant or as may not be of sufficient public importance." So that is my discretion. यदि आप एडवांस लिखकर देते कि इन चीजों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है तो शायद सरकार उन पाइंट पर चर्चा के लिए तैयार होकर आती और सार्थक डिबेट होती। I just want to bring it to your notice that what is mentioned here in the rules. "If an Appropriation Bill is in pursuance of a supplementary grant in respect of an existing service, the discussion shall be confined to the items consisting the same, and no discussion shall be raised on the original grant nor the policy underlying it save in so far as it may be necessary to explain or illustrate a particular item under discussion."

(समय: 16.00 बजे)

उसके स्कोप का भी इतना ही लिमिटेशन है। बाकी बिलकुल आप जनरल डिमाण्ड को डिस्कस कर रहे हैं। बजट के डिस्कशन का पार्ट को हम अवॉइड करें तो ज्यादा बैटर है। यह हमारे एप्रोप्रिएशन बिल का जो फाइनल पाइंट था, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें हम कोई पाइंट रेज नहीं करना चाहते, there are issues, जो बजट के स्कोप के अन्दर है, बजट के डिस्कशन के अन्दर रिप्लाई में इंक्लूड हो गये। बजट की डिमांड के अन्दर बोलना, डिमांड के अन्दर बोलना और एप्रोप्रिएशन पर बोलने में अन्तर है। ये तीन अलग-अलग तरीके हैं। जिस पर अपनी बात को रख सकते हैं। हम उसको ओवरलेप करते हैं। जो बात बजट में करनी है, वह एप्रोप्रिएशन बिल पर कर रहे हैं। जो बात एप्रोप्रिएशन में नहीं करनी, वह डिमांड में कर रहे हैं। एप्रोप्रिएशन बिल की जो लिमिट है, जो स्कोप है, वह यह है कि उस पर्टिकुलर डिमांड, जिसे डिमांड के समय हमने पास किया, उसमें कोई बिन्दु छूट गया, उस बिन्दु को हम हाईलाइट करना चाहते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

उसमें ज्यादा डिस्कशन करने का पार्ट एप्रोप्रिएशन बिल में होना चाहिये। बजट में जो आपने सप्लीमेंट्री, एक्सेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, डेफिसिट बजट हो रहा है, आज स्ट्रेस की तरफ बढ़ रहे हो and these are the issues which needs to be discussed at budget level. मैं समझता हूं कि हम सब जो एजुकेट होना चाहते हैं। हमारे कुछ ही सदस्य डिबेट में भाग ले रहे हैं। कुछ ही सदस्य पार्लियामेंट्री प्रेक्टिसेज में कर रहे हैं। सभी सदस्यों को नियम और कानून को पढ़कर डिबेट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए और हम वह चीज नहीं कर पा रहे हैं।

मैं समझता हूं, आज यह जो हमको मौका मिला है, वह हमें इस बात की ओर इंगित करेगा कि भविष्य में हम डिस्कस करेंगे तो इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। माननीय कटारिया जी अपनी बात रखना चाहते हैं। कटारिया जी अपनी बात रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आपका रुतबा, आपका प्रभाव और आपका खौफ ये तीनों जब मिल जाते हैं तो मेरे जैसे छोटे आदमी आपसे आंख नहीं मिला पाते, इसलिए कई चीजों को भूल जाते हैं। मतलब, आपका प्रभाव हो, उसमें तो काम चल जाये पर रुतबा भी है। फिर आपका डर भी है, इसलिए सारी बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2022 है, हम विशेषकर पूंजीगत बड़े-बड़े हैड में पैसा ले रहे हैं।

मंत्री महोदय, मैं इसमें यह जानना चाहता हूं कि जो डिमांड हमने पास की, उस डिमांड में हमने कितना पैसा खर्च कर दिया। अब आपके पास पैसा नहीं बचा और आपको कुछ काम पूरा करना है, इसलिए आपने इसके लिए पैसा मांगा है। इसकी आपको थोड़ी सी डिटेल बतानी पड़ेगी। जैसे आपने इसमें लिखा है, विविध सामुदायिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं, इसमें अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत परिव्यय में आप 1,340 करोड़ रुपया ले रहे हैं। यह सामान्य अमाउंट नहीं है। 1,340 करोड़ रुपया किसमें ले रहे हैं? अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत परिव्यय। यह केवल और केवल पूंजीगत हैड है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक तरह से सीधा ही कर्जा हो और असेसमेंट तैयार करने के लिए इस पैसे का उपयोग होता है। उसमें आप इतना बड़ा अमाउंट ले रहे हैं।

इसी तरह से आपने देखा होगा, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, इसमें आप 300 करोड़ रुपया ले रहे हैं। इसी तरह से अभी आपने जो ओलम्पिक कराया है। इस ओलम्पिक में आप 300 करोड़ रुपया ले रहे हैं। राजस्थान में ओलम्पिक में जो आपने लिया, उसमें एक्सेस आप 300 करोड़ रुपया मांग रहे हैं।

(समय: 16.05 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मतलब, हम एक तरह से अमाउंट जानना ही चाहते थे। मैंने पिछली बार भी कहा था। सभापति महोदय, जब मैंने आपके सामने विषय रखा था कि हमें जो कर्जा दिखा रहे हो, वास्तव में हम कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। उस दिन जो आपने फिगर दिये थे, वे थोड़े से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

पिछली बार भी बजट पर बोलते समय मैंने कहा था कि आपने 2021-22 में जो एक्चुअल कर्जा रखा था, वह 4 लाख 10 करोड़ रखा था, लेकिन जब एक्चुअल बी ई में आप आये थे तो आपका कर्जा हो गया था 4 लाख 57 हजार करोड़ रुपया। उसके बाद 2022-23 का जो आपने बी ई रखा, उसमें आपने माना था 5 लाख 31 हजार करोड़। अभी जो आप आ रहे हो, यह जो आपने 4 हजार 400 समथिंग करोड़ रुपया एक्सेस दे रहे हो, एक तरह से आप अगर और जोड़ेंगे तो यह अमाउंट कहां पहुंचेगा? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि आप हमको केवल चक्कर दे रहे हो।

मैंने उस दिन भी कहा कि अबकी बार आपका यह बजट साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये के कर्जे में जाकर के एडजस्ट होगा। इसमें सकल घरेलू उत्पाद का जो प्रतिशत है वह निरन्तर कर्जे में हमारा परसेंटेज बढ़ाता जा रहा है। पिछली बार आप 2020-21 में 40 परसेंट पर आये थे और बी ई में आये थे 38 परसेंट और अब आप जा रहे हो 46 प्रतिशत पर आपका सकल घरेलू उत्पाद का कर्जा 46 प्रतिशत पर जा रहा है। आप यह जो सारा लेकर आये हैं, मैं सोचता हूं कि इसको आप डिपार्टमेंटवाइज थोड़ा-सा कृपा करके मुझे बता दें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मेरा जो फील्ड का अनुभव है, वह यह है कि आपने 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की जो बजट घोषणाएं की हैं, अगर आपके पास फिगर नहीं हो तो ले लें। राजस्थान में तीन बजट, एक बजट का नहीं कह रहा हूं, वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 का बजट, जो अभी तक आपने घोषित किया, चौथा बजट घोषित हो गया। ऐसी कोई योजना जो आपने 25 करोड़ से अधिक कीमत की बनायी हो और वह आज धरती पर उतरकर उसका उपयोग हो गया हो, उस योजना का नाम आप बता दें। मैं तो स्वयं अपने क्षेत्र में देखता हूं कि आपने मुझे पहले बजट में 50 करोड़ रुपया ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए दिया, उसका जमीन पर कोई आधार नहीं है। आपने कहा था कि जयसमन्द योजना को लाने के लिए 252 करोड़ रुपया उदयपुर शहर को दिया। अभी तक जमीन पर आपका कुछ भी नहीं उतरा, जैसा मेरा है। विधान सभा में हम जो क्वेश्चन लगाते हैं और कभी आपसे पूछते हैं कि इसमें आपने कितना खर्चा किया। आज सवेरे वाले क्वेश्चन के जवाब में भी आपने दिया होगा कि जिस काम की आपने 2019 के बजट में घोषणा की थी, आज 2022 के बजट में भी आप उसकी एबीसीडी भी नहीं ला सके। मतलब, जो सामान्य पैसा है, आप बजट एक्सेस तो तब मांगो हमसे जब आपने पुराना खर्च कर दिया हो और आपकी योजना में कमी पड़ रही है, तब तो आप हमसे मांगो। आपकी जेब में पड़ा रहे, उसके बाद भी आप दूसरों पर अटरम-शटरम खर्च करके एक तरह से पूंजीगत खाते में जो पैसा ले रहे हो, वह सीधे-सीधे बनानी तो असेट है, लेकिन असेट न बनकर कर्जा बढ़ता जा रहा है। उस कर्जे के कारण से हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी। मैं सोचता हूं, इस विषय में थोड़े फिगर आप टटोलते जाइये। मैं तो केवल अभी पूंजीगत को ही ले रहा हूं, मैं अभी और किसी में नहीं जा रहा हूं।

मैं सोचता हूं कि यह जो आपने जनगणना सर्वेक्षण सांख्यिकी में राजस्व में लिया है, ये आपका शहरी विकास एवं पूंजीगत परिव्यय, इसमें आप ले रहे हो 177 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा। अपन ने पिछले साल 2022-23 का बजट पास किया। कृपा करके इस हैड में आपने कितना पैसा लिया और उसमें से कितना खर्च कर दिया और कहां खर्च कर दिया, अगर आप हमें उसका खर्च दिखा देंगे कि हां हमने इस योजना में नया ये जोड़ा है, इसके कारण से हमको एक्सेस की जरूरत है तो हमको बताओ।

अब ये शिक्षा, खेलकूद, कला संस्कृति पूंजीगत, इसमें आप पूंजीगत में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ले रहे हो 300 करोड़। वही मैंने कहा न ओलम्पिक, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो विद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता होती थी अगस्त, सितम्बर के महीने में, राजस्थान के 80 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी प्रतियोगिता को आपने दफन कर दिया। उसकी जगह आपने ये ओलम्पिक के नाम से देकर कर दिया तो मेरे उन सब बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का काम आपने कर दिया। जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट में खेलकर, स्टेट में खेलते थे, स्टेट के बाद नेशनल खेलने जाते थे। उससे जिस प्रकार उन बच्चों की उपयोगिता और आगे बढ़ने का रास्ता खुलता था, आपने उस रास्ते को तो बन्द कर दिया। एक नया नाम देकर आपने उसको जुटाया। उसमें भी उतने ही लोग जुटे हैं, क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे 80 लाख तो सरकारी विद्यालय के हैं। अगर प्राइवेट विद्यालयों के भी प्रतियोगिता में मिलते हैं, जिसमें आपने यह 300 करोड़ रुपया मांगा। इसमें आपने पहले शिक्षा, खेलकूद, कला संस्कृति में पूंजीगत में 300 करोड़ रुपया मांगा है तो आपने पिछली बार इस हेड में जितना पैसा रखा था, वह पैसा आपने खर्च किया, वह बताओगे तो समझ में आयेगा कि हम वास्तव में जो अमाउंट ले रहे हैं, वह इस जगह से ले रहे हैं और यहां है। बजट बनाने के पीछे जो मन्तव्य है, दुर्भाग्य है, मैं तो पहली बार इसमें देख रहा हूं कि हम 2019-20 के बजट की छोटी-छोटी, आज सवेरे ही क्वेश्चन था कि हम प्रत्येक पंचायत समिति पर एक अम्बेडकर भवन बनायेंगे, 126 अम्बेडकर भवन बनाने थे। आपने 50 लाख के हिसाब से उसे रखा था। अभी तक तो एक भी नहीं बना। उन 126 में से एक भी और अभी आपने कहा कि 25 लाख रुपया की हमने वित्तीय स्वीकृति दे दी। अभी टेक्निकल स्वीकृत नहीं मिली, उसकी वित्तीय स्वीकृति मिली है और आज सवेरे ही प्रश्न का जवाब दिया था कि हम 2023 के जून महीने तक इसको पूरा कर देंगे। जो 2019 के बजट की घोषणा थी वो आप 2023-24 के बजट में जो अगले साल बजट लायेंगे अभी तो 2022-23 में ही चल रहे हैं तो उसकी पूर्ति अगले बजट में होगी तो यह दृश्य यह दिखाता है कि आपने जो बजट पास करवाकर इस सदन से पास करवाया उसको आप ठीक प्रकार से जमीन पर ला नहीं पाये और नयी-नयी घोषणाएं करके एक तरह से लोगों को झुनझुना पकड़ाने का धन्धा कर रहे हो कि यह भी मिल जायेगा। यह पैसे उसमें जा रहे हैं। यह आपकी जो पुरानी योजनाएं बनी हुई हैं जिन पर आपने हमसे बजट स्वीकृत करा लिया उन पर खर्च नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर रहे हैं। आप नई-नई घोषणा करते जाओ, जमीन पर उतरे न उतरे इसका मुझे बहुत दुख है। छोटे-छोटे काम आप जमीन पर नहीं उतार पा रहे हो और हमसे इस विनियोग (संख्या-3) विधेयक के आधार पर लेकर के 4,400 करोड़ रुपये आप ले रहे हो, उसमें से भी लगभग 2,500 करोड़ रुपये तो केवल और केवल आप पूंजीगत खाते में एक तरह से कर्जा लेकर के असेट्स तैयार कर रहे हो। असेट्स तैयार नहीं होंगे, असेट्स के नाम तैयार होंगे। असेट्स की घोषणा तैयार होगी कि आपके यहां यह बिल्डिंग बनेगी, बनेगी कुछ नहीं है। यह केवल और केवल उसमें दिखाने का एक आप यह जो कर रहे हो, इस कारण से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बजट की जो सैंक्टिटी है वह ही आपने खतम कर दी इन तीन सालों में। ऐसा पहली बार देखा मैंने कि अगर मेरे पास, अभी क्योंकि मैं तुरन्त सारा सामान लेकर के नहीं आया, बाकी मैं आपको यह प्रमाणित कर देता कि 2019-20 के बजट की जो घोषणा आपकी 2,500 करोड़ से ज्यादा है वह आज भी जमीन पर न उतरी है न उसकी पूर्णता हुई है। इस प्रकार की स्थिति में आप नये-नये काम शुरू करने के लिए ये जिस प्रकार का दिखाने का प्रयास कर रहे हो, यह राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। खुश करने का काम तो कर सकते हो कि आपके यहां यह आयेगी।

अब आपने यह 9,600 करोड़ की ईस्टर्न कैनाल की जो बात रखी है यह केवल फिगर तो दिखेगी 9,600, लेकिन जमीन पर कहीं लगा है क्या? अभी डेढ़ साल हो गया आपको इस बात को कहते-कहते कि हम अपने फंड से करेंगे। 320 करोड़ रुपये आपने पहले एक साल में बजट में दिया। आपके ही बजट में है इसी पूर्वी कैनाल के बारे में 320 करोड़ रुपये आपने एक बजट में घोषणा की। पहले यह बता देना कि उसमें से आपने कितना पैसा खर्च किया, जमीन पर कहां आया है? अभी जो 9,600 करोड़ का कहा कि हम सब अपनी योजना से करेंगे, यह 9,600 करोड़ के आधार पर आपने उस एरिया के लोगों की भूख तो जगा दी कि हां हम अपने बूते पर खर्च करेंगे, लेकिन ईमानदारी से तो यह कागजों में पड़े हैं सारे के सारे फिगर और यह आगे भी कागजों में ही पड़े रहेंगे। अगर नहीं है तो किसी एक डिपार्टमेंट की जो आज आप हमसे विनियोग विधेयक के माध्यम से पूंजीगत व्यय में ले रहे हैं उसी का एक डिटेल हमको बता दो कि इस योजना में हमने 2019 में यह खर्चा किया, 2020 में यह किया, 2021 में यह किया इन बजटों में। अब हमको जरूरत

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस काम के लिए पड़ गयी है इसलिये हम पैसा ले रहे हैं तब तो हम आपके साथ न्याय कर सकेंगे, बाकी आप न्याय नहीं कर पाओगे।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता सहित चार माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सबसे पहले प्रश्न यह आया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट क्यों ली जा रही है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, इसके लिए 2022-23 के बजट में 320 करोड़ का प्रावधान किया गया था अब इसमें जो खर्चा लग रहा है आप जानते हैं कैशलेस इलाज हो रहा है राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का तो उसमें अनुमानित तौर पर 1,225 करोड़ रुपये हम और ले रहे हैं। अभी आपने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक के लिए हमने पैसा नहीं लिया है, यह पैसा हमने लिया है नयी दिल्ली में नेहरू यूथ होस्टल के निर्माण के लिए, उदयपुर हाउस में नेहरू यूथ ट्रांजिट होस्टल एंड फैसिलिटेशन सेन्टर, इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। जब एस्टिमेट्स वगैरह बने तो पता लगा कि इसमें 330 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, इसलिये हमने 300 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया है। यह कला और संस्कृति विभाग के अन्तर्गत जो आप देख रहे थे उसमें। इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान था, इसमें भी जो लोग रजिस्टर्ड होकर के आ रहे हैं उससे पता लगा कि इसमें 250 करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी, इसके लिए 250 करोड़ रुपये हमने इसमें लिए हैं। जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन में 2022-23 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। 120 करोड़ रुपये तो अब तक खर्च हो गये तो इसलिये इसमें 177.10 करोड़, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हमको आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से 2,300 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अन्तर्गत लिए गये हैं। इसके लिए पहले 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। टोटल व्यय इसमें 3,500 करोड़ रुपये का अनुमानित है। उड़ान योजना के अन्तर्गत 2022-23 में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया था, 120 करोड़ रुपये व्यय हो गये। पहले सेनेटरी पैड की संख्या 6 रखी गयी थी उसको बढ़ाकर 12 कर दिया तो नेचुरली इसमें बजट बढ़ाना आवश्यक था। इसके लिए 150 करोड़ रुपये का और प्रावधान किया गया था। शुरू-शुरू में आपने 44 हजार करोड़ की बात की थी वह तो आपने स्वयं ही सुधार दिया। यह 44 हजार करोड़ रुपये नहीं है 4,402 करोड़ रुपये का सप्लीमेंट्री ग्रांट हमने लिया है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

अब जहां तक चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि FRBM एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, हम पूर्णत: FRBM एक्ट का पालन कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के शासनकाल में फिस्कल डेफिसिट 6.09 प्रतिशत था वर्ष 2016-17 में जबकि वर्तमान में यह 5 प्रतिशत से भी कम है तो हमने अपनी फाइनेंशियल पोजिशन को सुधारा है। इसके साथ-साथ आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगस्त, 2021 में प्राप्तियां 90,011 करोड़ रुपये थीं और अगस्त के इस वित्तीय वर्ष में हमारी प्राप्तियां 1,30,777 करोड़ रुपये हो गयी हैं। अगस्त, 2022 तक हम 40 प्रतिशत अपना बजट व्यय कर चुके हैं और बीजेपी ने वर्ष 2017-18 में अगस्त, 2017 में मात्र 27 प्रतिशत बजट खर्च किया था तो हम लोग हर महीने बजट का अनुमान बजट में क्या खर्चा हुआ, आगे हमें कैसे प्लानिंग करनी है, यह सब कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि हमारे आन टैक्स रेवेन्यू में 28 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 23 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ-साथ जैसा आपने कहा कि कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा तो आप जानते हैं धीरे-धीरे आपके शासन काल से जो हमें विरासत में मिला उसका ब्याज बढ़ते-बढ़ते, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हमने अपना फिस्कल डेफिसिट पांच प्रतिशत से भी कम किया है।

इसके साथ-साथ आपने स्कूल गेम्स के बारे में कहा। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, स्कूल के गेम्स हमारे कैलेण्डर से आगे जरूर खिसके हैं, जरूर होंगे। ये ग्रामीण ओलंपिक एक्स्ट्रा हुए हैं और इसमें भी कोई बहुत ज्यादा बजट हमने खर्च नहीं किया है। जो हमारे पास चालू बजट प्रावधान थे, उसी के अन्तर्गत हमने यह ग्रामीण ओलंपिक किये हैं, इसमें कोई 300 करोड़ रुपये हमने खर्च नहीं किये।

इसके अलावा ERCP की चर्चा राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने की, आपने भी की। ERCP के लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रावधान किया है। मैं तो कहता हूं कि कई मसले ऐसे होते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष को एक होना चाहिये। आपने देखा होगा तेलंगाना का आन्दोलन चला, पक्ष और विपक्ष सब एक हो गये तो ERCP के लिए तो मैं कम से कम आप सब लोगों से अपील करता हूं कि हम सब लोग प्रधान मंत्री जी के पास चलें और चल कर उनको यह कहें कि आपने अजमेर में और जयपुर में जो बात

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कही थी उस बात को आप इम्प्लीमेंट करें और इसको राष्ट्रीय योजना घोषित करके हमारे पूर्वी राजस्थान में जो किसी वक्त सिंचाई के क्षेत्र में पेयजल में बहुत प्रसिद्ध जिले थे आज वहां पर पानी की कमी हो गयी है इसलिये वहां की पेयजल समस्या को हल करने के लिए हम सबको मिलकर प्रधान मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहिये कि इसको एक राष्ट्रीय योजना घोषित करें ताकि पूर्व राजस्थान की पेयजल समस्या का हम समाधान कर सकें।

इसके अलावा आपने RBI का जिक्र किया, वित्तीय स्थिति का जिक्र किया और कुल मिला करके FRBM एक्ट के बारे में काफी बोले। इन्फ्लेशन के बारे में हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी बातें कीं। यह बात सही है कि इन्फ्लेशन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन के बारे में यह कहा गया है कि, "inflation is a state in which the value of money is falling either prices are rising." कीमतें आसमान को छू रही हैं। कीमतें इतनी बढ़ रही हैं कि जिसके कारण आज आम आदमी का जीना दूभर हो गया है और इसी कारण से यह बात सही कही गयी कि GST में जो इजाफा हुआ है उसका एकमात्र कारण है इन्फ्लेशन।

आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और आटे पर टैक्स, दाल पर टैक्स, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिस पर जी.एस.टी. नहीं बढ़ा है। कुल मिलाकर हम सब लोगों को जो कॉमन समस्याएं हैं, इसके लिए कम से कम भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, इन सबको छोड़कर एक बात आनी चाहिये कि हमको अपने प्रदेश के हित में क्या करना चाहिये, इसके लिए हमें कम से कम एक होकर काम करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी पैसा सप्लीमेंट्री ग्रांट में लिया गया है वह सुखार्थ लगेगा। इससे कैपिटल असेट्स बनेंगे और साथ-साथ इसका सदुपयोग होगा। इसलिए इस विनियोग विधेयक को पारित करने की कृपा करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट। आपने पूंजीगत के बारे में तो वर्णन किया और आपको जो 1,875 करोड़ रुपया राजस्व मिल रहा है, इसमें केन्द्र का कितना है और आपका कितना है? यह बता दो। जो यह 1,875 करोड़ रुपया आपको मिल रहा है, इसमें आपकी कमाई कितनी है और केन्द्र का दिया हुआ कितना है? यह बता दो तो अभी स्पष्ट हो जायेगा कि आपकी पूंजी क्या है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मैं आपको बता दूंगा, लिखकर भेज दूंगा। इसमें कुल मिलाकर मैं आपको बताता हूं, आप भी जानते हैं कि जब से पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज लगाया है और जो विशेष सेस लगाया है, उसका हिस्सा किसी भी राज्य को नहीं मिल रहा है। आज हमको उससे भारी नुकसान हुआ है। इसके बारे में इनको सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिये। डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो सेस लगाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इनकम बढ़ाई है और हमारी इनकम कम की है, उससे हमको भारी नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 100 परसेंट केन्द्र का है, 1,875 करोड़ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज विराजिए आप। माननीय सदस्य, प्लीज आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 4,402 करोड़ रुपये में 11 लाख 71 हजार रुपये केन्द्रीय सहायता के तहत राशि 18,000 रुपये भी सम्मिलित की गई है। 11 लाख 71 हजार रुपये केन्द्रीय सहायता के तहत राशि 18,000 रुपये की सम्मिलित की गई है। 11 लाख 71 हजार रुपये सम्मिलित की गई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको यही कह रहा हूं कि यह जो आपने 1,825 करोड़ रुपया राजस्व में दिखाया है, यह सारा राजस्व आपको केन्द्र सरकार के सहयोग के रूप में मिल रहा है ...

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नहीं-नहीं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, हमने अपनी आन टैक्स रेवेन्यू 28 परसेंट बढ़ाई है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नॉन टैक्स रेवेन्यू 23 परसेंट बढ़ाई है। हमने अपनी इनकम बढ़ाई है। (व्यवधान)

श्री सभापति: ...(व्यवधान) यह क्या हो रहा है? (व्यवधान) यह क्या हो रहा है? आप विराजिए, विराजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): हमारी खुद की ऑन टैक्स रेवेन्यू 28 परसेंट बढ़ी है और नॉन टैक्स रेवेन्यू 23 परसेंट बढ़ी है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 को पारित किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 22 सितम्बर 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.24 बजे गुरुवार, दिनांक 22 सितम्बर 2022 के 11.00 बजे के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में संचालित 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना

488. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजनांतर्गत विगत तीन वर्षो में कितनी धनराशि व्यय की गई है? क्या उक्त योजनांतर्गत ब्लाक टास्क फोर्स, जिला एवं राज्य टास्क फोर्स की नियमित बैठकों का आयोजन हुआ है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगिनी एवं आशा सहयोगिनियों को कितना मानदेय दिया जा रहा है? क्या सरकार उक्त का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में विगत तीन वर्ष में 'आपकी बेटी योजना' के तहत अब तक कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं? क्या सरकार द्वारा वंचित रहे परिवारों को उक्त योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त परिवारों को कब तक जोड़ दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजनान्तर्गत अब तक व्यय हुई धनराशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इस योजनान्तर्गत ब्लाक टास्क फोर्स, जिला एवं राज्य टास्क फोर्स की आयोजित बैठकों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों और सहायिकाओं के मानदेय में विभाग के आदेश क्रमांक 34302 दिनांक 07.03.2022 के द्वारा दिनांक 01.04.2022 से प्रतिमाह 20 प्रतिशत बढ़ोतरी कर मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में 'आपकी बेटी योजना' के तहत 58 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

आपकी बेटी योजनान्तर्गत "गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया" हो ऐसी बालिकाएं, जो कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत हैं, को लाभान्वित किया जाता है। इस योजना में कोई भी बालिका वंचित नही रहे इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले की सभी पात्र बालिकाओं के प्रस्ताव भेजने हेतु समय-समय पर निर्देश प्रदान किये जाते हैं जिसकी सूचना परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(सूचना एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कतिनों एवं बुनकरों को ब्याज मुक्त ऋण

491. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कतिनों एवं बुनकरों को प्रशिक्षणोपरान्त इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में जिला झुन्झुनूं के कितने लाभार्थियों को कितनी-कितनी राशि का ऋण उपलब्ध कराया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कतिनों एवं बुनकरों को प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड दिया जाता है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में उक्त जिले में कितने व्यक्तियों को उक्त योजना में प्रशिक्षण दिया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार प्रशिक्षणार्थियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रशिक्षणार्थियों को अम्बर चरखे एवं बुनकरों को लूम वितरित किये गये हैं? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में उक्त जिले के लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बजट घोषणा 331.0.0 (2021-22) के अनुसार खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कतिनों एवं बुनकरों को खादी बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार स्वायत्त शासन विभाग के संयोजन में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक

(उद्योग मंत्री)

सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग जैसे-हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, मोची, दर्जी, धोबी, रंग पेंट करने वाले, नल-बिजली मरम्मत करने वाले इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु बिना किसी गारंटी के ब्याज रहित माइक्रो क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की होने के कारण विगत पांच वर्षों में झुन्झुनूं जिले के कतिन एवं बुनकरों को ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया।

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग को कतिन एवं बुनकरों की सूची इस योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए भेजी गयी है, जो स्वायत्त शासन विभाग में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रियाधीन है। (परिशिष्ट-1 पर सूची संलग्न है)

(2) जी हां। कतिन एवं बुनकरों को प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड दिया जाता है। 31 मार्च, 2022 तक विगत 5 वर्षों में कतिन एवं बुनकरों को झुन्झुनूं जिले की किसी भी विधान सभा क्षेत्र में प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में झुंझुनूं जिले में 119 कतिनों को प्रशिक्षण दिया गया है। (परिशिष्ट-2 पर सूची संलग्न है)

(3) जी नहीं। झुन्झुनूं जिले में विगत 5 वर्षों में प्रशिक्षणार्थियों को अम्बर चरखे एवं बुनकरों को लूम वितरित नहीं किये गये हैं।

नवीन कतिन, बुनकरों को अम्बर चरखे व लूम वितरित किये जाने का प्रावधान किया गया है। नवीन कतिन, बुनकरों को प्रशिक्षण उपरान्त अम्बर चरखे व लूम वितरित किये जायेंगे।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर

उदयपुर जिले में डी एम एफ टी की बैठकें

497. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या उदयपुर जिले में डी एम एफ टी की बैठकें नियमानुसार हो रही हैं? यदि हां, तो वर्तमान सरकार के गठन के बाद कितनी बार उक्त बैठकें आयोजित की गयीं व अन्तिम बार जिला स्तरीय बैठक कब हुई? क्या सरकार डी एम एफ टी की जिला बैठक आयोजित कर उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में विगत तीन वर्ष में उक्त फण्ड में कितनी राशि अभियंता कार्यालय व जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर में जमा हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत दो वर्षों में उक्त जिले व विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में डी एम एफ टी फण्ड की कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्य का नाम, गांव व राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में डी एम एफ टी की गवर्निंग काउन्सिल की अब तक आठ बैठकें आयोजित हुई हैं। वर्तमान सरकार के गठन के बाद उदयपुर जिले की डी एम एफ टी की गवर्निंग काउन्सिल की तीन बैठकें आयोजित हुई हैं। अंतिम बैठक दिनांक 16.08.2022 को आयोजित हुई जिसमें विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण से संबंधित राशि रुपये 483.92 लाख के 29 कार्यों का अनुमोदन किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 में डी एम एफ टी की बैठक आहूत करने की शक्तियां ट्रस्ट की गवर्निंग काउन्सिल के अध्यक्ष में निहित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण से उदयपुर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तथा 2022-23 (अगस्त, 2022 तक) में जिला कलेक्ट्रेट, उदयपुर के माध्यम से कोई राशि जमा नहीं हुई है। कार्यालय खनि अभियंता, उदयपुर के माध्यम से जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(खान मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	जमा राशि (लाखों में)
1	2019-20	3,788.99
2	2020-21	4,241.99
3	2021-22	4,907.30
4	2022-23 (अगस्त, 2022 तक)	1,815.57
	योग	**14,753.85**

(3) विगत दो वर्षों में उदयपुर जिले व विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में डी एम एफ टी फण्ड से क्रमशः राशि रुपये 7481.23 लाख व 199.85 लाख के विभिन्न कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। कार्य का नाम, गांव, राशि सहित विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 व 3 पर उपलब्ध है। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त अवधि में डी एम एफ टी फण्ड से क्रमशः राशि रुपये 3044.99 लाख व 639.00 लाख के विभिन्न कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं। पूर्ण विवरण क्रमशः परिशिष्ट-4 व 5 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

मनरेगा योजना में मजदूरों को देय मजदूरी

498. श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मनरेगा योजना में मजदूरों को निर्धारित मजदूरी दर 236 रु. के स्थान पर टी एस पी क्षेत्र में मात्र 100 से 120 रु. प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के मजदूरों को भी 236 रु. की दर से प्रतिदिन मजदूरी देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में मेटों व कारीगरों का भुगतान सामग्री मद से किया जाता है तथा सामग्री मद का भुगतान एक से डेढ़ वर्ष की अवधि में होने से उक्त को विलम्ब से भुगतान हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को भुगतान हेतु अलग से प्रावधान करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर दिनांक 04.04.2022 (परिशिष्ट-1) के द्वारा राजस्थान राज्य (टी एस पी क्षेत्र सहित) हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में नियोजित अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर रु. 231/- प्रति दिवस निर्धारित है।

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित टास्क के विरुद्ध वास्तविक रूप से किये गए कार्य के आधार पर किया जाता है।

(2) जी हां। सामग्री मद में राशि की उपलब्धता के अनुसार मेट व कारीगरों को भुगतान किया जाता है। मेट एवं कारीगरों की मजदूरी भुगतान हेतु दिनांक 12.09.2022 तक की बकाया राशि जिलों को जारी की जा चुकी है।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 22 (ब) के अनुसार अर्द्धकुशल (मेट) एवं कुशल (कारीगरों) श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान सामग्री मद में किया जाता है, तथापि मेट एवं कारीगरों की मजदूरी का भुगतान अकुशल श्रमिकों की भांति श्रम मद से भारत सरकार से नियमित रूप से किए जाने हेतु भारत सरकार को पत्र दिनांक 02.03.2022 एवं 22.04.2022 द्वारा प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। (परिशिष्ट-2)

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

उपभोक्ता विवादों के निवारण हेतु हेल्पलाइन का संचालन

499. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए हेल्पलाइन का संचालन कब से एवं किन-किन संस्थाओं द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उपभोक्ता विवादों के निवारण की वैकल्पिक व्यवस्था एवं हेल्पलाइन के संचालन के लिए विगत दो वित्तीय वर्षों में किन-किन शीर्षों पर कितना-कितना व्यय किया गया? उक्त व्यवस्था के लिए केन्द्र सरकार से कितनी सहायता मिली है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत दो वित्तीय वर्षों में हेल्पलाइन पर कितने उपभोक्ता विवादों का संधारण हुआ एवं कितने विवादों का वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत समाधान किया गया? विवादों के संधारण एवं समाधान में औसत कितना समय लगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में उपभोक्ता विवाद के निवारण के लिए विभाग द्वारा राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का संचालन 15.03.2011 से किया जा रहा है एवं आरम्भ से अब तक जिन फर्म/संस्था द्वारा राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का संचालन किया गया उनकी सूची परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(उपभोक्ता मामले मंत्री)

(2) उपभोक्ता विवादों के निवारण की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन उपभोक्ताओं की शिकायतों का सलाह एवं मार्गदर्शन के माध्यम से निवारण कर रही है।

हेल्पलाइन के संचालन के लिए सरकार ने विगत 02 वर्षों में निम्न व्यय किया गया-

क्र.सं.	वर्ष	राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के संचालन का व्यय
1	2020-21	1748426/-
2	2021-22	1272018/-

भारत सरकार से राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के संचालन के लिए केन्द्रीय अनुदान का विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(3) राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन द्वारा विगत दो वित्तीय वर्षों में किये गये उपभोक्ता विवादों के संधारण एवं समाधान का विवरण निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष	संधारण	समाधान	विवादों के संधारण एवं समाधान का औसत समय
2019-20	2,650	2,300	विगत दो वित्तीय वर्षों में प्रत्येक विवाद के संधारण एवं समाधान का औसत समय लगभग 08 दिवस
2020-21	3,714	3,414	
योग	**6,364**	**5,714**	

(सूची एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

किसानों के वाणिज्यिक बैंकों के ऋण माफ करने की कार्ययोजना

500. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या किसानों द्वारा समय पर बैंकों का ऋण नहीं चुकाने पर उनकी जमीन नीलाम नहीं हो, इस हेतु सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वाणिज्यिक बैंकों के किसानों का दो लाख रुपये तक का ऋण माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने बैंकों द्वारा समय पर ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों की 05 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्क या उसका विक्रय नहीं

(आयोजना मंत्री)

किया जा सके, बाबत "सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्या-33)" प्रस्तुत किया था।

उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में दिनांक 02.11.2020 को पारित किया गया।

पारित विधेयक माननीय राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर हेतु दिनांक 24.11.2020 को सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया गया।

विधेयक को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27.01.2022 को हस्ताक्षर किये जाकर माननीय राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ एवं अनुमति (Assent) हेतु रक्षित किया गया।

वर्तमान तक अनुमति (Assent) अप्राप्त है।

(2) हां। राज्य सरकार अपने आदेश दिनांक 19.12.2018 (प्रति संलग्न) के अनुसार सभी श्रेणी के कृषक जो अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं (Defaulters) उनका निर्धारित मापदण्डानुसार पात्र पाये जाने पर दिनांक 30.11.2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये की सीमा तक का कालातीत/अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का विचार रखती है।

चूंकि राष्ट्रीयकृत बैंक, अधिसूचित बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केन्द्र सरकार से संबंधित विषय है। अत: माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा माननीय प्रधान मंत्री महोदय व केन्द्रीय वित्त मंत्री को अर्द्धशासकीय पत्रों द्वारा कृषकों के बकाया ऋणों की माफी हेतु सहयोग एवं बकाया ऋणों का बैंकों द्वारा वन टाइम सैटलमेन्ट करने के लिए आग्रह किया। राज्य सरकार द्वारा इसमें यह भी प्रस्तावित किया गया कि वन टाइम सैटलमेन्ट के अन्तर्गत ऋणी कृषकों की ओर से प्रदान की जाने वाली राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

माननीय प्रधान मंत्री महोदय को प्रेषित अ.शा. पत्र के क्रम में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पत्र द्वारा यह अवगत कराया कि यदि राज्य सरकार उचित समझती है तो अन्य राज्यों की तरह ऋण की पूर्ण राशि अपनी ओर से वहन करने को स्वतंत्र है।

राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से तथा सीधे राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण व अधिसूचित बैंकों के प्रबंधन को 90:10 के अनुपात में वन टाइम सैटलमेन्ट को लागू करने के प्रस्ताव प्रेषित किये गए। जिसमें वन टाइम सैटलमेन्ट के तहत किसानों द्वारा वहन की जाने

(आयोजना मंत्री)

वाली 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से वहन किया जाना प्रस्तावित किया गया किन्तु बैंकों द्वारा इस पर सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राजमार्गों पर डिवाइडर बनाने की कार्ययोजना

501. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों पर डिवाइडर बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई? सरकार द्वारा मृतकों को कितना मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों पर डिवाइडर बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आई.आर.सी. में मापदंडानुसार दो लेन चौड़ी सड़क पर लेनवार थर्मोप्लास्टिक पेंट की लाइन से सड़क को विभाजित किया जाता है एवं चार लेन व उससे अधिक लेन की चौड़ी सड़कों पर डिवाइडर बनाये जाते हैं।

(2) प्रदेश में विगत 5 वर्षों में (वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक) सड़क दुर्घटनाओं में 50,620 लोगों की मौतें हुई हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है एवं पिछले पांच वित्तीय वर्षों में राशि रु. 28,563.44 लाख का मुआवजा वितरित किया गया। जिलेवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कोरोना महामारी से मृतकों के आश्रितों को मुआवजा

502. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोरोना महामारी से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने का प्रावधान है? यदि हां, तो केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना मुआवजा देय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

(2) प्रदेश में कोरोना महामारी से अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कोरोना महामारी के डर से आत्महत्या करने वालों के परिवार को भी मुआवजा देने का प्रावधान है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में परिजनों को किस प्रकार की सहायता देय है व अब तक प्रदेश में कितने परिवारों को उक्त सहायता दी जा चुकी है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोरोना महामारी से मृत्यु होने पर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा निम्नानुसार मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है:-

राज्य सरकार:-

राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ हुए प्रत्येक बच्चे को तथा विधवा महिलाओं व उनके बच्चो को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत निम्नानुसार सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है:-

1. प्रत्येक अनाथ बच्चे को तथा विधवा महिला को तात्कालिक सहायता के रूप में राशि रुपये 1.00 लाख एकमुश्त सहायता दी जाती है।
2. प्रत्येक अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 2,500/- रुपये प्रतिमाह सहायता दी जा रही है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपये देय है।
3. विधवा महिला को आजीवन 1,500/- रुपये मासिक पेंशन देय है।
4. विधवा महिला के बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1,000/- रुपये प्रतिमाह देय है।
5. प्रत्येक अनाथ बच्चे तथा विधवा महिलाओं के बच्चों को विद्यालय पोशाक, पाठ्य पुस्तकें आदि हेतु 2,000/- रुपये प्रति बालक/बालिका एकमुश्त वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है।

ड्यूटी के दौरान संविदाकर्मी, मानदेय कर्मचारी अधिस्वीकृत पत्रकार एवं राशन डीलर के संक्रमित होने एवं इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु वाले प्रकरणों में 50 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जा रही है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

केन्द्र सरकार:-

कोविड-19 से मृतकों के आश्रितों को अनुग्रहिक सहायता राशि 50,000 रुपये प्रति मृतक दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार व 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में कोरोना महामारी से हुई मृत्यु का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संशोधित आदेश दिनांक 20.05.2022 के अनुसार मृतक के कोविड-19 संक्रमित होने पर आत्महत्या, (कोविड पाजिटिव होने के 30 दिवस के भीतर) से होने वाली मृत्यु के प्रकरण में 50,000/- रुपये अनुग्रहिक सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

मृतक के कोविड-19 संक्रमित होने पर आत्महत्या, (कोविड पाजिटिव होने के 30 दिवस के भीतर) से होने वाली मृत्यु के प्रकरण माह अगस्त, 2022 तक उक्त सहायता हेतु कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यूरो आफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन में निवेशकों के आवेदनों का निस्तारण

503. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ब्यूरो आफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन के समक्ष वर्तमान में कुल कितने निवेशकों के प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त हुए हैं व कितने आवेदनों/ प्रस्तावों को सरकार की मंजूरी प्राप्त हो गई है व कितने आवेदन/प्रस्ताव किस स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्यूरो आफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन द्वारा प्रस्तावों को राजस्व, वित्त, विद्युत व पर्यावरण आदि विभागों में लम्बित अनापत्ति के मामलों में शीघ्र निस्तारण हेतु किन-किन अधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं तथा उनके द्वारा निवेशकों को उक्त विभागों से अनापत्ति, क्लियरेंस प्रदान करवाये जाने में किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के समक्ष वन स्टाप शाप प्रणाली के अन्तर्गत स्थापित राज निवेश पोर्टल पर फरवरी, 2021 से 14 सितम्बर, 2022 तक कुल 348 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदनों के निस्तारण संबंधी विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत स्थापित वन स्टाप शाप प्रणाली के अन्तर्गत निम्न 14 विभागों के अधिकारियों को निवेश प्रस्तावों हेतु स्वीकृतियां/अनुमतियां प्रदान करने के लिए बी.आई.पी. में पार्ट टाइम बेसिस पर प्रतिनियुक्त किया गया है:-

राजस्व विभाग- कम से कम उप शासन सचिव के स्तर का अधिकारी

फैक्ट्री एवं बॉयलर विभाग- कम से कम उप मुख्य निरीक्षक के स्तर का अधिकारी

उपभोक्ता मामले विभाग- कम से कम उप नियंत्रक के स्तर का अधिकारी

ऊर्जा विभाग- कम से कम मुख्य अभियंता (मुख्यालय) के स्तर का अधिकारी

पर्यटन विभाग- कम से कम अति. निदेशक के स्तर का अधिकारी

उद्योग विभाग- कम से कम अति. निदेशक के स्तर का अधिकारी

स्वायत्त शासन विभाग- कम से कम अति. निदेशक के स्तर का अधिकारी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग- कम से कम अति. निदेशक के स्तर का अधिकारी

पी एच ई डी (PHED)- कम से कम अति. मुख्य अभियंता के स्तर का अधिकारी

सार्वजनिक निर्माण विभाग- कम से कम अति. मुख्य अभियंता (प्रशासन) के स्तर का अधिकारी

नगरीय विकास विभाग- कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी

रीको (RIICO)- कम से कम सलाहकार (इन्फ्रा) के स्तर का अधिकारी

(उद्योग मंत्री)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड- कम से कम मुख्य पर्यावरण अभियंता के स्तर का अधिकारी

श्रम एवं रोजगार विभाग- कम से कम अति. श्रम आयुक्त के स्तर का अधिकारी

बी.आई.पी में उपरोक्त 14 विभागों के अधिकारियों के बैठने की पृथक व्यवस्था की गई है।

वन स्टाप शाप प्रणाली के अन्तर्गत निवेश प्रस्तावों को त्वरित अनुमतियां एवं स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु उक्त विभागों के प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा निम्न कार्यवाही करने का प्रावधान है:-

प्रतिनियुक्त अधिकारी, निर्धारित समय सीमा के अन्दर, उनसे संबंधित विभागों या परिकरणों से आवश्यक सहायता, यदि अपेक्षित हो, लेकर निवेशकर्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों के निपटारे के लिए उत्तरदायी होंगे। अधिकारी द्वारा उन प्रस्तावों को आयुक्त, निवेश एवं अप्रवासी भारतीय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं सरकार के संबंधित विभाग या परिकरण के साथ समन्वय किया जायेगा।

सरकार के परिकरणों सहित संबंधित विभागों द्वारा निवेश प्रस्तावों के संबंध में सरकार के विभागों या परिकरणों से संबंधित अपेक्षित अनुमतियां/स्वीकृतियां मंजूर करने के लिए राज्य अधिनियमों/नियमों/ विनियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करके आयुक्त, निवेश एवं अप्रवासी भारतीय एवं/या प्रतिनियुक्त अधिकारियों को सशक्त किया जायेगा।

जिन निवेश प्रस्तावों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत नहीं किया जाता है उन्हें राज्य सशक्त समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवीन पंचायत समितियों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना

504. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामलाल मीणा)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की नवीन पंचायत समितियों दलोट के सालमगढ़, सुहागपुरा के रामपुरिया, धमोतर के देवपुरा पंचायत में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में विभाग द्वारा वर्तमान में दो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय क्रमशः टीमरवा (प्रतापगढ़) व नागदेड़ा (अरनोद) का संचालन किया जा रहा है। नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा जनजाति बहुल की ऐसी पंचायत समिति जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति व्यक्तियों की संख्या 20,000 से अधिक है तथा पंचायत समिति की कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति व्यक्ति निवास करते हों तथा जहां पूर्व में ई एम आर एस विद्यालय स्वीकृत व संचालित नहीं हो, ऐसी पंचायत समिति में वर्ष 2022 तक एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 में की गई है। प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र मे वर्ष 2018-19 में दलोट, सुहागपुरा व धमोतर पंचायत समितियों का गठन नहीं हुआ था। अतः भारत सरकार द्वारा उक्त स्थानों पर नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाने को बजट घोषणा में सम्मिलित नहीं किया गया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

किशनपोल में सेटेलाइट अस्पताल का भवन निर्माण

525. श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में बजट वर्ष 2021-22 में सेटेलाइट अस्पताल बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त अस्पताल के भवन निर्माण हेतु स्थान चिन्हित कर लिया गया है? यदि हां, तो कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में सेटेलाइट अस्पताल के भवन निर्माण हेतु बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, पांच बत्ती, जयपुर परिसर में उपलब्ध भूमि में से 3,995.974 वर्गमीटर भूमि चिन्हित कर पशुपालन विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग को उपलब्ध करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा

526. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो कितने जनता क्लिनिक अब तक कहां-कहां खोले गए? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्लिनिक के लिए किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत किये गए व उनमें से कितने पद भरे गए तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार जनता क्लिनिक के लिए अलग से पद सृजित कर भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कहां-कहां पर जनता क्लिनिक खोले गए व आगामी वर्षों में कहां-कहां पर व कब तक खोला जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनता क्लिनिक शहरी क्षेत्र में मुख्य रूप से कच्ची, सघन बस्तियों एवं राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में जहां चिकित्सा संस्थान नही है तथा उन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

गुणावगुण के आधार पर जनता क्लिनिक खोले जाने हैं। प्रदेश में अब तक कुल 19 जनता क्लिनिक खोले जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जनता क्लिनिक के नोर्म्स के अनुसार कुल 07 पद निम्नानुसार निर्धारित किये गये है:-

क्र.सं.	**पदनाम**	**पदों की संख्या**	**विशेष विवरण**
1	चिकित्सक	1	सेवा प्रदाता एजेन्सी के द्वारा लगाये जाने हैं।
2	जी एन एम	2	
3	एन एन एम	1	
4	फार्मासिस्ट	1	
5	सपोर्ट स्टाफ	1	
6	स्वीपर	1	

प्रदेश में 19 जनता क्लिनिक खोले गये हैं। वर्तमान में सभी पद भरे हुए हैं।

उक्त पदों पर आदेशानुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्मिक लगाये जाने हैं।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र डेगाना से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिकों को आउटडोर में विशेष सुविधा

527. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनूपगढ़, घड़साना व रावला में वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं को आउटडोर पर विशेष सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनूपगढ़, रावला मण्डी व घड़साना में वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं (ए एन सी) को आउटडोर व पंजीकरण नि:शुल्क किया जा रहा है एवं दवा वितरण में प्राथमिकता दी जा रही है तथा नि:शुल्क उपचार प्राथमिकता से किया जा रहा है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनूपगढ़, घड़साना व रावला में गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं हेतु ए एन सी, प्रसव एवं पी एन सी की पृथक से व्यवस्थाएं हैं।

एन पी एच सी ई कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जिरियाट्रिक क्लिनिक का संचालन प्रत्येक सप्ताह में दो बार (सोमवार व शुक्रवार) कर 60 वर्ष से अधिक (पुरुष व महिलाओं) की अलग से लाइन लगाकर मरीजों का इलाज कर लाभान्वित किया जा रहा है।

अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घड़साना में मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर कार्यरत है, जिसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रिहेबिलिटेशन सर्विस दी जा रही है। अनूपगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उक्त पद वर्तमान में रिक्त है तथा रावला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उक्त पद की स्वीकृति नहीं है, जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया गया है।

पंचायत मुख्यालयों पर किसान सेवा केन्द्र खोलने की कार्ययोजना

528. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने पंचायत मुख्यालयों पर किसान सेवा केन्द्र नहीं हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सभी पंचायत मुख्यालयों पर किसान सेवा केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में किसान सेवा केन्द्र विहीन पंचायत मुख्यालयों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर नवीन पदों का सृजन कर किसान सेवा केन्द्रों का संचालन किया जाता है।

सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किसान सेवा केन्द्र खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत उन्नत किस्म के बीजों का निःशुल्क वितरण

529. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2021-22 में सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से किसानों को नि:शुल्क bio-fertilizer, बायोएजेंट माइक्रोन्यूट्रेंट किट व उन्नत किस्म के बीज वितरित किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जनवरी, 2022 तक उक्त योजना से कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? लाभान्वित किसानों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उक्त योजना में 30,000 कृषकों के लिए डिग्गी फार्म पौंड व 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर दिए जाने की नीतिगत घोषणा की थी? यदि हां, तो जनवरी, 2022 तक प्रदेश में कितने किसान लाभान्वित हुए? लाभान्वित किसानों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला चूरू में उक्त योजना के तहत कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2021-22 में सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से किसानों को नि:शुल्क बायोफर्टिलाइजर्स, बायोएजेन्ट, माइक्रोन्यूट्रेन्ट किट व उन्नत किस्म के बीज वितरित किये जाने की घोषणा की थी।

वर्ष 2021-22 में बायो फर्टिलाइजर्स व बायोएजेन्ट्स किट 1,00,401 कृषकों को, माइक्रोन्यूट्रेन्ट्स किट से 1,00,274 कृषकों को एवं उन्नत किस्म बीज मिनीकिट से 1,49,700 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

(2) जी हां। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आगामी तीन वर्षों में 30,000 कृषकों के लिए डिग्गी व फार्म पौंड एवं 1 लाख 20 हजार किसानों को स्प्रिंकलर व मिनी स्प्रिंकलर दिए जाने की नीतिगत घोषणा सरकार ने की है।

वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर व मिनी स्प्रिंकलर से 18,127 कृषकों को, डिग्गी से 846 कृषकों को एवं फार्म पौण्ड से 3,008 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

(3) जिला चूरू में वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में लाभान्वित कृषकों का विवरण निम्नानुसार है-

(कृषि मंत्री)

क्र.सं.	नाम गतिविधि	लाभान्वित कृषक (संख्या में)
1	बायो फर्टिलाइजर्स एवं बायो एजेन्ट्स किट	6,300
2	माईक्रोन्यूट्रेन्ट्स किट	4,600
3	फार्म पौंड	27
4	उन्नत किस्म बीज मिनीकिट वितरण	11,200
5	स्प्रिंकलर/मिनी स्प्रिंकलर	468

रामगढ़ में लम्पी बीमारी पर रोकथाम के उपाय

530. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में पशुओं में फैल रही लम्पी बीमारी की रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में पशुओं में फैल रही लम्पी बीमारी की रोकथाम के लिए निम्नानुसार कार्य किये जा रहे हैं:-

1. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की तहसील रामगढ़, गोविन्दगढ़ एवं नौगावां में नोडल स्तर पर रेपिड रेस्पोन्स टीम (आर.आर.टी.) का गठन कर आवश्यकता अनुसार पशुपालकों को राहत प्रदान की जा रही है।
2. बीमारी की सूचना पर संक्रमित पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर बचाव एवं उपचार हेतु पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है।
3. पशुपालकों को बीमारी की रोकथाम एवं मृत गौवंश को वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हेतु जागरूक किया जा रहा है।
4. रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की समस्त पशु चिकित्सा संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
5. संक्रमित पशुओं का समय पर इलाज किया जा रहा है एवं स्वस्थ पशुओं में गोट पॉक्स वैक्सीन से टीकाकरण किया जा रहा है।

जैतारण में विद्यालय व चिकित्सालयों में पेयजल कनेक्शन

531. श्री अविनाश (जैतारण): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में विगत तीन वर्षों में किस-किस

(श्री अविनाश)

सरकारी विद्यालय व चिकित्सालय में पेयजल के कनेक्शन दिये गये हैं? स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने विद्यालय व चिकित्सालय हैं जिनमें पेयजल कनेक्शन नहीं हैं? क्या सरकार उक्त विद्यालयों एवं चिकित्सालयों में भी पेयजल कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित 408 राजकीय विद्यालयों में से 203 विद्यालयों में तथा 86 राजकीय चिकित्सालयों में से 13 चिकित्सालयों में क्रियाशील जल संबंधों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

उक्तानुसार जल संबंधों से लाभान्वित राजकीय विद्यालय एवं राजकीय चिकित्सालयों में से 131 राजकीय विद्यालय एवं 08 राजकीय चिकित्सालयों में पेयजल आपूर्ति हेतु जल संबंध विगत तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22 की अवधि) में जारी किये गये।

क्रियाशील जल संबंधों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वाले उक्त राजकीय विद्यालयों एवं चिकित्सालयों की स्थानवार सूची क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुविधा से वंचित 205 राजकीय विद्यालयों एवं 73 राजकीय चिकित्सालयों की सूची क्रमश: परिशिष्ट-स एवं परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में घर-घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित करने के साथ-साथ संस्थानिक क्षेत्र यथा विद्यालय, चिकित्सालय एवं अन्य इत्यादि को जल संबंध द्वारा पेयजल से लाभान्वित करने हेतु इनकी जल मांग का प्रावधान भी सम्मिलित किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति से उक्तानुसार वंचित क्रमश: 205 राजकीय विद्यालयों एवं 73 राजकीय चिकित्सालयों को उक्त मिशन के अंतर्गत माह मार्च, 2024 तक चरणबद्ध रूप से जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

मनोहर थाना में जल जीवन मिशन योजना

532. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में वर्ष 2020-2021 में सरकार द्वारा कितने नये हैण्डपम्प, ट्यूबवैल एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से जलापूर्ति की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने हैण्डपम्प, ट्यूबवैल स्वीकृत हैं तथा कितने लगाये जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन हेतु न्यूनतम कितनी राशि ली जा रही है? क्या उक्त योजना में नि:शुल्क कनेक्शन दिये जाएंगे? पानी की समस्या वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति किस प्रकार की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में नवीन हैण्डपम्प एवं थ्री-फेज नलकूपों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु कोई स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण इनका निर्माण नहीं किया गया।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्णित वित्तीय वर्ष में सौर ऊर्जा आधारित 5 बोरवेल पम्पिंग सिस्टम मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट तथा सौर ऊर्जा आधारित 10 बोरवेल पम्पिंग सिस्टम के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाकर इनका निर्माण एवं स्थापना कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा इनसे निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

उक्तानुसार स्थानवार स्वीकृत तथा निर्माण एवं स्थापना उपरांत चालू किये गये बोरवेल पम्पिंग सिस्टम का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की कमी वाले 23 ग्राम एवं 18 ढाणियों में ग्रीष्म, 2021 में दिनांक 29.04.2021 से पेयजल परिवहन का कार्य प्रारम्भ कर, 08 टैंकरों द्वारा अधिकतम 59 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन पेयजल परिवहन कर दिनांक 26.07.2021 तक मांग एवं आवश्यकतानुसार पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम एवं ढाणियों में उक्त अवधि में टैंकर

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

परिवहन द्वारा पेयजल आपूर्ति के कार्य का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) दिनांक 24 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत बजट 2021-22 में आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 40 हैण्डपम्प एवं 10 ट्यूबवैल तक लगवाये जाने हेतु की गई घोषणा की अनुपालना में, उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अंतर्गत अनुशंषित 40 हैण्डपम्पों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु राशि रुपये 72.40 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

उक्तानुसार जारी स्वीकृति के विरुद्ध, 23 हैण्डपम्पों का वेधन कार्य पूर्ण किया जाकर 22 सफल हैण्डपम्प निर्माण एवं स्थापना उपरांत चालू किये गये तथा वेधन कार्य के दौरान सूखा होने के कारण 01 हैण्डपम्प का निर्माण असफल रहा है।

उक्तानुसार शेष रहे 17 हैण्डपम्पों में से 13 हैण्डपम्पों के निर्माण कार्य स्थल तक रिग मशीन की पहुंच सम्भव नहीं होने, 02 हैण्डपम्पों के निर्माण कार्य हेतु स्थल चयन में स्थानीय ग्रामवासियों में परस्पर विवाद होने तथा 02 अनुशंषित स्थानों पर पूर्व से ही हैण्डपम्प स्थापित एवं क्रियाशील होने के कारण इनका निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका। उक्त हैण्डपम्पों की स्वीकृति मय वर्तमान स्थिति के संबंध में पूर्ण विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल सम्मिलित 457 ग्रामों में से 228 ग्राम सतही जल स्रोत आधारित 04 वृहद् पेयजल परियोजनाओं तथा 229 ग्राम (हैण्डपम्प जल योजनाओं से लाभान्वित 198 ग्राम एवं अन्य जल योजनाओं से लाभान्वित 31 ग्राम) भू-जल आधारित जल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं। हैण्डपम्प जल योजनाओं के अतिरिक्त अन्य जल योजनाओं से लाभान्वित 31 ग्रामों में पेयजल मांग के अनुरूप, इनकी जल योजनाओं में पर्याप्त संख्या में पूर्व से ही नलकूप निर्मित एवं क्रियाशील होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2021-22 में नलकूपों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं रही।

(3) जल जीवन मिशन कार्यक्रम के जारी दिशा-निर्देशों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी.) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

अन्त:ग्राम पाइप लाइन जल आपूर्ति अवसंरचना की पूंजीगत लागत का 10 प्रतिशत (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में 5 प्रतिशत) भाग नकद रूप में ग्रामवासियों द्वारा वहन किया जाना है तथा इसी के अनुरूप वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा स्थानीय ग्रामवासियों से आर्थिक योगदान लिया जा रहा है। उक्त मिशन के दिशा-निर्देशों में नि:शुल्क जल संबंध जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है।

उक्त मिशन के तहत हर घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, उक्त विधान सभा क्षेत्र के 430 ग्राम (भू-जल आधारित एवं स्वीकृत 10 ग्रामों सहित 430 ग्रामों की पेयजल मांग एवं 420 ग्रामों में पेयजल वितरण प्रणाली का कार्य) सतही जल स्रोत आधारित 06 वृहद् पेयजल परियोजनाओं में तथा 37 ग्राम भू-जल आधारित योजनाओं में सम्मिलित किये जाकर स्वीकृति उपरान्त इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा इन समस्त ग्रामों को उक्त पेयजल परियोजनाओं एवं अन्य जल योजनाओं अंतर्गत चरणबद्ध रूप से वर्ष 2024 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

छबड़ा व छीपाबड़ौद पंचायत समिति में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत

533. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) छबड़ा व छीपाबड़ौद पंचायत समिति में कहां-कहां पर कितने हैण्डपम्प चालू अवस्था में व कितने खराब हैं? ग्रामवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में हैण्डपम्प मिस्त्रियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) पंचायत समिति छबड़ा एवं छीपाबड़ौद की ग्रामीण जल योजनाओं

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

अंतर्गत स्थापित क्रमशः 1514 एवं 1340 हैण्डपम्पों में से 1475 एवं 1281 हैण्डपम्प क्रियाशील अवस्था में हैं तथा 39 एवं 59 हैण्डपम्प वर्तमान में सूखे हैं।

उक्त पंचायत समितियों में ग्रामवार स्थापित, क्रियाशील एवं सूखे हैण्डपम्पों संबंधी विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से चल रहे 46वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान, पंचायत समिति छबड़ा एवं छीपाबड़ौद की ग्रामीण जल योजनाओं अंतर्गत मरम्मत योग्य खराब पाये गये क्रमशः 266 एवं 227 हैण्डपम्पों को दिनांक 15.09.2022 तक सुधारा गया है तथा समय-समय पर खराब होने वाले मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों को सुधारने का कार्य अभियान के अंतर्गत सतत प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

(3) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की पंचायत समिति छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में हैण्डपम्प मिस्त्रियों के कुल स्वीकृत क्रमशः 11 एवं 11 पदों में से 5 एवं 6 पद वर्तमान में रिक्त हैं।

हैण्डपम्प मिस्त्री पंचायती राज विभाग के अधीन होने के कारण उक्त दो पंचायत समितियों में पंचायती राज विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध कराये गये क्रमशः 06 एवं 05, कुल 11 हैण्डपम्प मिस्त्रियों से तथा इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष संविदा श्रमिक लगाये जाकर इन श्रमिकों से उक्तानुसार विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान प्रतिवर्ष चलाया जाकर हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य निष्पादित कराया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं के रिक्त पद

534. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं के लंबे समय से चल रहे रिक्त पदों को भरने हेतु भर्ती की जा रही है? यदि हां, तो कुल कितने पदों पर भर्ती की जा रही है? उक्त भर्ती प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर नियुक्तियां दे दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सहायक अभियन्ता के 312 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

आयोजित परीक्षा-2018, संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 18.07.2019 में सफल 311 अभ्यर्थियों में से 301 अभ्यर्थियों को सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 15.09.2022 तक नियुक्ति दी जा चुकी है तथा शेष 10 अभ्यर्थियों की उक्त पद पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त विभाग में सहायक अभियन्ता के 386 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु कार्मिक विभाग को दिनांक 26.04.2022 को अभ्यर्थना भिजवाई जा चुकी है।

विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं के 177 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांक 03.03.2020 को जारी संशोधित विज्ञप्ति के अनुसरण में, समस्त 177 सफल कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियन्ता के 368 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांक 17.01.2022 को विज्ञापन जारी किया जाकर माह मई, 2022 में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। दिनांक 07.07.2022 को परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग में प्राप्त होने के उपरान्त नियुक्ति दी जाकर कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

अलवर जिले के ग्रामों में फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या का समाधान

535. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर के किन-किन ग्रामों में खारे व फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या है? विधान सभा क्षेत्रवार ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो विगत तीन वर्ष में उक्त योजनाओं पर कब-कब, कितनी-कितनी राशि, कहां-कहां व्यय की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अलवर में खारे पानी की समस्या के समाधान हेतु कोई नवीन कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के समेकित प्रबन्धन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 15.09.2022 को अपडेटेड स्थिति के अनुसार, जिला अलवर में सेलिनिटी (खारापन) एवं फ्लोराइड से प्रभावित क्रमश: 30 एवं 66 ग्रामों की विधान सभा क्षेत्रवार वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित मानक गुणवत्ता अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न चरणों में 164 आर.ओ. संयंत्र तथा सौर ऊर्जा आधारित 66 बोरवेल पम्पिंग सिस्टम मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट्स के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं। इनकी वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड के साथ-साथ अन्य अशुद्धियों की आधिक्य मात्रा से प्रभावित ग्रामों में, उक्तानुसार 164 आर.ओ.संयंत्रों की स्वीकृति के विरुद्ध, 10 संयंत्रों हेतु रासायनिक जांच में पेयजल गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये जाने तथा 03 संयंत्रों की दोहरी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के कारण, इनके निर्माण एवं स्थापना कार्य की आवश्यकता नहीं रही। इस प्रकार शेष रहे 151 आर.ओ. संयंत्रों में से 145 संयंत्र स्थापित किये जाकर इनमें से 128 संयंत्रों से निर्धारित मानक गुणवत्ता अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। कालान्तर में नलकूपों के सूख जाने से 17 आर.ओ. संयंत्र वर्तमान में बंद हैं तथा 06 संयंत्रों का स्थापना कार्य प्रगति पर है।

(ब) स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की आधिक्य मात्रा से प्रभावित ग्रामों में उक्तानुसार सौर ऊर्जा आधारित 66 बोरवेल पम्पिंग सिस्टम मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट्स की स्वीकृति के विरुद्ध, समस्त 66 यूनिट्स स्थापित किये जाकर, इनमें से 63 यूनिट्स से निर्धारित मानक गुणवत्ता अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है तथा कालान्तर में नलकूपों के सूख जाने से 03 यूनिट्स वर्तमान में बंद हैं।

उक्त आर.ओ. संयंत्र एवं सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल पम्पिंग सिस्टम मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट्स की स्वीकृति, इनकी वर्तमान स्थिति एवं इनके निर्माण एवं स्थापना कार्य पर व्यय की गई राशि के संबंध में पूर्ण विवरण क्रमश: परिशिष्ट-ब एवं परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत अलवर जिले के

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सतही जल स्रोत चम्बल नदी एवं ईसरदा बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दो अलग-अलग परियोजनाओं की डी.पी.आर. तैयार करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है:-

(अ) चम्बल नदी से अलवर जिले के 5 कस्बों क्रमश: किशनगढ़, तिजारा, खैरथल, भिवाड़ी एवं बहरोड़ एवं पंचायत समिति रामगढ़, तिजारा, किशनगढ़, कोटकासिम, मुण्डावर, बहरोड़ एवं नीमराणा के 957 ग्रामों सहित धौलपुर एवं भरतपुर जिलों के 1500 ग्रामों हेतु डी.पी.आर. तैयार करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 32वीं बैठक दिनांक 25.02.2022 द्वारा जारी की गई है।

विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2022 को जारी कार्यादेश के तहत परियोजना हेतु सर्वे एवं डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य सलाहकार फर्म द्वारा वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा डी.पी.आर. माह नवम्बर, 2022 तक तैयार की जानी प्रस्तावित है।

डी.पी.आर. तैयार होने पर, तकनीकी परीक्षण उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इसकी स्वीकृति जारी की जाकर इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

(ब) दिनांक 24 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत बजट भाषण 2021-22 में ईसरदा बांध परियोजना के द्वितीय चरण के रूप में जयपुर जिले की चाकसू, बस्सी, कोटपूतली, चौमूं, जमवारामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा तहसीलों के 7 कस्बे एवं 1 हजार 394 गांव व अलवर जिले की उमरेण, रैणी, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, कठूमर एवं लक्ष्मणगढ़ ब्लाक के 4 कस्बों एवं एक हजार 61 गांवों को सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डीपीआर बनाये जाने बाबत घोषणा की गई थी।

उक्त डी.पी.आर. ईसरदा बांध के द्वितीय चरण के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जल उपलब्धता के आधार पर तैयार की जानी थी। ईसरदा बांध के द्वितीय चरण में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के कार्य पूर्ण होने में लगभग 8 वर्ष का समय लगने के कारण, अन्य विकल्प के रूप में निर्माणाधीन नवनेरा बांध से पाइप लाइन द्वारा सीधे ही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु, जल संसाधन विभाग से उक्त कस्बों एवं ग्रामों हेतु उक्त बांध से 9 टी.एम.सी. अतिरिक्त जल

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

आरक्षण की सहमति चाही गई है। जल आरक्षण की सहमति के उपरान्त डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर में मिनरल फण्ड से स्वीकृत कार्य

536. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में विगत तीन वर्षों में मिनरल फण्ड से कौन-कौनसे कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौनसे कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला मिनरल फण्ड में एकत्रित धन का विगत तीन वर्षों में क्या उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 (अगस्त, 2022 तक) में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड से स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) स्वीकृत कार्यों में से सभी 7 कार्य प्रारम्भ होकर 3 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(3) नागौर जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड में संग्रहित राशि में से वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 (अगस्त, 2022 तक) में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अवैध खनन पर रोकथाम की कार्ययोजना

537. श्री रूपा राम (मकराना): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा अवैध खनन रोकने हेतु कोई नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना में विगत दो वर्षों में अवैध खनन के कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं व उक्त पर क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपा राम)

(3) विगत दो वर्षों में अवैध खनन करने वालों से सरकार को पैनल्टी के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अवैध खनन रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) नियम, 2007 बनाये गए हैं। अवैध खनन को रोकने बाबत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में भी प्रावधान किये गए हैं। राज्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02.02.2016 से स्थायी आदेश जारी किये गए हैं। उक्त नियमों/आदेशों के तहत खान विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से तथा अन्य विभागों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 (अगस्त, 2022 तक) में अवैध खनन के संबंध में दो एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई हैं, जिनमें पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 (अगस्त, 2022 तक) में अवैध खनन से सरकार को पैनल्टी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गौशालाओं के लिए गोचर भूमि का आबंटन

538. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गौशाला खोलने के लिए क्या-क्या नियम निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गोचर भूमि को गौशाला के लिए आबंटित किया जा सकता है? यदि हां, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र आहोर में सरकार की घोषणा के अनुसार कितनी नंदीशालाएं खोली गई? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 में गौशाला पंजीयन हेतु

(गोपालन मंत्री)

गोपालन विभाग द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 10.09.2020 को जारी किये गये हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि आबंटन) नियम, 1957 के नियम 6 में स्पष्ट प्रावधान दिये गये हैं।

(3) बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत दिशा-निर्देश दिनांक 27.08.2021 को जारी किये जा चुके हैं। नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्थाओं का चयन किये जाने हेतु जिला गोपालन समिति, जालौर द्वारा निविदा आमंत्रित की गई जिसमें विधान सभा क्षेत्र आहोर में किसी भी पात्र संस्था द्वारा आवेदन नहीं किये जाने के कारण पंचायत समिति स्तरीय स्थापित नंदीशालाओं की संख्या शून्य है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राजीविका योजना के तहत गरीब महिलाओं के उत्थान हेतु व्यय राशि

539. श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजीविका पर प्रशासनिक नियंत्रण किस विभाग का है एवं उक्त योजना में राज्य सरकार की क्या भूमिका है?

(2) क्या यह सही है कि राजीविका का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं का उत्थान करना है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में राजीविका के माध्यम से कितनी गरीब महिलाओं की आजीविका में सुधार हुआ है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में विगत दो वर्षों में कितनी महिलाओं के दक्षता विकास हेतु कितनी राशि किस-किस क्षेत्र में व्यय की गयी? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का गठन सोसायटी के रूप में सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत किया गया है, जिसके विधान पत्र तथा नियमावली की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। राजीविका पर प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का

(ग्रामीण विकास मंत्री)

है। सोसायटी की नियमावली के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार साधारण सभा तथा बिन्दु संख्या 10 के अनुसार शाषी समिति का गठन किया गया है, जिनमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व है। इनके कार्य व शक्तियां नियमावली के बिन्दु संख्या 5, 7, 11, 15 से 19 में निहित किये गये हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि राजीविका का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं का उत्थान करना है। अब तक राजीविका द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 33,05,922 गरीब महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। गत दो वर्षो में राजीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य महिलाओं व उनके परिवार के सदस्यों को स्वरोजगार हेतु आरसेटी RSETI (Rural Self Employment Training Institute) के माध्यम से दक्षता विकास हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में दक्षता प्रशिक्षण पर रु. 346.56 लाख की राशि एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु. 346.56 लाख की राशि खर्च की गई। प्रशिक्षित महिलाओं के वर्षवार विषयवार प्रशिक्षण का संख्यात्मक विवरण क्रमशः परिशिष्ट-स व द पर संलग्न है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मालपुरा में मनरेगा योजनान्तर्गत 'अपना खेत अपना काम' हेतु प्राप्त आवेदन

540. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में विगत तीन वर्षों में मनरेगा योजनान्तर्गत 'अपना खेत अपना काम' हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए व प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (पंचायत समिति टोडारायसिंह व मालपुरा) में महात्मा गांधी नरेगा योजानान्तर्गत 01.01.2019 से 31.12.2021 तक 'अपना खेत अपना काम' योजना में कार्य स्वीकृति हेतु पात्र 1391 लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से सभी 1391 कार्य स्वीकृत किये

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना मंत्री])

गये हैं। योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर 1075 आवेदकों द्वारा रोजगार की मांग करने पर समस्त 1075 आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति में स्वीकृत निर्माण कार्य

541. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति में जनवरी, 2021 से 10 सितम्बर, 2022 तक किस-किस मद में कौन-कौन से कार्य, कब-कब स्वीकृत किये गए? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में पूर्व स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों सहित कौन-कौन से कार्य, कब-कब व किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि से पूर्ण हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में कराये गए कितने कार्यों की किसके द्वारा गुणवता की जांच की गयी व गुणवता जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया? जांच रिपोर्टों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति में जनवरी, 2021 से 10 सितम्बर, 2022 तक स्वीकृत किये गये कार्यों का मद एवं समय सहित ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में कराये गए कार्यों में से 57 कार्यों की निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच सहायक अभियंता द्वारा की गई। गुणवत्ता रिपोर्ट सामग्री निर्धारित मापदण्डानुसार पाई गई जांच रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट-02 पर संलग्न हैं।

(प्रतियां एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बस्सी की ग्राम पंचायतों में सूचना के अधिकार के आवेदन

542. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की किन-किन ग्राम पंचायतों में सूचना के अधिकार के तहत अगस्त, 2020 से अगस्त, 2022 तक कितने-कितने

(श्री लक्ष्मण मीणा)

आवेदन प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों में से कितने प्रकरण, किन-किन कारणों से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदनों में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर किन-किन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विगत दो वर्षों की लम्बित सूचना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की ग्राम पंचायतों में सूचना के अधिकार के तहत अगस्त 2020 से अगस्त, 2022 तक 188 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा प्राप्त आवेदनों में से कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। प्राप्त आवेदनों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति तूंगा की ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास में एक आवेदक को निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर माननीय सूचना आयोग द्वारा राशि रुपये 5000/- शास्ति/क्षतिपूर्ति ग्राम विकास अधिकारी पर आरोपित की गई है। इसके पश्चात् आवेदक को चाही गई सूचना, पांच वर्ष के रिकार्ड का अवलोकन करवा दिया गया है और आवेदक संतुष्ट है। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदनों में से कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने हेतु आवेदन

543. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने पर रोक लगाई गई है? यदि नहीं, तो विगत एक वर्ष में जिला कोटा में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितने नाम जोड़े गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निःशुल्क दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं को खाद्य सुरक्षा से अलग रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा आवेदन हेतु उपलब्ध पोर्टल के बंद रहने पर कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग 4.46 करोड़ से प्रदेश में चयनित लाभार्थियों की संख्या अधिक होने के फलस्वरूप दिनांक 18.05.2020 से आवेदन की प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक बन्द किया गया था।

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की क्रियान्विति के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2022 व दिनांक 13.05.2022 को मध्यरात्रि से 28.05.2022 मध्यरात्रि तक पुन: खोला गया है।

विगत एक वर्ष में कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा में जोड़ने हेतु प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**नाम जिला**	**अपील/आवेदन**				
		प्राप्त	**स्वीकृत**	**अस्वीकृत**	**शेष**	**सेंड बैक**
1	कोटा	48912	0	57	48238	617

(2) जी हां। राजकीय अस्पतालों में सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनहित की ओर से एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना "मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना" चरणबद्ध तरीके से लागू है जिसके अन्तर्गत मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में 90, जिला/उपजिला/सेटेलाइट चिकित्सालयों में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 37 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/डिस्पेंसरी पर 15 प्रकार की जांचें नि:शुल्क की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत चिकित्सा संस्थानों में आने वाले समस्त रोगियों को आवश्यक दवा सूची (EDL) में शामिल सभी प्रकार की दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

योजनान्तर्गत आवश्यक दवा सूची में शामिल दवा यदि चिकित्सा संस्थान पर उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय क्रय (Local Purchase) कर रोगी को उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। स्थानीय क्रय (Local Purchase) के अन्तर्गत चिकित्सालय में आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर पर दवा क्रय (Local Purchase) की जा सकती है।

(3) इस संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आबंटित पोषाहार का निरीक्षण

544. श्री कालूराम (डग): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कालूराम)

(1) प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आबंटित पोषाहार के किये जा रहे दुरुपयोग के निरीक्षण हेतु क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विगत चार वर्षों में पोषाहार के विक्रय से संबंधित शिकायतें एवं दुरुपयोग के कितने प्रकरण कहां-कहां पाये गये? उक्त प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित किये जाने वाले पोषाहार एवं अन्य सामग्री के उपयोग के निरीक्षण हेतु क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आबंटित पोषाहार का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आबंटित एवं वितरित किये जाने वाले पोषाहार के निरीक्षण हेतु जारी किये गये निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं:-

1. आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेक्टर स्तर पर निरीक्षण हेतु महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति विभाग द्वारा की हुई है। इसके अतिरिक्त ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता है।
2. परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा वितरित किये जाने वाले पोषाहार एवं अन्य सामग्री का निरीक्षण नियमानुसार किया जाता है।
3. जिला स्तर पर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित किये जाने वाले पोषाहार, अन्य सामग्री के उपयोग हेतु निरीक्षण (उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा समय-समय पर सुचारु रूप से किया जा रहा है।

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित राज्य, जिला, ब्लाक एवं आंगनबाड़ी स्तरीय समितियों द्वारा पूरक पोषाहार के वितरण की समीक्षा की जाती है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) प्रदेश में विगत चार वर्षों में विभाग में पोषाहार के विक्रय संबंधित शिकायतों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित किये जाने वाले पोषाहार एवं अन्य सामग्री के उपयोग के निरीक्षण हेतु की गयी व्यवस्था आदि का विवरण बिन्दु संख्या 1 में ही समाहित है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुकानों व भवनों के निर्माण की स्वीकृति

545. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितनी भूमि छोड़कर दुकानों व भवनों का निर्माण किया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त नियम की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग पर इण्डियन रोड काग्रेस (आईआरसी-73) के दिशा-निर्देशानुसार सड़क के केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाइन 40 मीटर एवं कन्ट्रोल लाइन 75 मीटर तक भवन निर्माण संक्रियाओं को नियंत्रित किये जाने का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़क सीमा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासक एवं सड़क सीमा के बाहर राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर में राजमार्ग के निर्माण हेतु भूमि की अवाप्ति

546. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर से स्वरूपगंज

(श्री गणेश घोघरा)

(सिरोही) के मध्य होकर निकलने वाले प्रस्तावित राजमार्ग के निर्माण हेतु जनजाति के कृषकों की भूमि अवाप्त की गई है? यदि हां, तो अवाप्त भूमि का किस-किस को मुआवजा दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा दिये जाने के लिए जनजाति के काश्तकारों का सर्वे कराकर मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त मार्ग पर निवासरत विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में परियोजना से प्रभावित 39 लाभार्थियों/कृषकों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। मुआवजा प्राप्त लाभार्थियों की सूची मय राशि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रश्नाधीन अवाप्ति प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3(जी) के अन्तर्गत समस्त भूमिधारियों की अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण कर लिया गया है। मुआवजा वितरण की कार्यवाही भूमि राशि पोर्टल के माध्य्म से प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। समस्त भूमिधारियों की अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण कर लिया गया है। मुआवजा वितरण की कार्यवाही भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बम्बोरा से नौगांव तक सड़क का निर्माण व सुदृढ़ीकरण

547. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट वर्ष 2021-22 में बम्बोरा (किशनगढ़बास) (एस.एच.25) से नौगांव (एमडीआर-25 ग्रामीण सडकें) लम्बाई-25 किमी तक सड़क के निर्माण व सुदृढ़ीकरण किये जाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि फिजिबिलिटी अध्ययन उपरान्त एम्पावर्ड कमेटी द्वारा सरकार से अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित नहीं की गई है तथा उक्त सड़क के विकास हेतु फिजिबिलिटी कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति कर दी गयी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सफिया जुबेर)

(3) सरकार उक्त सड़क का निर्माण व सुदृढ़ीकरण के कार्य को कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि फिजिबिलिटी अध्ययन के लिए फिजिबिलिटी कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति कर दी गयी है। फिजिबिलिटी अध्ययन का कार्य प्रगतिरत है। फिजिबिलिटी अध्ययन के उपरान्त निविदा एम्पावर्ड कमेटी के अनुमोदन पश्चात् आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त सड़क कार्य की निविदा आमंत्रण माह दिसम्बर, 2022 में किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए योजनाओं का संचालन

548. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए चयनित पदों पर सेवा नियमों में प्रावधान करते हुए सरकारी सेवा में आने के अवसर प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विगत एक वित्तीय वर्ष से 10 सितम्बर, 2022 तक कितने सैनिकों को उक्त लाभ दिया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(2) राजस्थान सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवा में आने हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 एवं (संशोधन) नियम, 2018 के तहत ग्रुप ए तथा बी में 5 प्रतिशत एवं ग्रुप सी में 12.5 प्रतिशत तथा ग्रुप डी के पदों में 15 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है, जिनकी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा की जाती है।

(राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण)

इस विभाग द्वारा समस्त विभागों से भूतपूर्व सैनिकों के नियोजन के आंकड़े मंगवाये गये हैं, जिनके अनुसार वर्ष 2021-22 से अब तक कुल 1,494 भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार में नियुक्तियां दी जाकर नियोजन का लाभ दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्रों में आबंटित राशि

549. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं पर दिसम्बर, 2018 से 10 सितम्बर, 2022 तक किन-किन पंचायत समितियों में, कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? पंचायत समितिवार आबंटित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में विभिन्न योजनाओं पर दिसम्बर, 2018 से 10 सितम्बर, 2022 तक जनजाति मद से कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई तथा क्या-क्या कार्य करवाये गये? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा पंचायत समिति को सीधे ही राशि आबटित नहीं की जाती है। विभाग द्वारा जिला परिषद् को राशि स्वीकृत की जाती है। जिला परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता, क्षेत्र की आवश्यकता एवं कार्य की उपादेयता के अनुसार राशि स्वीकृत की जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बालिका आश्रम छात्रावास संचालन हेतु दिसम्बर, 2018 से अब तक जनजाति मद से 85.15 लाख रु. की राशि आबंटित की गई। इसी प्रकार बालिका आश्रम छात्रावास, शेरगढ़ में क्षमता वृद्धि 50 के स्थान पर 75 बालिकाओं के लिए 124.00 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई तथा आश्रम छात्रावास में मरम्मत एवं रंग-रोगन एवं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु 1.00 लाख रु. एवं सुपोषण वाटिका हेतु राशि 0.20 लाख रु. स्वीकृत किये गये।

परिशिष्ट

श्री बुलाकी दास कल्ला (प्रभारी मंत्री) द्वारा राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 में प्रस्तुत संशोधन

खण्ड 2

विधेयक के खण्ड 2 के उप-खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1,00,000/- रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "50,000/- रुपये" प्रतिस्थापित की जाये।

खण्ड 3

विधेयक के खण्ड 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आठ लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जाये।

खण्ड 4

विधेयक के खण्ड 4 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये, बीस रुपये, एक सौ रुपये और दो सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जाये।

खण्ड 5

विधेयक के विद्यमान खण्ड 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"5. 1987 के राजस्थान अधिनियम संख्यांक 15 की धारा 20 का संशोधन-

मूल अधिनियम की धारा 20 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(1) प्रत्येक अधिवक्ता उसके द्वारा दाखिल किये गये प्रत्येक वकालतनामे पर धारा 19 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट एक सौ रुपये का कल्याण निधि फीस स्टाम्प लगायेगा और कोई भी वकालतनामा किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी या धारा 16 में निर्दिष्ट व्यक्ति के समक्ष दाखिल या उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जायेगा जब तक, कि वह इस प्रकार स्टाम्पित न हो:

परन्तु यह कि किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष दाखिल या उसके द्वारा प्राप्त किये गये प्रत्येक वकालतनामे

पर इस प्रकार लगाये जाने वाले स्टाम्प के मूल्य में प्रति वर्ष दस रुपये की वृद्धि होगी, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 जुलाई से प्रारम्भ होगी।"

खण्ड 6

विधेयक के खण्ड 6 के उप-खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1,00,000/- रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "80,000/- रुपये" और विद्यमान अभिव्यक्ति "3,00,000/- रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "2,00,000/- रुपये" प्रतिस्थापित की जाये।

खण्ड 7

विधेयक के खण्ड 7 में, विधेयक से संलग्न अनुसूची निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:-

"अनुसूची

(धारा 17 देखिए)

5 वर्ष की सदस्यता	:	50,000/- रुपये
6 वर्ष की सदस्यता	:	58,000/- रुपये
7 वर्ष की सदस्यता	:	66,000/- रुपये
8 वर्ष की सदस्यता	:	74,000/- रुपये
9 वर्ष की सदस्यता	:	82,000/- रुपये
10 वर्ष की सदस्यता	:	92,000/- रुपये
11 वर्ष की सदस्यता	:	1,02,000/- रुपये
12 वर्ष की सदस्यता	:	1,12,000/- रुपये
13 वर्ष की सदस्यता	:	1,22,000/- रुपये
14 वर्ष की सदस्यता	:	1,32,000/- रुपये
15 वर्ष की सदस्यता	:	1,42,000/- रुपये
16 वर्ष की सदस्यता	:	1,55,000/- रुपये
17 वर्ष की सदस्यता	:	1,68,000/- रुपये
18 वर्ष की सदस्यता	:	1,81,000/- रुपये
19 वर्ष की सदस्यता	:	1,94,000/- रुपये
20 वर्ष की सदस्यता	:	2,07,000/- रुपये
21 वर्ष की सदस्यता	:	2,25,000/- रुपये
22 वर्ष की सदस्यता	:	2,43,000/- रुपये

23 वर्ष की सदस्यता	:	2,61,000/- रुपये
24 वर्ष की सदस्यता	:	2,79,000/- रुपये
25 वर्ष की सदस्यता	:	2,97,000/- रुपये
26 वर्ष की सदस्यता	:	3,22,000/- रुपये
27 वर्ष की सदस्यता	:	3,47,000/- रुपये
28 वर्ष की सदस्यता	:	3,72,000/- रुपये
29 वर्ष की सदस्यता	:	3,97,000/- रुपये
30 वर्ष की सदस्यता	:	4,22,000/- रुपये
31 वर्ष की सदस्यता	:	4,56,000/- रुपये
32 वर्ष की सदस्यता	:	4,90,000/- रुपये
33 वर्ष की सदस्यता	:	5,24,000/- रुपये
34 वर्ष की सदस्यता	:	5,58,000/- रुपये
35 वर्ष की सदस्यता	:	5,92,000/- रुपये
36 वर्ष की सदस्यता	:	6,37,000/- रुपये
37 वर्ष की सदस्यता	:	6,82,000/- रुपये
38 वर्ष की सदस्यता	:	7,27,000/- रुपये
39 वर्ष की सदस्यता	:	7,72,000/- रुपये
40 वर्ष की सदस्यता	:	8,17,000/- रुपये
41 वर्ष की सदस्यता	:	8,76,000/- रुपये
42 वर्ष की सदस्यता	:	9,35,000/- रुपये
43 वर्ष की सदस्यता	:	9,94,000/- रुपये
44 वर्ष की सदस्यता	:	10,53,000/- रुपये
45 वर्ष की सदस्यता	:	11,12,000/- रुपये
46 वर्ष की सदस्यता	:	11,89,000/- रुपये
47 वर्ष की सदस्यता	:	12,66,000/- रुपये
48 वर्ष की सदस्यता	:	13,43,000/- रुपये
49 वर्ष की सदस्यता	:	14,20,000/- रुपये
50 वर्ष की सदस्यता	:	15,00,000/- रुपये

(Authorised English Translation)

Clause 2

In sub-clause (iii) of clause 2 of the Bill, for the existing expression "Rs.1,00,000/-", the expression "Rs.50,000/-" be substituted.

Clause 3

In Clause 3 of the Bill, for the existing expression "rupees eight lac", the expression "rupees five lac" be substituted.

Clause 4

In Clause 4 of the Bill, for the existing expression "ten rupees, twenty rupees, one hundred rupees and two hundred rupees", the expression "one hundred rupees" be substituted.

Clause 5

For the existing Clause 5 of the Bill, the following be substituted, namely:-

"5. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- For the existing sub-section (1) of section 20 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) Every Advocate shall affix Welfare Fund fee Stamps of hundred rupees referred to in sub-section (1) of section 19 on every Vakalatnama filed by him and no Vakalatnama shall be filed before or received by any Court, Tribunal or other authority or person referred to in section 16 unless it is so stamped:

Provided that the value of the stamp so to be affixed on every Vakalatnama filed before or received in any Court, Tribunal or other authority or person shall be increased by ten rupees per year commencing from 1st of July of every financial year."

Clause 6

In sub-clause (i) of clause 6 of the Bill, for the existing expression "Rs.1,00,000/-", the expression "Rs. 80,000/-" and for the existing expression "Rs. 3,00,000/-", the expression "Rs. 2,00,000/-" be substituted

Clause 7

In Clause 7 of the Bill, the schedule appended to the Bill be substituted by the following, namely:-

[Schedule]

(See section 17)

5 years membership	Rs. 50,000/-
6 years membership	Rs. 58,000/-
7 years membership	Rs. 66,000/-
8 years membership	Rs. 74,000/-
9 years membership	Rs. 82,000/-
10 years membership	Rs. 92,000/-
11 years membership	Rs. 1,02,000/-
12 years membership	Rs. 1,12,000/-
13 years membership	Rs. 1,22,000/-
14 years membership	Rs. 1,32,000/-
15 years membership	Rs. 1,42,000/-
16 years membership	Rs. 1,55,000/-
17 years membership	Rs. 1,68,000/-
18 years membership	Rs. 1,81,000/-
19 years membership	Rs. 1,94,000/-
20 years membership	Rs. 2,07,000/-
21 years membership	Rs. 2,25,000/-
22 years membership	Rs. 2,43,000/-
23 years membership	Rs. 2,61,000/-
24 years membership	Rs. 2,79,000/-
25 years membership	Rs. 2,97,000/-
26 years membership	Rs. 3,22,000/-
27 years membership	Rs. 3,47,000/-
28 years membership	Rs. 3,72,000/-
29 years membership	Rs. 3,97,000/-

30 years membership	Rs. 4,22,000/-
31 years membership	Rs. 4,56,000/-
32 years membership	Rs. 4,90,000/-
33 years membership	Rs. 5,24,000/-
34 years membership	Rs. 5,58,000/-
35 years membership	Rs. 5,92,000/-
36 years membership	Rs. 6,37,000/-
37 years membership	Rs. 6,82,000/-
38 years membership	Rs. 7,27,000/-
39 years membership	Rs. 7,72,000/-
40 years membership	Rs. 8,17,000/-
41 years membership	Rs. 8,76,000/-
42 years membership	Rs. 9,35,000/-
43 years membership	Rs. 9,94,000/-
44 years membership	Rs. 10,53,000/-
45 years membership	Rs. 11,12,000/-
46 years membership	Rs. 11,89,000/-
47 years membership	Rs. 12,66,000/-
48 years membership	Rs. 13,43,000/-
49 years membership	Rs. 14,20,000/-
50 years membership	Rs. 15,00,000/-